खण्ड-383, अंक-6
सोमवार, 14 पौष, शक संवत् 1909
(4 जनवरी, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 383 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–97
वाराणसी जनपद के हकुलगंज आराजी सं0 811 पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
फैजाबाद में पुलिस विभाग में व्याप्त अव्यवस्था के प्रति नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
फैजाबाद जनपद के मालीपुर थाना, सुल्तानपुर जनपद की बेलवाई चौकी में पुलिस में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
आगरा जनपद के फिरोजाबाद क्षेत्र में जमुना नदी द्वारा कटाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
पी0ए0सी0 में सीधी प्लाटून कमान्डर की भर्ती में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
मूंगा मोती बनाने वाले कारीगरों की बेरोजगारी समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
शुक्लागंज, उन्नाव की सफाई की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग के हाट निरीक्षकों की प्रोन्नतियों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
पश्चिमी इलाहाबाद शाखा डब्लू0ए0बी0 नहर के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
इलाहाबाद जनपद के फूलपुर कस्बे के मन्दिर से कलश की चोरी की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स को लागू किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	103
बीसलपुर सहकारी चीनी मिल, जनपद पीलीभीत के श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103–104
जनपद बरेली में बिक्री-कर विभाग में टंककों की नियुक्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
वाराणसी जनपद में वरुणा नदी पर बने पुल की जर्जर अवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
आगरा के जगनेर क्षेत्र के किसानों को लघु सिंचाई तथा भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा धोखा धड़ी कर बर्बाद करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
उन्नाव जनपद के पुरवा व मौरावां कस्बों को अनुदान दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105

	पृष्ठ-सं0
ग्राम सभा मीरापुर पिनवट, परगना बिजनौर, जिला लखनऊ के ग्राम प्रधान द्वारा बाहरी व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि का आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
बरेली, चीनी मिल निगम की इकाई में गन्ना पिराई के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
थाना जलालाबाद में शासन के आदेशों की अवहेलना के फलस्वरूप पुलिस आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
मऊदोही तहसील को जिला बनाते समय जौनपुर जिले के रामपुर व बरसठी ब्लाक के क्षेत्रों के शामिल किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद आजमगढ़ की थाना मधुबन की चौकी की पुलिस की बर्बरता के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
बांदा जनपद के अतर्रा थानान्तर्गत एक वृद्ध की नसबन्दी के प्रकरण को लेकर घेराव एवं असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109–110
बस्ती जनपद में डीजल का अभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना अन्तर्गत सूचना	110
ए0एल0एन0 के चयन में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
मुजफ्फरनगर गंगा नहर की सफाई के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
तहसीलों के रजिस्ट्री कार्यालय में स्टाम्प शुल्क की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
आगरा जनपद में पानी के अभाव में हो रही फसलों की क्षति के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
घाटमपुर शुगर कम्पनी, कानपुर में श्रमिकों की छटनी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112–113
गणेश शुगर मिल आनन्द नगर, गोरखपुर में श्रमिक असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
हरिजन नलकूप पर सरकारी व्यय का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113–114
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वाराकिसानों की जमीन का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
देवरिया जनपद में चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	114–115
जनपद सहारनपुर की नकुड़ तहसील की ग्राम समाज की भूमि का अवैध आवंटन होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115

	पृष्ठ-सं0
देवरिया जनपद के गन्ना केन्द्रों पर गन्ना की खरीद के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115–116
हरदोई जनपद में विद्युत आपूर्ति के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116
उत्तर प्रदेश भवन में विधायकों के ठहरने की समस्या से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न ..	116–119
रेलवे यात्रा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119
अवध विश्वविद्यालय की जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119
पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119
सलाहकार समितियों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119
रत्ना शुगर मिल के सम्बन्धमें औचित्य का प्रश्न	119
विधान मण्डल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	120–123
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारीं)	123–130
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन 1980–81 (सदन के पटल पर रखा गया।)	130
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का षष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1981-82 (सदन के पटल पर रखा गया)	130
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 (सदन के पटल पर रखी गयी)	130
उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986(सदन के पटल पर रखी गयी)..	131
विधान सभा के वर्ष 1987 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	131
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)	131–136
माननीय सिचाई राज्य मन्त्री, श्री भोला शंकर मौर्य के कक्ष में श्री यदुनाथ सिंह सदस्य, विधान सभा के बीच हुई घटना के सम्बन्धित गठित समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	136
सदन में भोजनावकाश का समय समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	137–138
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना को सदन के संज्ञान में लाने की मांग ..	138–143
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1986 (वापस लिया गया)	143
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) निरसन)) विधेयक, 1987 (पुर:स्थापित)	144
उत्तर प्रदेश विधान सभा(सचिवालय प्रशासन) विधेयक, 1987 (पुर:स्थापित)..	144
आज की कार्यसूची की मद संख्या 7 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	145–147
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	147–152
नत्थियां	153–156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 4 जनवरी, 1988

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मंगल देव, श्री	गोण्डा
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	रणजीत, श्री	देवरिया
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राम बदन एडवोकेट, श्री	आजमगढ़
गौरी शंकर, श्री	इटावा	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
प्रमुदयाल, प्रधान	मेरठ	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
प्रमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
भगवान दास, श्री	मुरादाबाद		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 4 जनवरी, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन के संबंध में निर्णय

**1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन का शासन ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो गोरखपुर विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध जनपदीय महाविद्यालयों को वहां से हटाकर किस विश्वविद्यालय से जोड़ने की योजना है और उसे कब से लागू किया जायेगा ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की कुछ आदत ऐसी है कि 'ना'–'ना' करके, फिर हम ही से "हां" कर बैठते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, पहले भाग के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है 'जी नहीं', दूसरे भाग के प्रश्न के उत्तर में कहा है "प्रश्न नहीं उठता" । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अभी जब गोरखपुर दौरे पर गये थे, तो प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को कहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जो जौनपुर में स्थापित किया जा रहा है, उसमें यहां के विद्यालयों को सम्बद्ध कर दिया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस कथन में कितनी सच्चाई है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर में स्थापित कर रहे हैं, उसमें कौन-कौन जिलों के विद्यालय सम्बद्ध रहेंगे तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ कौन-कौन जिलों के विद्यालय सम्बद्ध रहेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो बातें जाननी चाही है कि कौन-कौन से जिले किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेंगे और कितने महाविद्यालय उनसे सम्बद्ध रहेंगे। मान्यवर, 2 अक्टूबर, 1987 से पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय से सौ महाविद्यालय सम्बद्ध थे और, उसमें मान्यवर, गोरखपुर मण्डल के 4 जिले और वाराणसी मण्डल के 5 जिले सम्बद्ध थे। मान्यवर, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का आकार बहुत बड़ा था, उसका कार्यभार बहुत अधिक था, इसलिए यह निर्णय लिया गया था, ताकि उस पर बोझ कम होगा, इसलिये पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर कायम किया गया 2 अक्टूबर, 1987 को । मान्यवर, इसमें वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़, इनके 68 जो महाविद्यालय थे, जोकि गोरखपुर विश्वविद्यालय थे, जोकि गोरखपुर विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध थे, वे जौनपुर स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये

गये । मान्यवर, गोरखपुर में 3 जिले—गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, जिनमें से 32 महाविद्यालय जो हैं सम्बद्ध, वह रह गये हैं । यह बात बतला दूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है, उसका स्वरूप आवासीय भी है, सम्बद्धीय भी है। आवासीय से तात्पर्य उसके परिसर में पढ़ाई होती है, सारी फेकल्टी मौजूद हैं । माननीया मुख्य मंत्री ने जो बात कही, इसी सन्दर्भ में कही थी कि आवासीय भी है, सम्बद्धीय भी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

गोरखपुर से कितने सम्बद्ध रहे महाविद्यालय ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माननीय माता प्रसाद जी, 32 महाविद्यालय इससे सम्बद्ध रह गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 68 महाविद्यालय जौनपुर स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से 32 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि 68 का आधा 34 महाविद्यालय बलिया में विश्वविद्यालय खोलकर सम्बद्ध कर दिये जायं और 34 जौनपुर में रहने दें?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, आदरणीय सदस्य मैनेजर सिंह जी बुजुर्ग, वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं इस सदन के मान्यवर, यह जो कुछ कहते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी मान लेते हैं। इनका बहुत ख्याल रखते हैं । इनके यहा महिला कालेज भी दिया है। (हंसी)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के मउनाथ भंजन डिग्री कालेज, बरसथी और चन्देश्वर डिग्री कालेज–जो कि गोरखपुर जनपद से लगे हुये हैं, और उनको गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने में अधिक सुविधा है, वहां के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये क्या इन कालेजों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

नहीं मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बलिया के अपने कार्यक्रम में में आश्वासन दिया था, बलिया की जनता को, कि वहां पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी । क्या उसको दृष्टि में रखते हुए यह 68 महाविद्यालयों में आधे जो बलिया के निकट हैं, उनको मिलाकर बलिया में एक विश्वविद्यालय खोलने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, पिछले सत्र में यह बात आई थी और मैंने बहुत साफ तरीके से बतलाया था कि माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी । पूर्वांचल विश्वविद्यालय को जौनपुर में कर दिया गया है ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितने आवासीय विश्वविद्यालय हैं और निकट भविष्य में कितने और विश्वविद्यालय को आवासीय बनाने की योजना है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जैसा कि जौहरी जी ने जानना चाहा है, इस समय काशी विद्यापीठ जो है, यह तो पहले से ही आवासीय है और अब लखनऊ विश्वविद्यालय को आवासीय बनाने का निर्णय लिया गया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने जौनपुर विश्वविद्यालय खोलकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय के बहुत से महाविद्यालयों को उससे सम्बद्ध किया है, उसी तरह से बस्ती जनपद के ऐसे बहुत से महाविद्यालय हैं, जो उसके बहुत निकट हैं । क्या उन्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय आवासीय भी है और सम्बद्धीय भी है तो फिर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा क्यों की कि उसको आवासीय बनाने जा रहे हैं ? मुख्य मंत्री जी की यह आदत पड़ गयी है कि वह हर जगह तरह-तरह की घोषणायें कर देते हैं, उस घोषणा से क्या असर पड़ा और यह घोषणा आप जानते भी हैं या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, जहां तक घोषणा का प्रश्न है, इस संबंध में विचार हो रहा है। मंत्रि परिषद् को इस तरह का प्रस्ताव रखा भी गया था लेकिन कुछ कारणोंवश अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। गोरखपुर को आवासीय विश्वविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में शासन द्वारा जो विचार हो रहा है, क्या उसमें यह भी शामिल है कि दो साल का जो डिग्री कोर्स है, उसको 3 साल का डिग्री कोर्स कर दिया जायगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर गोरखपुर विश्वविद्यालय में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है और यह माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हमारे यहां यूनिवर्सिटीज में चल रहा है जो यू0 जी0 सी0 के निर्देशों के अन्तर्गत हो रहा है । आपने जैसी संभावना व्यक्त की है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हट कर दो वर्षीय हो जायगा, तो ऐसी कोई भी सम्भावना नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा पर सरकार विचार कर रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन आधारों पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा कर दी थी, जबकि शासन ने अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया है। क्या हमारे उत्तर प्रदेश के छात्रों की कठिनाईयों को देखते हुये जो द्विवर्षीय कोर्स था, उसी फार्मूले को फिर से लागू करने पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा नहीं की थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय दर्जा दे दिया गया है बल्कि यह कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है कि इसे आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाय ? जैसा कि मैंने इसके ज्यूरिशडिक्शन को देखा जा रहा है कि किस प्रकार विश्वविद्यालयों के वितरण की व्यवस्था की जाय। इन सब चीजों पर विचार करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, तब दुबारा यह मामला, मंत्रि परिषद् के सामने आयेगा। जहां तक त्रिवर्षीय कोर्स का संबंध है, यह सभी विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ कर दिया गया है, सिर्फ एक विश्वविद्यालय को छोड़कर ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अभी तक नहीं बनाया गया है, कौन-कौन सी पुस्तकें होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और किन-किन विषयों को इसमें पढ़ाया जायेगा, उसकी जानकारी भी अभी नहीं है और किस स्तर से इसकी परीक्षा ली जायेगी, इसकी जानकारी भी अभी नहीं है, इसलिए उन्होंने संस्तुति की है कि इस त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को अगले वर्ष तक के लिए हटा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, वर्मा जी आप गोरखपुर से आगरा कहां चले गये ।

श्री रघुवरदयाल वर्मा–

मान्यवर, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम तैयार न होने के कारण यह दिक्कत आ गई है। इस प्रकार का कोई पाठ्यक्रम बन गया है और परीक्षा आदि लेने की व्यवस्था कर दी गई है, यदि नहीं, तो इस त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को चलाने का औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरा विषय उठा दिया गया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार विश्वविद्यालयों को आवासीय विश्वविद्यालय बनाकर महाविद्यालयों को अलग किया जा रहा है, क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी अलग करने की कोई योजना तो शासन के विचाराधीन नहीं है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी बताया कि यह प्रकरण विचाराधीन है ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस त्रिवर्षीय कोर्स के कारण मेरठ विश्वविद्यालय और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय पिछले दिनों काफी दिनों तक बन्द रहे, इसलिए ऐसे माहौल को देखकर क्या माननीय मंत्री जी इस वर्ष इस त्रिवर्षीय कोर्स को लागू न करके अगले वर्ष से लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय को भी आवासीय विश्वविद्यालय बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन तो नहीं है ? दूसरा टिहरी का जो रामजी डिग्री कालेज है, पहले जो गवर्नमेंट कालेज रहा है, क्या इसे उक्त विश्वविद्यालय से अलग करने की कोई योजना तो शासन के विचाराधीन नहीं है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप गोरखपुर विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या है ? क्या इस विश्वविद्यालय में विकास की दृष्टि से कोई विस्तार योजना शासन के विचाराधीन है। इस संबंध में क्या यू0 जी0 सी0 से बातचीत हुई है।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

यह विश्वविद्यालय का अपना काम है और हम पूरा सहयोग देते हैं और हास्टल वगैरह बनाने के लिये या किसी संबंधित उद्देश्य के लिये यू0 जी0 सी0 से जो ग्राण्ट लेते हैं, तो हमारा जितना मैचिंग शेयर होता है, उतना हम देते हैं ।

श्रीमती माया बिरमानी पूर्व अधीक्षिका भिक्षुक कर्मशाला इलाहाबाद को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता के विरुद्ध शासकीय सेवा से पदच्युत

**2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद भिक्षुक कर्मशाला (शिवकुटी) की पूर्व अधीक्षिका श्रीमती माया बिरमानी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता बरतने तथा भिक्षुकों के शोषण किए जाने की चल रही जांच क्या पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो वह कब पूरी हुई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

जी हां, ।

जांच दिनांक 27-6-87 को पूरी हुई। जांच रिपोर्ट की संस्तुतियां निम्नवत् है :–

(1) श्रीमती माया बिरमानी को शासकीय सेवा से पदच्युत कर दिया जाये ।
(किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में पुनः सेवा प्राप्त करने से वर्जित)

(2) वर्ष 1980-87 तक किये गये गबन/घोटालों के लिये इस कार्यकाल में संस्था में भरणपोषण एवं विविध अन्य मदों में किये गये व्यय का न्यूनतम आधा धन इनसे वसूल किया जाय जो लगभग 6 लाख 40 हजार रु0 होगा तथा इनके विरुद्ध एक एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज कराई जाये ।

(3) श्री ए0पी0 सिंह, जो भूमि विकास बैंक में विधि सलाहकार के पद पर बताये गये हैं के विरुद्ध जालसाजी एवं घोटाला करने में सहायक होने के कारण एवं शासकीय कर्मचारियों व असहाय संवासियों को डराने, धमकाने एवं संस्था के कार्य में अप्राधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने के कारण एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज की जानी चाहिये एवं संबंधित जिलाधिकारी से इनकी बन्दूक का अनुज्ञा पत्र रद्द करने हेतु आदेश पारित किये जाने चाहिये ।

(4) श्री रोशन लाल, स्टोरकीपर, श्री रामसिंह, काष्ठ कला प्रशिक्षक व श्री कन्हैया लाल, चौकीदार को अनुत्तरदायी ढंग से श्रीमती माया बिरमानी के डर से पुसंत्व खोने एवं अभिलेखों पर अप्राधिकृत/अनुचित ढंग से हस्ताक्षर करने हेतु भर्त्सना प्रविष्टियां दी जायं ।

(5) श्री पी0 आर0 सोनकर, वरिष्ठ सम्परीक्षक, सम्परीक्षकगण सर्वश्री ज्ञान प्रकाश सक्सेना, एल0 पी0 मिश्रा एवं जी0 जी0 श्रीवास्तव को सम्परीक्षा सही ढंग से नियमानुसार न करने हेतु एवं तथ्यों को छिपाने हेतु विशेष भर्त्सना प्रविष्टियां दी जायें एवं उनकी सत्यनिष्ठा रोक दी जाय ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीया मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 27-6-87 को जांच पूरी हुई है और उत्तर में बतायी गयी संस्तुतियां की गयी हैं । मैं जानना चाहूंगा कि ये जो संस्तुतियां की गयी हैं, इस आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? दूसरी बात यह जो जांच रिपोर्ट दी गयी है, तो इससे पहले भी 15-9-82 को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद और 1-9-83 को नगर मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने भी जांच रिपोर्ट दी थी, क्या यह जांच रिपोर्ट वही है या दूसरी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उन्होंने दो प्रश्न किये हैं, आप उनको दोहरा दीजिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा, जिले से उनके संबंध में जांच रिपोर्ट आयी थी उसके परिपेक्ष में श्रीमती माया बिरमानी को 13-8-86 को निलम्बित किया गया था और एक जांच बिठायी गयी थी जिसे उस समय के श्री रमेश कुमार द्वारा स्वयं जांच की गयी और उनकी जांच रिपोर्ट 27-6-87 को आयी है । हमने उस समय श्रीमती माया बिरमानी को, इस रिपोर्ट के पश्चात डिसमिस करने का निर्णय लिया और इसके लिये हमने लोक सेवा आयोग से अनुज्ञा मांगी । लोक सेवा आयोग ने 19-10-87 को हमको आज्ञा दी । इसके अनुसार 1-12-87 को श्रीमती माया बिरमानी को दण्डादेश दिया गया और उनकी सेवा से पदच्युत कर दिया गया और डिसमिसल आर्डर भी उनको सर्व करा दिया गया ।

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक महिला की सर्विस का प्रश्न है मंत्री जो स्वयं ही महिला हैं, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि कोई उच्चस्तरीय कमेटी बैठा कर इस मामले की पुनः जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

जब डिसमिस ही कर दिया तो अब क्या रह गया ?

श्री मित्रसेन–

फिर भी मान्यवर, मंत्री जी से उत्तर तो दिला दीजिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा और वह पकड़ा जायेगा, वहां पर इसी प्रकार का निर्णय हमारा अन्तिम है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक जितने पुरुष वर्ग के लोग थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई श्रीमती माया बिरमानी के घोटाले को पकड़ने की, लेकिन माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने महिला होते हुए भी उनको डिसमिस कर दिया लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो पुरुष वर्ग माया जी के सहयोग में सहायक हुआ था क्या उनको भी इस परिप्रेक्ष में पदच्युत किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जो और हमारे विभाग के अन्य कर्मचारी थे उनके विरुद्ध जो हमने एक्शन लिया है वह हमने आपको बतला दिया, परन्तु मुझे ऐसा आभास होता है कि मा0 सदस्य का तात्पर्य श्री ए0 पी0 सिंह से है । उनका कोई संबंध हमारे विभाग से नहीं है जैसा कि जांच रिपोर्ट में भी कहा गया है कि हमने उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज कराने के आदेश पारित कर दिये हैं और जिलाधिकारी से भी अनुरोध किया है कि उनकी गन का लाईसेन्स रद्द कर दिया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह–

मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि करीब 6 लाख रुपए का गबन हुआ है तो उस रकम को वसूल करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह तो चार्ज सिद्ध ही हो गया है और हमने आर्डर भी दे दिये हैं, समय आने पर नियमानुसार कार्यवाही भी होगी । इस संबंध में जो कोर्ट का आर्डर है उसे मैं सदन में पढ़ कर सुनाये देती हूं कि 14-12-1987 को कोर्ट ने अपने आर्डर से टेम्पोरेरी रिलीफ दिया है कि अभी वसूली रोक दी जाये । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जब डिसमिसल हो गया तो और रहा ही क्या ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सरकार ने जो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट जिलाधिकारी, इलाहाबाद को लिखाने के बारे में निर्देश दिये हैं, तो उसके बारे में जिलाधिकारी, इलाहाबाद से कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, कार्यवाही हो रही है । मैंने आज ही लिखित और जबानी निदेशक समाज कल्याण को आदेश दिये हैं कि तुरन्त एफ0 आई0 आर0 लाज करा दी जाये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगी चूंकि श्रीमती माया बिरमानी 1980 से 1987 के बीच काफी भ्रष्टाचार में लिप्त रहीं और इस अवधि में उन्होंने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों, जिन्होंने उनके द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं दिया, के विरुद्ध अर्नगल आरोप लगाकर उनको प्रतिकूल प्रविष्टियां देकर रिवर्ट कर दिया है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेगी और निर्दोष व्यक्तियों की सजा को समाप्त करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अगर माननीय विधायक जी इस संबंध में स्पेसिफिक जानकारी दे दें कि किस अधिकारी के विरुद्ध गलत तरीके से कार्यवाही की गयी है या दण्ड दिया गया है, तो मैं अवश्य ही उसकी जांच कराऊंगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश की भ्रष्ट महिला जो राजनैतिक लोगों को और अफसरों को अपने बगल में दबाकर चलती थी, उस महिला के खिलाफ . . . . .

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आप क्यों एक महिला के पीछे हैं, उसका डिसमिसल हो गया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो कर्मचारी पर्यवेक्षक, सहायक अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों ने उनका सहयोग नहीं दिया, उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है । मैं चाहूंगा कि 1980 से 1986 तक जिन कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, उनको समाप्त कराने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इस विषय में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

*1–श्री किरन पाल सिंह–

[दिनांक 14-2-86 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजियाबाद के थाना दादरी में हुई भीषण दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान

*2–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-11-85 की सायं 3 बजे धूम दादरी थाना दादरी जिला गाजियाबाद के मध्य हुयी एक भीषण बस दुर्घटना में हताहत 7 व्यक्तियों को कोई मुआवजा विभाग द्वारा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुन्शी)–

जी हां, मुआवजे की धनराशि रु0 32,500/- मृतकों के आश्रितों को वितरित करने के लिए दिनांक 6-7-87 को जिलाधिकारी, गाजियाबाद को स्वीकृत कर दी गई है।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, मौत हवाई जहाज के एक्सीडेन्ट से हो या रेल के एक्सीडेन्ट से हो या अन्य किसी प्रकार से हो, मौत तो मौत होती है, तो फिर इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को इतनी कम धनराशि स्वीकृत करने का आधार क्या है ? रुपया 32,500 स्वीकृत किया गया है, तो इतनी कम धनराशि स्वीकृत करने का क्या आधार है?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, मुआवजा वितरण की स्वीकृति में जो विलम्ब हुआ यात्रीकर बीमा योजना के अन्तर्गत जिन बसों का बीमा होता है और उनमें दुर्घटना होने पर बालिग को 20 हजार रुपया और नाबालिग को 10 हजार रुपया देने का प्राविधान है। यह दुर्घटना टेम्पो में बैठने वालों की हुई है। इस सम्बन्ध में जो नियम है उसके आधार पर बालिग को 5000 रुपया और नाबालिग को ढाई हजार रुपया देने का प्राविधान है। इसलिये 6 मरने वालों को 30 हजार और एक नाबालिग को 2500 रुपये, इस प्रकार 32,500 रुपया मुआवजा स्वीकृत हुआ है। यह गाजियाबाद के जिलाधिकारी को दे दिया गया है जो सम्भवतः बंट गया होगा, ऐसी जानकारी है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह दुर्घटना 11-11-85 को हुआ और अभी तक मरने वालों के सम्बन्धित परिवार वालों को नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों तक मुआवजा लम्बित रखने का क्या कारण है? क्या आप सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे?

श्री राम नाथ मुन्शी–

मान्यवर, पैसा अवश्य जल्दी मिलना चाहिए था, किन्तु इसकी मजिस्टीरियल जांच 30-4-86 को मिली । पहले 6 आदमियों की मिली थी । जिलाधिकारी की चिट्ठी 7 तारीख को मिली । उसकी पुष्टि करानी पड़ी । इसी वजह से इसमें विलम्ब हुआ । वैसे जिस स्तर पर विलम्ब हुआ होगा, उसको मैं दिखवा लूंगा और उचित कार्यवाही की जायेगी ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अमूमन यह होता है कि ऐसी दुर्घटनाओं में पैसा मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि मृतक के परिवार वालों को तीन माह के अन्दर पैसा मिल जाय, ऐसी आप कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री राम नाथ मुन्शी–

श्रीमन् इसका प्राविधान बना हुआ है। उसके अन्तर्गत जांच आवश्यक है और पुष्टि होने पर जल्दी से पैसा देने का प्राविधान है।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री संजय सिंह ने दिनांक 24-7-86 को एक बयान अखबारों में दिया था कि ऐसे मृतकों के प्रत्येक परिवार वालों को 35 हजार की धनराशि दी जायेगी और अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मृतक के परिवार को 20 हजार रुपये देने का प्राविधान है। तो कौन सी बात सही है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति मर गया था और उसकी विधवा को विभाग ने 15 हजार रुपया दिया था और शेष 20 हजार के लिए वह भटक रही है। तो आप कृपया यह बतायें कि 35 हजार रुपया मिलना है या 20 हजार मिलना है?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, इसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की परिवहन की दुर्घटनाओं पर मृतकों का विभिन्न रूप से मुआवजे की धनराशि दी जाती है। इस सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश स्तर पर कोई एक सी नीति निर्धारित करने की कृपा करेंगे कि सबको रुपया एक समान मिले?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न दें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की परिवहन सम्बन्धी दुर्घटनाओं पर मृतकों में किसी को 5 हजार, किसी को 10 हजार, किसी को 15 हजार और किसी को 20 हजार रुपया दिया जाता है। तो क्या कोई प्रदेश स्तर पर ऐसी नीति निर्धारित करेंगे जो सबके लिये समान हो?

श्री राम नाथ मुंशी–

जो नीति बनी है, वह सक्षम है और नई नीति की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस थाना, निजामाबाद (आजमगढ़) के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

***3–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 मई, 85 को या उसके आस-पास उन्हें श्री अनिरुद्ध सिंह, अध्यक्ष जनता पार्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद के विरुद्ध एक शिकायती पत्र मिला, जिसमें एक शिकायत यह भी है कि

उपर्युक्त थाने के पुलिस कर्मियों ने ग्राम सहरिया थाना निजामाबाद निवासी लस्करी व दो हरिजनों को अकारण हस्बबेजा में रखा और तस्करी के 6 थान व जेवरात भी गायब कर लिये? यदि हां, तो शिकायती पत्र में अंकित आरोपों पर क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायतों के संबंध में ही श्री लस्करी राम द्वारा स्वतः भी शिकायती पत्र दिये गये थे, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी, नगर आजमगढ़ द्वारा कराये जाने पर आरोप सिद्ध न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अनिरुद्ध सिंह अध्यक्ष जनता पार्टी विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ का पुलिस थाना निजामाबाद के विरुद्ध दिनांक 21, 22 मई, 1985 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, वह क्या था? दूसरी बात मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जांच क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ द्वारा कराये जाने पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह जांच रिपोर्ट क्या थी क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस प्रश्न के संबंध में जो उत्तर प्राप्त हुआ और जो कुछ उत्तर मैंने दिया उसके अतिरिक्त सूचना नहीं थी इसीलिये मैंने यह निर्देश दिये हैं कि जो अपूर्ण सूचना देने के कारण अपराधी है उनके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाय।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें आरोप सिद्ध नहीं पाया गया और अभी कह रहे हैं कि हमको सूचना पूर्ण मालूम नहीं है। तो स्वयं इनके उत्तरों में विरोधाभास है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रश्न को स्थगित करके पूरी सूचना आने के बाद ही सही उत्तर विधान सभा में देने का कष्ट करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सूचना पूरी मंगाने के बाद अवश्य उत्तर दिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जांच के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जांच सी0 ओ0 से करायी गयी कहा है वह तो लोगों से पैसा वसूलने वाला अधिकारी है। क्या उसके अलावा किसी दूसरे अधिकारी से जांच करायेंगे? चाहें एस0 पी0 से कर लीजिये या विजिलेंस अथवा सी0 आई0 डी0 वालों से करा लीजिये।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जब प्रश्न का उत्तर देना हमने स्वीकार कर लिया है और यह कहा है कि जितनी सूचना आई है वह पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त सूचना प्राप्त करने के लिये जो भी आवश्यक होगा वही किया जायेगा।

[सोमवार, दिनांक 4 जनवरी, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री मित्रसेन यादव सा0 वि0 स0 पर प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच

***1—श्री मित्रसेन—**

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी0 आई0 जी0 परिक्षेत्र फैजाबाद को प्रश्नकर्ता का माह जुलाई/अगस्त, 1987 में कोई पत्र असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमले एवं साजिशपूर्ण कार्यवाही करने वालों के नाम सहित प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त पर कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप ही दिनांक 30-8-87 को नौगवां थाना खण्डासा मुख्य मार्ग पर आते समय दिन दहाड़े प्राणघातक हमले किये गये? यदि हां, तो पत्र में नामित तथा हमले के मुख्य-मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

जी नहीं। श्री मित्रसेन यादव की सुरक्षा हेतु एक हेड कांस्टेबिल तथा दो कांस्टेबिल सशस्त्र नियुक्त किये थे। पत्र में नामित व्यक्ति निम्नलिखित हैं :—

(1) आर0 बी0 सिंह, बघेल, थाना इंचार्ज मवई बाराबंकी।
(2) राम अधार राय, थाना इंचार्ज, इनायतनगर, फैजाबाद।
(3) माताबक्श सिंह, ग्राम मानडीह, थाना खण्डासा, फैजाबाद।
(4) राम मूरत मित्र ग्राम बस्ती।
(5) ओम प्रकाश सिंह, जिला-बाराबंकी।
(6) ओंकार सिंह जिला-गोरखपुर।
(7) महेन्द्र सिंह ग्राम सिधौना, थाना कुमारगंज, फैजाबाद।
(8) भगेल, ग्राम रताए, थाना-कुमारगंज, फैजाबाद।
(9) दल बहादुर ग्राम इछोही, थाना-खण्डासा, फैजाबाद।
(10) लल्लन दूबे, ग्राम इछोही, थाना—खण्डासा, फैजाबाद।
(11) सतीदीन ग्राम जमुआ, थाना इनायतनगर फैजाबाद।
(12) शिवाकान्त ग्राम करनपुर थाना-खण्डासा, फैजाबाद।
(13) राजेन्द्र सिंह ग्राम मुगीशपुर थाना-इनायतनगर, फैजाबाद।
(14) कल्लू सिंह ग्राम महुआ थाना खण्डासा फैजाबाद एवं कुछ अन्य व्यक्ति।

हमने के मुख्य अभियुक्त कौन हैं इस सम्बन्ध में डी0 आई0 जी0 जांच प्रचलित है।

श्री मित्रसेन—

अध्यक्ष जी मैंने 17 जुलाई को डी0 आई0 जी0 को एक पत्र लिख कर अवगत कराया था कि यह लोग मेरे खिलाफ इस तरह की साजिस कर रहे हैं और फिर 30 अगस्त को मेरे ऊपर बम से हमला हुआ जिन लोगों के नाम मैंने दिये हैं 30 अगस्त, के हमले के संबंध में उसनें जो नाम दिये हैं उनमें से इस सूची में नम्बर 3 पर माता बक्श सिंह तथा नम्बर 14 में कल्लू सिंह उस समय मौजूद थे और उन्होंने बम फैंका

उससे इनका ही कर्मी हेड कानिस्टेबुल घायल हुआ था और उसकी मैगजीन खराब हुई पाई गयी। फिर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय मामला सी0 आई0 डी0 में देने का क्या कारण है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, निष्पक्ष जांच हो जाय क्योंकि उसमें दो थानाध्यक्षों के नाम दिये गये हैं। इसकी जांच पुलिस द्वारा कराने पर इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है कि पक्षपात हो रहा है। इसीलिये सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जा रही है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, प्रश्न साधारण सा है कि श्री मित्रसेन पर 30-4-87 को प्राणघातक हमला किया गया, उन्होंने आंख से घटना देखी है, घटना के गवाह मौजूद हैं तो फिर मुल्जिमों को गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है और मामले को लटकाने के लिये जांच सी0 आई0 डी0 को दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

माननीय सदस्य ने जो सूचना पत्र डी0 आई0 जी0 को दिया था उसमें जिन व्यक्तियों के बारे में बताया था और कहा था कि इनसे हमको खतरा है । उनकी तुरन्त सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी थी और इतनी माकूल व्यवस्था थी कि एक हेड कांस्टेबिल और दो कांस्टेबिल थे स्टेनगन थी, रायफलें थीं और पत्र में उन्होंने स्वयं कहा है कि जीप में दाईं तरफ एक कांस्टेबिल स्टेनगन लेकर बैठा था और पीछे रायफलधारी कांस्टेबिल थे। सारी व्यवस्था के बावजूद माननीय सदस्य की दुश्मनी बहुत ज्यादा है उस जिले में, बहुत से केसेज चल रहे हैं, पहले चल चुके हैं, ऐसी स्थिति में शासन ने उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की और जब घटना हो गयी तो उसकी निष्पक्ष जांच हो जाये, दुश्मनी के कारण किसी का नाम एफ0 आई0 आर0 में नहीं आये, इसलिये इसकी जांच की व्यवस्था सी0 आई0 डी0 से की गयी ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, इसमें दो बातें खास हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं, एक तो श्री मित्र सेन ने पहले से एक पत्र दिया था कि इन इन लोगों से उनको खतरा है, दूसरी बात इन पर हमला हुआ तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई । इन दोनों को मिलाकर मंत्री जी स्थिति रख रहे हैं । मान्यवर, स्पष्ट नाम एफ0 आई0 आर0 में लिखाये गये हैं जबकि मंत्री जी हवाला दे रहे हैं जो पहले पत्र था जिसमें लोगों की नाम लिखाये थे कि इनसे खतरा है । मान्यवर, हमला तो अगस्त में हुआ और मुल्जिमों के नाम स्पष्ट रूप में लिखाये हैं और किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी का नाम नहीं है कि मौके पर हाजिर थे । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शासन की नीति है कि मुल्जिमों की तरफ से सी0 आई0 डी0 जांच करवाकर मामले को लटकाया जाये ऐसी स्थिति में जब माननीय सदस्य को तकलीफ पहुंची है तब एफ0 आई0 आर0 लिखवाई है, सी0 आई0 डी0 जांच के लिये निवेदन नहीं किया था लेकिन मुल्जिमों की दरख्वास्त को स्वीकार करते हुए, एक एक्टर हैं, निर्मल खत्री, उनके कहने पर, दबाव में सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये गये हैं, यदि सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सामान्य नियम है उसके अन्तर्गत सी0 आई0 डी0 जांच समाप्त करके एफ0 आई0 आर0 के अनुरूप कार्यवाही क्या आप करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने इससे पहले निवेदन किया है कि किसी भी दबाव में सी0 आई0 डी0 जांच नहीं हो रही है । सी0 आई0 डी0 जांच इसलिये हो रही है कि चूंकि मामला गम्भीर है और इन्होंने जो शिकायत की थी और एफ0 आई0 आर0 में जो नाम इससे घटना में लिखाये इसके अलावा सन्देह भी कुछ लोगों पर प्रकट किया है... तो यह मामला बिलकुल स्पष्ट हो जाए, इसलिए सी0 आई0 डी0 की जांच कराने के आदेश दिये गये हैं । नम्बर 2, जिन मुलजिमों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 उन्होंने कराई है, उनको गिरफ्तार करने के लिए तुरन्त आदेश दिये गये हैं, और सी0 आई0 डी0 जांच के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है कि 3 माह के अन्दर सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ जाए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सी0 आई0 डी0 की जांच किस के प्रार्थना पत्र पर बिठाई गई है, और दूसरे उन मुलजिमों की गिरफ्तारी के आदेश कब किये गये तथा कौन-कौन मुलजिम गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सी0 आई0 डी0 जांच की संस्तुति वहां के डी0 आई0 जी0 ने की थी और गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एफ0 आई0 आर0 होने के बाद से ही चल रही है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, इसके पहले एक बात का प्रतिवाद कर दूं, जो मंत्री जी ने कहा कि मित्रसेन की दुश्मनी के कारण, तो माननीय गृहमंत्री जी की जनपद उन्नाव में भी बहुत दुश्मनी है, कि क्या यह सही है कि एक बार मुख्य मंत्री ने यह आदेश कर दिये थे, जब हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें जेड0 ए0 अहमद भी थे उनसे मिला था कि इसमें सामान्य पुलिस से जांच करायी जाए, पर बाद में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता के दबाव के कारण सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये गये हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह सही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आखिरी सवाल सिर्फ मित्रसेन यादव जी का होगा । (व्यवधान) उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डी0 आई0 जी0 ने इस घटना में सी0 आई0 डी0 जांच की संस्तुति कब की? क्या घटना की एफ0 आई0 आर0 होने के बाद सी0 आई0 डी0 जांच की संस्तुति निर्मल कुमार खत्री की संस्तुति पर या उनके पत्र के आधार पर की गई ? उसमें उनका यह पत्र लगा है या नहीं ? घटना के और उनके पत्र के बाद डी0 आई0 जी0 से रेकमेन्डेशन मांगी गई या नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने साफ शब्दों में कहा है, किसी के दबाव में सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश नहीं दिये गये और नम्बर–2, . . . (व्यवधान) अभी मैं उत्तर दे रहा हू . . . (व्यवधान)

श्री अकबर हुसेन बाबर–

सीधे बोलिये निर्मल कुमार खत्री की चिट्ठी उसमें लगी है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, मित्रसेन जी ने सवाल किया है कि किसी के दबाव में आकर यह किया है, कोई पत्र आया या नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

कोई दबाव में नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या 2, राजकिशोर सिंह जी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

हमारे माननीय सदस्यों को इसमें स्पष्ट पूछना यह था कि माननीय सांसद निर्मल खत्री का कोई पत्र आया या नहीं? मैं मानता हूं कि दबाव में कोई कार्य किया गया लेकिन मैं यह जानकारी चाहता हूं कि यदि खत्री जी का कोई पत्र आया है, तो उसमें क्या मांग की गई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

इस तरह के कोई पत्र की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह अपने समुदाय के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

राजा बलवंत सिंह कालेज, आगरा के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध आरोपों की जांच कार्यवाही

*2–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा बलवंत सिंह कालेज आगरा के शिक्षक व कर्मचारियों द्वारा कालेज के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध दिनांक 31-7-86 को एक ज्ञापन शिक्षा सचिव को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जी हां ।

इसमें उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई थी । जांच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर शासन द्वारा कालेज के प्रबंधतंत्र के विरुद्ध राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 तथा 58 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और कालेज में प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा नियुक्त है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें लिखित ज्ञापन में मुख्य आरोप क्या-क्या थे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, ज्ञापन जो है वह अंग्रेजी में है और वहुत लम्बा-चौड़ा है अगर आपकी आज्ञा हो तो इसे पढ़ दूं?

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, पढ़वा दें ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जे0 ई0 सी0 द्वारा एजुकेशन सेक्रेट्री को प्रेषित पत्र, . . .

श्री अध्यक्ष–

इस पत्र को पढ़ा हुआ मान लेते हैं। इसको कृपया पढ़ें नहीं ।

(पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस ज्ञापन में जो आरोप थे उसकी जांच करने वाले कौन अधिकारी थे और इनकी संस्तुतियां क्या हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, 31-7-86 का पत्र जो सेक्रेट्री एजुकेशन के नाम था जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उसकी जांच वाइस चांसलर के माध्यम से तथा शिक्षा उच्च निदेशालय के माध्यम से कराई थी । मान्यवर, उनकी जांच आख्या के बारे में संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि दोषी पाये गये, वैसे यह जो जांच आख्या है यह बहुत मोटी है। दो-तीन घंटे में एक पढ़ी जा सकेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जांच आख्या में जो दोषी पाए गये वह कौन लोग दोषी पाए गये उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाना शासन के विचाराधीन है या उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो गई है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, वहां की प्रबन्ध कारिणी दोषी पाई गई उसमें दफा 57-58 के अन्तर्गत प्राधिकृत त्रियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

किन-किन लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गये मेरी जानकारी के अनुसार पैसे के दुरुपयोग और गबन के आरोप पाए गये हैं, यदि यह आरोप सही पाए गये तो क्या उनसे पैसा वसूल किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही विचाराधीन है या कोई कार्यवाही शासन ने की है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

नियमानुसार अगर कहीं ऐसा होता है तो उसको निलम्बित कर दिया जाता है। वहां साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जानना चाहा था कि जो पैसों का गबन किया गया उसके बारे में जो दोषी पाये गये हैं क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही की जायेगी । पैसा वसूलने के बारे में शासन द्वारा क्यों मौन धारण किया जा रहा है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, इसका स्पेशल आडिट कराया गया है और स्पेशल आडिट में यही चीज पायी गयी है । ऐसी बात मिलने पर यह जो उनको अधिकार है वह हम वापस ले लिए है और वहां पर साधिकार नियंत्रक को नियुक्त कर दिया गया है। यही नियम है।

काकोरी बेहटा मार्ग को पेन्टेड कराने की मांग

*3–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम बेहटा तक जाने वाली खड़ंजा निर्मित सड़क तथा उक्त सड़क से ग्राम लीला खेड़ा होकर मलहा जाने वाले मार्ग को पक्का किये जाने के संबंध में मा0 मान्धाता सिंह एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 22-9-86 व 23-4-87 उन्हें प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी हां। काकोरी बेहटा मार्ग को पेन्टेड कराने के लिए तैयार किये गये एस्टीमेट के अनुसार 11.42 लाख रुपयों की धनराशि आवश्यक होगी जिसमें सामग्री अंश पर अधिक व्यय होने के कारण एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना से व्यय किया जाना संभव नहीं है। ग्राम लीला खेड़ा से मलहा होकर जाने वाला सम्पर्क मार्ग ढाई कि0 मी0 खड़ंजा स्तर का बना है और केवल एक ही ग्राम को जोड़ता है। इसकी पेटिंग कराना संसाधनों के अभाव में सम्भव नहीं है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि काकोरी बेहटा मार्ग को पेन्टेड कराने के लिए 11 लाख 42 हजार रुपयों की धनराशि चाहिए जिसके कारण यह एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत व्यय किया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से दो प्रश्नों के बारे में जानकारी चाहता हूं। पहला यह है कि 11.42 लाख रुपयों के कारण यह कार्य कराना सम्भव नहीं है या एन0 आर0 ई0 पी0 या आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के कारण संभव नहीं है। दूसरी चीज यह है कि मंत्री जी ने कहा है कि ग्राम लीला खेड़ा से मलहा होकर जाने वाला सम्पर्क मार्ग ढाई कि0 मी0 खड़ंजा स्तर का बना है जो केवल एक ही ग्राम जोड़ता है। तो वह कौन सा गांव है और उस गांव की आबादी कितनी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के तहत जो भी धनराशि होती है उसका आधा भाग श्रम अंश पर और आधा भाग मैटीरियल पर खर्च किया जाता है। इस सड़क को पेंटेड कराने हेतु 11 लाख 42 हजार रुपयों की आवश्यकता होगी जिसका ज्यादा भाग मैटीरियल पर खर्च होगा जो भारत सरकार के निर्देशों के तहत अनुमन्य नहीं

है इसलिए एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के रुपयों से पेंट कराना संभव नहीं है। दूसरे जो गांव का नाम आपने पूछा है तो उस गांव का नाम मलहा है जिसको यह सड़क जोड़ती है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि इस ग्राम की आबादी कितनी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, खड़ंजा स्तर तक यह बन गया है। इसको पेंट कराना संभव नहीं है क्योंकि संशाधन कम है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि जो धनराशि केन्द्र से मिलती है ग्रामीण रोजगार योजना के तहत उसका आधा भाग सामग्री पर और आधा भाग श्रम सृजन पर खर्च किया जाता है तो यह जो योजना है उस पर आधा-आधा है या जो पूरे जिले का आकार है उसको देखते हुए आधा श्रम सृजन पर और आधा सामग्री पर खर्च किया जाता है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सभी योजनाओं को मिलाकर।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 11 लाख 42 हजार रुपये की धनराशि पेंट कराने पर खर्च होगी जो बड़ी धनराशि है। लेकिन अगर कोई बड़ी सड़क होती है तो उसके अन्तर्गत यह नीति रहती है कि उस सड़क को टुकड़ों में बना लिया जाय। पहले एक चौथाई बनाया जाय और फिर आधा हिस्सा बनाया जाय। यह सड़क बड़ी अहम सड़क है। स्मारक बन जाने से इस सड़क की अहमियत और बढ़ जाती है। तो क्या यह व्यवस्था करेंगे कि पहले चौथाई हिस्सा बना लें फिर अगले प्लान में बनवा लें ताकि 11 लाख 42 हजार का जो मामला है वह हल हो जाय और यह सड़क बन जाय?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, एन आर0 ई0 पी0 की योजना की संरचना और उसकी स्वीकृति डी0 आर0 डी0 ए0 से होती है, शासन से नहीं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजनाएं जो केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित हैं, उनमें आधा श्रम और आधा मैटेरियल पर खर्च किया जाना है, पी0 डब्लू0 डी0 के अलावा अन्य विभागों द्वारा जो सड़कों के कार्य कराये जा रहे हैं, वह केवल खड़ंजा स्तर पर ही रह जाते हैं और खड़ंजा बाद में कट कर खराब हो जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी अपने मंत्रिमंडल से इस तरह का विचार करने का कष्ट करेंगे कि जितनी भी पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा सड़कें बनायी जानी हैं, उनका पूरा अर्थ वर्क और खड़ंजा एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 में अन्य विभागों द्वारा करा कर पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा उनको सबको पेंट कराया जाय, ताकि एक स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण हो सके?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह तो संसाधनों की उपलब्धिता पर निर्भर करेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, काकोरी से बेहटा और बेहटा से लीलाखेड़ा होकर मलहा जाने वाला मार्ग ढाई किलो मीटर मंत्री जी ने बताया और काकोरी से बेहटा भी ढाई किलो मीटर होगा। इस प्रकार कुल लम्बाई 5 किलो मीटर पर कुल व्यय 11 लाख आयेगा। तो क्या माननीय मंत्री जी दो वर्षों में 5–5 लाख रु0 व्यय कर ढाई-ढाई किलो मीटर की सड़क पिच करवाने का कष्ट करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह शासन स्तर से नहीं होनी है, यह डी0 आर0 डी0 ए0 से होनी है। मान्यवर, इसको डी0 आर0 डी0 ए0 में रखा कर हल करा लें।

श्री अशोक बाजपेयी–

क्या माननीय मंत्री जी जनहित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से अनुरोध करने की कृपा करेंगे कि एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के लिए अनुमन्य शर्तों जिनसे कि विकास कार्यों में व्यवधान पड़ता है, का शिथिलीकरण किया जाय, क्या ऐसा अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो ऐसी सिफारिश न किये जाने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 की जो शर्तें हैं, वह जनहित की शर्तें हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि सभी योजनाएं मिला कर आधे में श्रम सृजन और आधी धनराशि में मैटेरियल खरीदने की व्यवस्था है। तो क्या आधे रुपये में डी0 आर0 डी0 ए0 इस प्रकार की शेष कामों पर पेंट कराने का काम करना चाहें, तो क्या माननीय मंत्री जी डी0 आर0 डी0 ए0 को इस प्रकार का काम करने की अनुमति देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, डी0 आर0 डी0 ए0 इसका निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है।

प्राचार्य, रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी (बस्ती) को शुल्काय के धन को वेतन संदाय के खाते में जमा करने के आदेश

*4–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या (डा0 एस0 एस0 खन्ना) उप सचिव शिक्षा अनुभाग (11) ने दिनांक 11 मार्च, 1984 को अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 89/15-84(11) (4) (14 ए)/83 द्वारा प्राचार्य रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी जनपद बस्ती को 1978-79 से वर्ष 1982-83 तक के शुल्क की आय का दो लाख छत्तीस हजार रुपया वेतन संदाय खाते में जमा करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो वर्ष

1978 से 1983 तक के शुल्क की धनराशि किन कारणों से समयानुसार वेतन संदाय खाते में नहीं जमा की गयी? यदि हां, तो दोषी प्राचार्य के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? उक्त धनराशि कब और कितनी जमा की गयी?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

उक्त कालेज के प्राचार्य को तत्कालीन उप सचिव शिक्षा (डा0 एस0 एस0 खन्ना) द्वारा अर्ध शा0 प0 सं0 891/15-11-84-4(14 ए)/83 दिनांक 1 मार्च, 1984 द्वारा शुल्कायं के रुपया 2,36000/- वेतन संदाय खाते में जमा करने के आदेश भेजे गये थे। महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षा निदेशक (उ0 शि0) से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रों से शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि समय से न प्राप्त होने, बाढ़ एवं सूखे के कारण शुल्क मुक्ति हेतु अनुदान विलम्ब से मिलने, शैक्षिक सत्र में व्यतिक्रम होने, हरिजन छात्रों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान विलम्ब से मिलने के कारण ।

प्राचार्य को कम जमा शुल्काय की पूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये।

विवरण नीचे अंकित है :–

वर्ष	धनराशि जो जमा होनी चाहिये रु0 पै0	धनराशि जो जमा की गयी रु0 पै0
1978-79	93,973-60	74793-91
1979-80	1,16,229-10	67871-50
1980-81	1,39,935-45	1,10,188-79
1981-82	1,54,320-09	85,682-70
1982-83	1,58,729-04	81,329-90
1983-84	1,80,877-20	1,77,484-34
1984-85	1,73,890-00	2,76,164-40
1985-86	2,19,654-90	2,76,554-44
1986-87	1,65,055-20	2,35,380-30

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में ही जानना चाहता हूं, आपने अभी जवाब में कहा कि संलग्न में लगा हुआ है। मान्यवर, इसमें कम से कम 9–10 वर्षों का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इसको पहले देखे हुए होते तो निश्चित रूप से कार्रवाई स्वयं करते जैसे 1978-79 में तिरानवे हजार नौ सौ तिहत्तर रुपये साठ पैसे जमा होने चाहिए थे लेकिन जमा किया गया 74,793.91 रु0, इसी प्रकार से वर्ष 1979-80 में रु0 1,16,229.10 जमा होना चाहिए था लेकिन 67,871.50 रु0 की धनराशि जमा की गयी। इस प्रकार से मान्यवर, 10 सालों में कम से कम 7 वर्षों में हजारों रुपये नहीं जमा किये गये मैं समझता हूं कि इस तरह से जो देय शुल्क जमा करने के लिए रहता है, उसको न जमा करना और सरकारी धन को अपने पास व्यक्तिगत हित में उपयोग करना सरकारी धन का दुरुपयोग है तथा यह गबन का चार्ज नहीं बनता है? इस पर माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जो त्रिपाठी जी ने प्रश्न किया वह सूचना इसमें दी हुई है। यदि हम देखें कि वर्ष 78-79 से लेकर 87 तक जो शुल्क आया था, उसको जमा करना था, हमने देखा कि अधिकांश इन्होंने उसमें जमा कर दिया है और केवल 17 हजार कुछ पैसे जमा करना रह गया है उन्होंने कुछ कारण भी दिये हैं जो समुचित हैं, वह कारण हमने पढ़े नहीं थे वह मैं पढ़ रहा हूं उसमें समय से छात्रों से धनराशि प्राप्त न होना, बाढ़ एवं सूखे का कारण है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, कब कब सूखा और कब कब बाढ़ आई है आपने 9 साल में पूरा बाढ़ और सूखा का जवाब दे दिया है। इसको आप साफ साफ बतायें?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं इसे पढ़ रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह बता दें कि कार्रवाई करेंगे या नहीं?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, वर्ष 1978-79 में वेतन संदाय खाते में शुल्काय रु0 19,179.69 कम जमा किया गया। इस वर्ष बाढ़ और सूखे के कारण शुल्क मुक्ति प्रदान की गयी। जिसका रु0 35,552.00 बैंक ड्राफ्ट नं0 ओ0 एल/ए क्यू 857437 दिनांक 22-10-79 द्वारा कालेज को भेजा गया। मान्यवर, वर्ष 79-80 में वेतन संदाय खाते में शुल्काय रु0 48,357.60 कम जमा किया गया जिसमें लगभग 16 हजार रुपया छात्रों से कम प्राप्त हुआ तथा शेष के लिए प्राचार्य ने सूचित किया है कि शैक्षिक सत्र में व्यतिक्रम होने से शुल्क प्राप्त नहीं हो सका। वस्तुतः लगभग 32 हजार रुपया कम जमा हुआ है। इसमें कुछ रुपया हरिजन छात्रों की शुल्क की क्षतिपूर्ति विलम्ब से मिलना हो सकता है। मान्यवर, वर्ष 1980-81 में वेतन संदाय खाते में शुल्काय रु0 29,746.66 कम जमा हुई। इस वर्ष बाढ़ और सूखे के कारण छात्रों की शुल्क मुक्ति प्रदान की गयी जिसका रु0 36,186.00 का अनुदान शासन से मिलना था। यह अनुदान पत्रांक अर्थ/12549-50/81-82 दिनांक 20-1-84 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा गया। मान्यवर, वर्ष 1981-82 में रु0 68,637.39 वेतन संदाय खाते में कम जमा है जिसमें से रु0 61,000 छात्रों से कम शुल्काय मिलने के कारण तथा शेष भाग सम्भवतः हरिजन छात्रों की शुल्क का अनुदान विलम्ब से मिलने के कारण कम जमा है। वर्ष 1982-83 में शुल्काय रु0 77,399.14 कम जमा है। उसमें लगभग रु0 42 हजार छात्रों से कम मिला है। तथा कालेज ने बाढ़ सूखे के कारण रु0 28,749.00 की शुल्क मुक्ति प्रदान की है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, इसमें मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि जितना रुपया जमा नहीं हुआ, इसके विरुद्ध मा0 मंत्री जी स्पेशल आडिट कराने की कृपा करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

अगर हमारे मा0 सदस्य को इस बात से संतोष होता हो तो मैं अवश्य आदेश कर दूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इस विद्यालय में तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, मा0 मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जिस प्रकार की सुविधा इस विद्यालय को दी गयी है, वही सुविधा अन्य विद्यालयों को भी दी जायगी?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, यह शिक्षा का विषय है और सबको बड़ी सोच-समझ कर मौका दिया जाता है। उन्होंने जमा भी कर दिया और बड़ा दण्ड और क्या हो सकता है।

शासनादेशानुसार उपनिरीक्षकों के स्थानान्तरण आदेश

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिरीक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में नेता विरोधी दल ने दिनांक 24 अगस्त, 1987 को कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या थीं ? क्या मंत्री जी ने शासनादेश के अनुसार उन शिकायतों पर कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

मुख्य शिकायत थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार को शासकीय आदेशों के बावजूद गोरखपुर परिक्षेत्र में स्थानान्तरण पर न भेजे जाने की थी । शासन के आदेशानुसार थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार स्थानान्तरित होकर गोरखपुर परिक्षेत्र चले गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या मा0 गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो शिकायती पत्र मा0 नेता विरोधी दल की ओर से भेजा गया था, उसमें 10 थानाध्यक्षों का जिक्र किया गया था, एक का नहीं किया गया था । यदि 10 का जिक्र किया गया था तो एक के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का क्या औचित्य था । क्या यह सही है कि जिस थानाध्यक्ष को स्थानान्तरित किया गया था, उसको 6-10-87 को रिलीव किया गया, यदि हां, तो अब जबकि जवाब मा0 सदन में आना था, तो 5 माह के बाद रिलीव किया गया तो यह पांच महीने का विलम्ब किये जाने का औचित्य क्या है इसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह शासनादेश 11-7-86 को हुआ और इससे पहले, इस शासनादेश से पूर्व बहुत से थानाध्यक्ष, या बहुत से पुलिस कर्मी अपने जनपदों के समीप अपने परिक्षेत्रों में थे । शासनादेश के बाद एकाएक सभी को दूसरी जगह ट्रान्सफर करना प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं था, अतः जैसे जैसे सम्भव था, ट्रान्सफर होते रहे । मा0 नेता विपक्ष ने जो पत्र लिखा, यह पत्र 24 अप्रैल का था, उसके बाद तुरन्त 5 मई को ट्रान्सफर कर दिया गया, लेकिन जिस जनपद में वह कार्यरत था, उसके 10 थानाध्यक्षों का ट्रान्सफर होना था और इन सबका ट्रान्सफर एक साथ करना बहुत मुश्किल था, इसलिये विलम्ब हुआ । जैसा कि मा0 वर्मा जी ने कहा, कि उसका अक्टूबर में वहां से रिलीव हो गया ।

श्री राम आसरे बर्मा–

मान्यवर, पिछले सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में इसी संबंध में बताया गया है कि संबंधित थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण कर दिया गया है । मान्यवर, 6-10-87 को कार्यमुक्त किया गया था थानाध्यक्ष शुक्ला बाजार को, मैं जानना चाहता हूं कि 5 महीने की देरी जो की गयी, उसको रिलीव करने में उसके लिये कौन जिम्मेदार है और देरी का औचित्य क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जानबूझ कर कोई विलम्ब नहीं किया गया । मा0 नेता विपक्ष के पत्र के अनुसार 24 अप्रैल के बाद 5 मई की तारीख को आर्डर हो गये थे, लेकिन उसको रिलीव करने में कठिनाई यह थी कि समस्त थानाध्यक्षों को एक साथ हटाया जाना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं था और फिर कहां ट्रांसफर किया जाय यह भी विचार करना होता है, इसलिये थोड़ा विलम्ब हुआ ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, यह एक नीतिगत प्रश्न है। और नीतिगत प्रश्न के आधार पर माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने शासनादेश जारी किया और उस शासनादेश के तहत यह भावना थी कि जो-जो थानाध्यक्ष अपने गृह जनपद या उसके समीपवर्ती क्षेत्र में तैनात हैं, वहां तैनात नहीं रहेंगे, जब आपने एक शासनादेश जारी किया, उसके बावजूद आप दस थानाध्यक्षों को नहीं हटा पा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं हटा पा रहे हैं ? एक व्यवस्था में सुधार के लिये ही आपने शासनादेश जारी किया था । जो दस थानाध्यक्ष रह गये हैं, आपको समय मिल गया है, आप उन्हें कब तक वहां से हटा देंगे ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो और सब इन्सपेक्टर हैं, जो अपने गृह जनपद या समीपवर्ती क्षेत्र में तैनात हैं, उनके बारे में यदि आपको सूचना दी जायेगी, तो उनको भी हटाने की कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जितनी भी नयी नियुक्तियां हो रही हैं, वह इस शासनादेश को दृष्टि में रखते हुए हो रही है । अब कोई अपने जनपद या करीब के परिक्षेत्र में नियुक्त नहीं हो रहा है । जो पहले से नियुक्त थे, उनके लिये, जल्दी से जल्दी इस शासनादेश के परिपालन के लिये आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अब नयी नियुक्तियां इस तरह की नहीं हो रही हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं–जिला शाहजहांपुर के थाना कांठ में गया प्रसाद दुबे, जो कायमगंज शाहजहांपुर की सीमा पर रहने वाला है, दो महीने पहले नियुक्त था । आप कह रहे हैं कि अब नियुक्तियां इस तरह की नहीं हो रही हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें कब तक वहां से हटायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जैसा माननीय नेता विपक्ष ने कहा है, यदि यह नियुक्ति गलत हो गयी है, तो उसे अवश्य वहां से हटा दिया जायेगा ।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं का समय

*6—श्री बलराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्ण प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं में प्रातः 8 बजे से कक्षायें चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो समय परिवर्तन का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि इस परिवर्तन से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो लागू नई व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय बलराम यादव जी का प्रश्न था ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुचि है इसमें ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह समस्या है । सबेरे 8 बजे से ही बच्चों का सत्र प्रारम्भ हो जाता है। बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है । क्या सरकार इस समस्या को देखते हुए पूर्व जैसा पठन-पाठन का समय निश्चित करेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, 8 बजे का समय अब नहीं है । यह 9 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल के लड़के बड़े होते हैं, बड़े लड़कों का समय तो आप 10 बजे रख रहे हैं छोटे बच्चों की कक्षाओं का समय जल्दी रखा हुआ है । क्या उसी आधार पर समय 10 बजे रखने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह जो 9 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, इसमें कोई परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिये । अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र भी वही प्राथमिक विद्यालय बनाये गये हैं, समय परिवर्तन से उसमें व्यवधान पड़ेगा, इसलिये 9 बजे का समय उपयुक्त है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

ग्राम बरोरा थाना गुरुसराय जिला झांसी में दो पार्टियों के बीच विवाद सम्बन्धी पंजीकृत मुकदमों पर कार्यवाही

*7–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरोरा थाना गुरुसराय जिला झांसी में दो पार्टियों के मध्य भयंकर तनाव एवं शान्ति भंग होने की सम्भावना की सूचना दिनांक 21-4-86 को पुलिस कर्मियों द्वारा अंकित कराई गयी थी और स्थानीय पुलिस की जानकारी के बावजूद 12-6-86 को दोनों पार्टियों में संघर्ष हुआ जिस पर मुकदमा अ0 संख्या 65 तथा 65 ए क्रमशः धारा 307 एवं धारा 302 में पंजीकृत हुए? यदि हां, तो गम्भीर घटना की पूर्व सूचना होने पर भी कोई निरोधात्मक कार्यवाही न करने वाले थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21-4-86 को ग्राम बरौरा थाना गुरसराय जनपद झांसी में दो पक्षों के मध्य खेत में बैल चले जाने के प्रश्न पर विवाद होने एवं शान्ति भंग की सम्भावना की बीट सूचना गस्त पुलिस कर्मियों द्वारा थाना गुरसराय पर अंकित करायी गयी उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा जांच करने पर दोनों पक्षों में तनाव होने अथवा शांति भंग का अंदेशा नहीं पाया गया। अतः कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया था।

दिनांक 12-6-86 को ग्राम बरौरा में पेड़ काटने के विवाद पर दो पक्षों में हुए संघर्ष के संबंध में थाना गुरसराय पर मु0 अ0 सं0 65/86 धारा 307/506 भा0 द0 वि0 व 27/30 आर्म्स एक्ट तथा मु0 अ0 सं0 65ए/86 धारा 302/307/504/506 भा0 दं0 वि0 व 27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। जांच से उपरोक्त मुकदमों का दिनांक 21-4-86 की बीट सूचना से किसी प्रकार का संबंध होना नहीं पाया गया। उक्त बीट सूचना के संबंध में कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता का होना नहीं पाया गया। अतः तत्कालीन थानाध्यक्ष गुरसराय के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*8–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[2रे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में थानों की मदद हेतु गांवों में तैनात चौकीदारों को देय वेतन भत्ते

*9–श्री शारदा प्रताप–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस थानों के मदद के लिए ग्रामों में तैनात चौकीदारों को क्या सुविधायें तथा कितना वेतन भत्ता दिया जाता है? क्या इनके परिश्रम एवं महंगाई को देखते हुए कम से कम 10 रु0 प्रतिदिन पारिश्रमिक दिए जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रदेश में पुलिस थानों की मदद के लिए गांवों में तैनात चौकीदारों को वर्तमान समय में 25/- रुपया प्रति माह वेतन के रूप में 7/- रुपया प्रति माह साइकिल भत्ता के रूप में दिया जाता है। ग्राम चौकीदार अंशकालीन कर्मचारी है जिसके लिये यह प्रावधान है कि यह एक महीने में कम से कम 2 बार कानून व्यवस्था तथा दुराचारियों की गतिविधियों संबंधी सूचना देने हेतु थाने में उपस्थित हो। उपर्युक्त वेतन एवं भत्ता इसी कार्य के लिए देय है।

उपयुक्त ड्यूटी के अतिरिक्त जनहित में थाना पर सूचना देने के लिए जब कभी ग्राम चौकीदार थाना जाता है तो उसे प्रत्येक यात्रा के लिए अलग से यात्रा भत्ता देय है। यह यात्रा भत्ता एक रुपया मिलता है यदि ग्राम चौकीदार का गांव उसके थाना से 3 किलोमीटर से अधिक दूर हो तथा 2/- रुपया प्रति यात्रा यदि उसका गांव थाने से 8 किलोमीटर से दूर हो।

इसके अतिरिक्त निर्वाचन ड्यूटी पर 5/- रुपया प्रति दिवस अपने क्षेत्र के अंदर ड्यूटी हेतु तथा 6/- रुपया प्रति दिवस अपने क्षेत्र से बाहर ड्यूटी हेतु ड्यूटी भत्ता दिये जाने का भी प्राविधान है।

पत्येक ग्राम चौकीदार को पूरी वर्दी भी दी जाती है।

इनके अतिरिक्त इनके वेतन में वृद्धि का मामला शासन के विचाराधीन है।

*10–श्री हर्ष वर्धन–

[4थे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अशासकीय असहायिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को निहित अर्हताओं के आधार पर अनुदान

*11–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 84 में 315 अशासकीय गैर सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान देने का मानक आधार क्या था? इस सूची में जो वरिष्ठतम विद्यालय थे उन्हें अनुदान सूची में वंचित रखने के कारण क्या हैं? क्या शहीद भगत सिंह जू0 हा0 स्कूल मोहियापुर जिला गाजियाबाद भी उसी वरीयता क्रम सूची में था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब उससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये तो उपरोक्त विद्यालय को अनुदान सूची में वंचित रखने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी इस विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित करेंगे? यदि हां, तो कब?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1984 में अशासकीय असहायिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को राजाज्ञा संख्या 1224/15-6-12(8)/81 दिनांक 7 मार्च, 1981 में निहित अर्हताओं के आधार पर अनुदान सूची पर लिया गया था जो विद्यालय की अस्थाई एवं स्थाई मान्यता के अन्तराल, छात्र संख्या एवं परीक्षाफल के गुण लब्धांक पर आधारित था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अन्य अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय की भांति प्रश्नगत विद्यालय को भी अनुदान सूची पर लेने हेतु नियमानुसार यथासमय विचार किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा कमाण्ड एरिया के अलग से कैडर निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्णय

*12–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कमाण्ड एरिया के अलग से कैडर निर्धारित करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिसकी पुष्टि कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21-10-86 को हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में की गई है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भारत सरकार द्वारा कमाण्ड एरिया में अलग से कैडर निर्धारित करने हेतु कोई निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं। समादेश क्षेत्रों में अलग से कैडर बनाने के विषय में शासन द्वारा कई बार विचार किया गया और दिनांक 21-10-86 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस विषय पर विचार किया गया था। शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि समादेश क्षेत्र विकास परियोजनायें विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम हैं जो निर्दिष्ट योजना अवधि में समाप्त हो जायेंगे। अतः अलग से कैडर बनाने की न तो सम्प्रति आवश्यकता है एवं न ही ऐसा किया जाना जनहित में होगा।

आगरा मण्डल में खारे पानी के परिवर्तन हेतु प्रस्तावित योजना की अस्वीकृति

*13–श्री बदन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में आगरा मण्डल के जनपद आगरा, मथुरा, अलीगढ़ एवं एटा के 24 विकास खण्डों के खारे पानी के अन्वेषण, मीठे पानी का पता लगाने, खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने तथा खारे पानी के बढ़ते क्षेत्र को रोकने हेतु कोई योजना आयुक्त, आगरा ने कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई भारत सरकार को भेजी थी? यदि हां, तो उस योजना पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सही है कि मई सन् 1983 में इस योजना की स्वीकृति प्रदेश मंत्रिमण्डल की उप समिति ने आगरा मंडल के जनपद एटा में हुई बैठक में दी थी? यदि हां, तो इस योजना पर अभी तक अमल न होने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

यह योजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी, किन्तु योजना पर स्वीकृति प्राप्त न हो सकी।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नयी शिक्षा नीति के तहत अध्यापकों को श्रम कानून के अन्तर्गत लाने का कथित प्रस्ताव

*14–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत अध्यापकों को श्रम कानून के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसका आधार एवं औचित्य क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के गांव बरियापुर में दो पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था की मांग

*15–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले के कोठीभार थाना के अन्तर्गत बरियारपुर गांव में गत 15-6-87 को गन्ना समिति के चुनाव के समय एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गयी? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दोनों पक्ष के बीच वर्षों पुरानी गोड़बन्दी रही है और अनेक अपराधी मुकदमें न्यायालयों में चल रहे हैं? यदि हां, तो ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती तौर पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

थानाध्यक्ष औरास, जनपद उन्नाव के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र पर जांच

*16–श्री परागी लाल चौधरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 27 के साथ संलग्न श्री तिलाकी, निवासी ग्राम हसनपुर थाना औरास जिला उन्नाव का प्रार्थना पत्र उन्हें दिनांक 11-9-87 को मिला है जिसमें थानाध्यक्ष औरास के विरुद्ध शिकायत का उल्लेख है? यदि हां, तो क्या उस प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गयी? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, हसनगंज द्वारा करायी गयी। जांच से मामला मकान के कब्जे से संबंधित पाया गया। थानाध्यक्ष औरास द्वारा वादी प्रतिवादी दोनों को दीवानी अदालत में दावा दायर कर मकान का निपटारा करने की हिदायत दी गयी। वर्तमान में आवेदक अपने मकान में रह रहा है और उसे कोई परेशानी नहीं है, जिसके संबंध में उसने लिखित तहरीर दी है। जांच से थानाध्यक्ष औरास के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर में पुलिस द्वारा किये गये इनकाउन्टर की सी0 आई0 डी0 से जांच की मांग

*17–श्रीमती शारदा देवी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में 10 जनवरी 87 से 20 अप्रैल 87 तक कितने इनकाउन्टर पुलिस द्वारा किये गये और उनके नाम से किस-किस थाने में संगीन अपराध दर्ज थे तथा किन-किन मामलों में सजा हुयी थी? क्या यह सत्य है कि जिन-जिन आदमियों का पुलिस ने इन्काउन्टर किया है उन आदमियों को घर से या रास्ते से पकड़ कर पुलिस ने इनकाउन्टर किया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों की सी0 बी0 आई0 जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना इनायतनगर, फैजाबाद के अभियुक्तगणों को चिकित्सा हेतु अस्पताल में दाखिल

*18–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना इनायत नगर जिला फैजाबाद के दो सब इन्सपेक्टर तथा दो सिपाहियों के विरुद्ध कतल का मुकदमा कायम हुआ है और वह गिरफ्तार होकर सी0 जे0 एम0 के कोर्ट में लाये गये और जी0 जे0 एम0 ने जेल में दाखिल करने का आदेश दिया? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन चारों अभियुक्तों को दिसम्बर, 86 को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बावजूद जेल न भेजकर अस्पताल में भर्ती कराया गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। थाना इनायत नगर पर मुकदमा अ0 सं0 415/86 धारा 304 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ।

अभियुक्त गण को जेल ले जाते समय अभियुक्तों के पेट में दर्द, सीने में दर्द व उल्टी होने व हालत खराब होने के कारण सदर अस्पताल में आकस्मिक मेडिकल आफिसर के समक्ष उपचार हेतु पेश किया गया, जिन्होंने सभी अभियुक्तों को अस्पताल में दाखिल कर लिया। किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश के अन्तर्गत वाराणसी परिक्षेत्र के उपनिरीक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का प्रस्ताव

*19–श्री मैनेजर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जो पुलिस सब इन्सपेक्टर्स इत्यादि को 10 साल की सेवा पूरी होने पर दिनांक 1-5-84 से सेलेक्शन ग्रेड देने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी उस आदेश के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड पाने वाले वाराणसी रेन्ज के कितने सब इन्सपेक्टर्स हकदार थे और कितनों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया, कितनों को नहीं दिया गया ? क्या दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार तत्संबंधी शासनादेश के अन्तर्गत वाराणसी परिक्षेत्र के 135 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस को सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ । जिसमें से 62 उप निरीक्षकों के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है । शेष 73 उप निरीक्षकों के सेवा अभिलेख अन्य स्थानों पर लम्बित होने तथा परिक्षेत्र में उपलब्ध न होने के कारण उनके संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है । किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन द्वारा परिवहन निगम की साधारण बसों के किराये में वृद्धि

*20–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम की बसों में किसी विशेष सुधार के बिना किराये को लगभग 40 फीसदी तक बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

शासन द्वारा परिवहन निगम की साधारण बसों के किराये की दरों में 25 मार्च, 1987 से केवल 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । वृद्धि का कारण मुख्यत: संचालन व्यय में वृद्धि है । परिवहन निगम की बस सेवा में भी विशेष सुधार के के प्रयत्न निरन्तर जारी हैं ।

अतारांकित प्रश्न

थानाध्यक्ष पनियरा, गोरखपुर के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच

1–श्रीमती शारदा देवी–

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना-पनियरा के मुड़िला बाजार के श्री बालमुकन्द वर्मा व श्री राम आसरे प्रसाद वर्मा ने एक शिकायती-पत्र थानाध्यक्ष पनियरा के विरुद्ध जिलाधिकारी व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को दिनांक 18-10-86 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद गोरखपुर में हरिजन बनाम सवर्णों के पंजीकृत मुकदमों की संख्या एवं कृत कार्यवाही

2–श्रीमती शारदा देवी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में 1 जनवरी, 85 से 20 अप्रैल, 87 तक प्रत्येक थानों में कितने हरिजन बनाम सवर्ण के मुकदमें पंजीकृत किये गये तथा उन पंजीकृत मुकदमों में कितने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई ? जिला पुलिस प्रशासन ने हरिजन उत्पीड़न रोकने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जनपद गोरखपुर में दिनांक 1 जनवरी, 85 से 20 अप्रैल, 87 तक प्रत्येक थानों को मिलाकर कुल 332 मुकदमें पंजीकृत किये गये, जिनमें 306 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई । पुलिस प्रशासन द्वारा हरिजन उत्पीड़न रोकने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ क्षेत्र के कतिपय मार्गों पर पुलियों के निर्माण में प्रगति

3–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित बरतर टटी मार्ग व महमूदपुर नं0 ढक मार्ग तथा मूजाबलपुर बढानू मार्ग पर पुलिया अभी तक क्यों नहीं बनवाई गयी ? उक्त तीनों मार्गों पर पुलिया बनवा कर खड़ंजा लगवाने का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद अलीगढ़ में सिकन्दराराऊ मार्ग पर वर्ष 85-86 में निम्नलिखित मार्गों पर पुलिया निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था :–

मार्ग का नाम	स्वीकृत पुलिया
1–पी0 वी0 रोड से टटी डडिया मार्ग	9
2–अगसौं लीवाजिदपुर से महमूदपुर नं0 ढक मार्ग	6
3–अगसौली बाजीदपुर मार्ग से बढानू मार्ग	2

उपरोक्त में से केवल अगसौली बाजीदपुर मार्ग पर 2 पुलियों का निर्माण कराया गया । शेष दो मार्गों की 15 पुलियों का निर्माण धनाभाव के कारण नहीं हो सका ।

जिला योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–5749 ई/23-सा0नि0वि0/अनुभाग-11-75 ई/87, दि0 22 सितम्बर, 1987 द्वारा बरतर टटी मार्ग पर मिट्टी पुलिया व खड़ंजा निर्माण कार्य की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदान कर दी गयी है । अतः उक्त मार्ग पर खड़ंजा व पुलिया का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। महमूदपुर नं0 ढक मार्ग पर 6 पुलियों हेतु धन प्राप्त हो गया है और इनका निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायगा । खड़ंजा लगवाने का कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से होना है तथा प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अलीगढ़ की प्रबन्ध समिति के समक्ष विचाराधीन है ।

जनपद आगरा में नये थाने एवं चौकी खोले जाने की संख्या एवं उनके स्थान चयन का मानक

4—श्री विजय सिंह राणा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में 31-3-87 को कितने नये थाने तथा नयी चौकियां खोली गयी हैं और कहां-कहां? इनके स्थान चयन का आधार क्या है? क्या आवश्यकता के अनुरूप स्थल चयन में परिवर्तन संभव हो सकता है? यदि हां, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

आगरा जनपद में दिनांक 31-3-87 को कोई भी नया थाना एवं चौकी नहीं खोली गई है। दिनांक 27-2-1986 के शासनादेश द्वारा अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु जनपद आगरा में निम्नलिखित 7 थाने खोले जाने हेतु स्वीकृति दी गयी थी:—

1—चित्रहाट

2—मन्सूखपुरा

3—बसई अरेला

4—बमौनी

5—बसई जगनेर

6—कोगरोल

7—मोहम्मदपुर

इसके अतिरिक्त दिनांक 20-1-87 के शासनादेश द्वारा ताजमहल जनपद आगरा में उसकी सुरक्षा हेतु एक रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टीगेटिंग चौकी की स्वीकृति दी गई थी।

दस्यु प्रभावित जनपद आगरा के बीहड़ क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु इन थानों के स्थान का चयन किया गया था। साथ ही साथ उक्त स्थानों की जनसंख्या, अपराध आंकड़ों एवं निकटवर्ती थानों से उनकी दूरी का भी ध्यान रखा गया था।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इनका स्थान परिवर्तन किया जाना उचित न होगा क्योंकि ऐसा किये जाने से इस बात की पूर्ण संभावना है कि नये थाने के लिए चयनित कुछ ग्राम थाना मुख्यालय से काफी दूर हो जायेंगे तथा दूर होने वाले ग्रामों की जनता को अपनी कठिनाइयों को थाने तक पहुंचाने में काफी असुविधा होगी।

जनपद बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल के जनपदों के हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापन कार्य दिवस

5—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में तथा गोरखपुर मण्डल के अन्य जनपदों में शिक्षा सत्र 86-87 में विभिन्न हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कुल कितने दिनों तक अध्यापन कार्य हुआ?

श्री सिब्ते रजी–

बस्ती जनपद तथा गोरखपुर मण्डल के अन्य जनपदों के विभिन्न हाईस्कूलों/इण्टर-मीटिएट कालेजों में वर्ष 1986–87 में अधिकतम एवं न्यूनतम अध्यापन कार्य दिवसों का विवरण निम्नवत् रहा:–

जनपद का नाम	अधिकतम अध्यातन दिवस	न्यूनतम अध्यापन दिवस
बस्ती	220	182
आजमगढ़	220	123
गोरखपुर	237	143
देवरिया	227	164

श्री राम कुमार, भूतपूर्व प्रबन्धक श्री अशोक विद्यालय इण्टर कालेज कमालाजूड मेरठ के विरुद्ध आरोप-पत्र

6–श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक विद्यालय इण्टर कालेज कमाला जूड जिला मेरठ के भूतपूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध नायब तहसीलदार सरधना की जांच आख्या के आधार पर न्यायिक दण्डाधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 29-9-85 को अ0 सं0 154 धारा 420/409 भा0 द0 सं0 थाना बिनौली जिला मेरठ पंजीकृत हुआ था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या गृह मंत्री शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार वादी श्री विरेन्द्र सिंह राणा, निवासी ग्राम कमालाजूड, थान। बिनौली, मेरठ के प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-9-85 के आधार पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार दिनांक 29-9-85 को श्री रामकुमार, भूतपूर्व प्रबन्धक, श्री अशोक विद्यालय इण्टर कालेज कमालाजूड, जिला मेरठ के विरुद्ध थाना बिनौली पर मुकदमा अपराध संख्या- 154 धारा 409/420/467/468/471 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। अभियोग में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 20-12-87 को प्रेषित किया जा चुका है।

आत्मसुरक्षार्थ पुलिस की मांग करने वाले सदन के वर्तमान सदस्यों की संख्या एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

7–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सदन के कुल कितने सदस्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की है और उसमें कुल कितने सदस्यों को पुलिस देकर सुरक्षा प्रदान की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के थानाध्यक्ष झंगहा व सी0 ओ0 के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

8—श्री सुखपाल पाण्डे, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री किरन पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा के ग्राम विशुनपुरा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद भूतपूर्व विधायक व सांसद ने श्री एस0 एन0 राय जो उक्त थाने के थानाध्यक्ष अगस्त, 1985 से माह मार्च, 1986 तक रहे एवं इस थाने से संबंधित तत्कालीन सी0 ओ0, पिपराइच श्री विजय शंकर राय के विरुद्ध उक्त अवधि में श्री विशारद ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर, डी0 आई0 जी0 रेन्ज गोरखपुर, आई0 जी0 जोन गोरखपुर, मुख्य मंत्री उ0 प्र0 व गृह सचिव, उ0 प्र0 आदि को तार व शिकायती पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों की जांच कब किसने किया ? क्या यह सत्य है कि किसी भी जांच के अवसर पर श्री विशारद को नहीं बुलाया गया और उलटे इन दोनों (तत्कालीन थानाध्यक्ष व सी0 ओ0 पिपराइच) ने थाना झंगहा के रजिस्टर नम्बर-8 में अनेक अपमानजनक आधारहीन बातें लिख डाली हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी खुली जांच कराकर गलत प्रविष्टियों को को समाप्त कराकर इससे संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, भूतपूर्व विधायक व सांसद द्वारा अगस्त, 1985 से मार्च, 1986 के दौरान थाना झंगहा पर नियुक्त तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री एस0 एन0 राय व तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री विजय शंकर राय के विरुद्ध प्राप्त प्रश्नगत पत्रों की जांच तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, नगर श्री एस0 एन0 सिंह द्वारा कराई गई। जांच से प्रार्थना पत्रों में लगाये गये आरोप आधारहीन एवं निराधार पाये गये।

यह सत्य है कि जांच के दौरान श्री विशारद को नहीं बुलाया गया क्योंकि जांच के अवसर पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री विशारद के विरुद्ध थाना झंगहा के रजिस्टर नं0 8 में किसी प्रकार की अपमानजनक एवं आधारहीन बातें अंकित करने के बात असत्य एवं निराधार है क्योंकि श्री विशारद के विरुद्ध रजिस्टर नं0 8 में किसी प्रकार की अपमानजनक एवं आधारहीन बातें अंकित नहीं हैं।

जनपद उन्नाव में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कों की संख्या एवं कार्य प्रगति

9—श्री नरेश चन्द्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में उन्नाव जिले में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कों के निर्माण की योजना है तथा उनमें मुख्य कौन-कौन हैं और इस पर कितना धन व्यय करने का अनुमान है ? क्या 1986 में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या–1 गरीबी के खिलाफ संघर्ष के अन्तर्गत चलाये जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले में वर्ष 1987-88 में 233 सड़कें स्वीकृत की गयी हैं जिनकी अनुमानित लागत 57.31 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 137.83 लाख रुपये की लागत के सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति का प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 में स्वीकृत मार्गों में से बहुत से मार्ग पूर्ण हो चुके हैं और शेष में कार्य प्रगति पर है उनके पूर्ण होने के लिए तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है। कुछ मार्गों पर स्थानीय विवादों के कारण कार्य अवरुद्ध है। इन सभी योजनाओं का विस्तृत विवरण उत्तर के रूप में देना संभव नहीं है। इसे मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह इन्सपेक्टर एवं श्री गोपाल गुप्ता सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध थाना सादियाबाद (गाजीपुर) में कथित आरोपित पत्र पर जांच

10–श्री राम नरेश यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर के थाना सादियाबाद में दिनांक 2-4-85 को श्री राम नाथ पुत्र सहदेव, निवासी ग्राम मरदासपुर, लक्षिमन, थाना विश्नों ने लिखित रिपोर्ट पुलिस सब इन्सपेक्टर महेन्द्र प्रताप सिंह एवं पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री शिव गोपाल गुप्ता आदि के विरुद्ध की थी ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार थानाध्यक्ष सादियाबाद द्वारा मामले में विवेचना कराई गई और आरोप प्रमाणित न होने पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में हुए नि:शुल्क बोरिंग की संख्या एवं पंपिंग सेट हेतु अनुदान का समायोजन

11–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष में जनपद गोरखपुर में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के कितने नि:शुल्क बोरिंग पर पम्प सेट लग चुके हैं तथा उनके सापेक्ष अनुदान का समायोजन हो गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विगत वर्ष 1986-87 में जनपद गोरखपुर में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 80 कृषकों की नि:शुल्क बोरिंग सम्पन्न हुई, इनमें से कितने मामलों में पंपिंग सेट हेतु अनुदान समायोजन हो चुका है के बारे में सूचना एकत्र कराई जा रही है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय क्षेत्रों में पुलियों का निर्माण एवं व्यय धन

12–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच में बेला नथुआ मार्ग पर एवं विकास खण्ड सरदारनगर में कुसली इब्राहिमपुर मार्ग पर एक-एक पुलिया का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो क्या पानी के बहाओं की मात्रा को ध्यान में न रखने के कारण पुलिया के बगल से सम्पर्क मार्ग को काटकर पानी बह रहा है, जिसके कारण पुलिया का महत्व समाप्त हो गया है और ग्रामीणों को आवागमन में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्त मार्गों पर बड़ी पुलियान पानी के बहाओं की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड–पिपराइच में बेला नथुआ मार्ग पर दो पुलियों का निर्माण हुआ है । उक्त सम्पर्क मार्ग पर बनी 600 एम0 एम0 की पुलिया ठीक अवस्था में है जबकि ग्राम नथुआ के समीप नहर के पास निर्मित डबल री ह्यूम पाइप की पुलिया है जिसके एक ओर खेत तथा दूसरे ओर तालाब है। पानी का बहाव खेतों की ओर से तालाब की ओर है । पानी के तेज बहाव के कारण तालाब की तरफ से पुलिस धंस गयी है। यहां तीन मीटर स्पैन की पुलिया की आवश्यकता है जिसकी अनुमानित लागत 80,000 रु0 होगी ।

विकास खण्ड सरदारनगर में कसली इब्राहिमपुर मार्ग पर भी दो पुलियों का निर्माण जिला परिषद् से करवाया गया था । उक्त दोनों पुलिया ठीक अवस्था में हैं । उक्त सम्पर्क मार्ग पर ही ग्राम कसली के पास सड़क के जमीन की सतह काफी नीची है। यहां पर तीन मीटर स्पेन की एक अतिरिक्त पुलिया की आवश्यकता है।

उक्त पुलियों का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी द्वारा स्वीकृत किये जाने पर कराया जा सकेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र लम्भुवा के चिकित्सक श्री लाल बहादुर सिंह के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

13–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्भुआ के चिकित्सक श्री लाल बहादुर सिंह के विरुद्ध 25-11-86 को शराब पी कर जनता एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध गाली देने, बन्दूक से मारने, अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में अपराध संख्या 382 धारा 352, 504, 506 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना लम्भुआ में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है, जिसकी सूचना आरक्षी अधीक्षक को भी दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या ऐसे अशिष्ट चिकित्सक का बन्दूक लाइसेन्स निरस्त कराने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्भुआ के तत्कालीन चिकित्सक श्री लाल बहादुर सिंह के विरुद्ध दिनांक 25-11-86 को थाना लम्भुआ, सुल्तानपुर में धारा 352/504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक अहस्तक्षेपीय अपराध दर्ज कराया गया चूंकि मामला अहस्तक्षेपीय था, अतएव इसमें पुलिस द्वारा विवेचना नहीं की गयी । अतः श्री लाल बहादुर सिंह के बन्दूक लाइसेन्स को निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री डी0 एस0 बग्गा, आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा श्री विष्णु दत्त चौबे का स्थानान्तरण किया जाना

14–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 एस0 बग्गा, आयुक्त, वाराणसी मण्डल को एक विभाग के स्थायी कर्मचारी को दूसरे विभाग में बिना उसकी सहमति लिये भेजने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो श्री विष्णु दत्त चौबे स्थायी आशुलिपिक, जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर को उन्होंने अपने आदेश दिनांक 4-12-85 द्वारा बिना सहमति प्राप्त किये कलक्ट्रेट गाजीपुर में खपाने की अपेक्षा उनके स्थान से क्यों अपदस्थ कर दिया और उसका भी पालन नहीं हुआ ? यदि हां, तो शासन को इसकी जानकारी होने पर मण्डलायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

किसी कार्मिक को एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में बिना उसकी सहमति/प्रार्थना के स्थानान्तरित कर समायोजन करना नियमानुकूल नहीं है।

श्री विष्णु दत्त चौबे से पूर्व में जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर श्री दयाल दास श्रीवास्तव कार्यरत थे । श्री श्रीवास्तव ने बलिया जनपद में स्थानान्तरण तथा अपनी सेवा समाप्ति के संबंध में लोक सेवा अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी । लोक सेवा अधिकरण ने जिलाधिकारी, बलिया के आदेशों को निरस्त करते हुए उन्हें अपनी पूर्व स्थिति में समस्त देय लाभ सहित बहाल कर दिया था । श्री श्रीवास्तव की तैनाती का विवादास्पद मामला आयुक्त, वाराणसी मण्डल को प्राप्त होने पर उन्होंने श्री श्रीवास्तव को गाजीपुर में आशुलिपिक के पद पर समायोजन का आदेश दिया । चूंकि इस आदेश के तहत श्री चौबे फालतू हो गये थे । अतः मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आयुक्त, वाराणसी मण्डल ने जिलाधिकारी, गाजीपुर को श्री चौबे को कलक्ट्रेट, गाजीपुर में खपाने का मात्र सुझाव दिया था ।

जिलाधिकारी, गाजीपुर ने मण्डलायुक्त के सुझाव के अनुसार श्री चौबे कनिष्ठ लिपिक के मूल पद पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए किन्तु इन आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ क्योंकि आयुक्त ग्राम्य विकास ने अपने स्तर से जिलाधिकारी, गाजीपुर के आदेशों को निरस्त करते हुए श्री चौबे को गाजीपुर में आशुलिपिक के पद पर पदारूढ़ करने तथा श्री श्रीवास्तव को बलिया में आशुलिपिक के पद पर स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं ।

चूंकि उपरोक्त मामले में मण्डलायुक्त, वाराणसी द्वारा मात्र सुझाव दिया गया था और उक्त सुझाव के आधार पर कार्यवाही भी नहीं हुई, अतः मण्डलायुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हेड कान्सटेबिल शैडो (श्री नैपाल सिंह) के रुके अवशेष देयों/वेतन का भुगतान एवं सेवा निवृत्ति संबंधी कार्यवाही

15–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन ने0 वि0 दल विधान सभा को प्रेषित माननीय मुख्य मंत्री के अ0 शा0 पत्र संख्या ओ एम/24 सी0 एम0-2/86 दिनांक 9 जनवरी, 1986 जिसमें हेड कान्सटेबिल शैडो (श्री नैपाल सिंह) पर लम्बित विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर उनके कई वर्षों से रुके अवशेष देयों/वेतन आदि के भुगतान करने का उल्लेख किया गया था ? क्या यह सत्य है कि अभी तक न तो उनको अवशेष देयों का भुगतान हुआ और न ही वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है जबकि उनकी सेवा निवृत्ति भी दिनांक 31-5-87 को होनी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तर-दायी है ? यह भुगतान उन्हें कब तक तथा किस कार्यालय से किया जाएगा एवं सेवा निवृत्ति संबंधी कार्यवाही किस कार्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार हेड कान्सटेबिल शैडो श्री नेपाल सिंह दिनांक 1-3-85 तक अभिसूचना विभाग में नियुक्त रहे । अभिसूचना विभाग में उक्त है0 का0 के नियुक्ति के दौरान उसके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही एवं निलम्बन अवधि (22-9-82 से 9-8-83) के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश अभिसूचना विभाग द्वारा दिनांक 24-7-87 को पारित कर आदेश की प्रतिलिपि अग्रेतर कार्यवाही हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/इटावा को भेज दी गयी हैं ।

2–दिनांक 1-3-85 को उक्त हेड कान्सटेबुल श्री नेपाल सिंह का स्थानान्तरण मेरठ किया गया था, परन्तु उसने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया । इसी बीच अभिसूचना विभाग से वांछित विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में इनका स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 3-9-85 द्वारा मेरठ से इटावा कर दिया गया था । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के अनुसार उक्त कान्सटेबिल ने इटावा में दिनांक 18-4-86 को आगमन किये और 7-5-87 तक वहां नियुक्त रहे । उन्हें 18-4-86 से 7-5-87 तक की अवधि का भुगतान रुपया 14976.30 पैसा का बैंक ड्राफ्ट द्वारा हेड कान्सटेबिल के वर्तमान निवास स्थान के पते पर भेज दिया गया है ।

3–दिनांक 8-5-87 से 31-5-87 सेवा निवृत्ति की अवधि तक देयों का भुगतान एवं पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा की जा रही है ।

4–जहां तक 1-3-85 से 17-4-86 तक की अवधि के देयों के भुगतान का प्रश्न है, के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर लगी रोक तथा समीक्षा हेतु गठित कमीशन की रिपोर्ट

16–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता पार्टी के शासन काल में कक्षा 1 से 8 तक के लिये नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गयी थीं ? क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में पुनः आने के बाद उन पुस्तकों पर रोक लगा दी गयी थी तथा उनकी समीक्षा हेतु एक कमीशन गठित किया गया था ? यदि हां, तो कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

देर से प्रकाशन होने के कारण पुस्तकों प्रचलित नहीं हो सकी थी । इस बीच पाठ्य पुस्तक के रूप में उनको विहित करना रोक दिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् की पाठ्य पुस्तकों की खरीद हेतु सरकार द्वारा दिया गया अनुदान

17–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदों को पाठ्य पुस्तकों की खरीद हेतु अलग से सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 86-87 में अनुपूरक पुस्तकों के अनुदान से परिषद् द्वारा नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें जो अभी तक प्रकाशकों के पास पड़ी थी 3 लाख रुपये की क्यों खरीदी जा रही है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, खण्ड विकास अधिकारी सरदारनगर के विरुद्ध शिकायत की जांच

18–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड अधिकारी सरदार नगर के विरुद्ध दिनांक 5 फरवरी, 87 को ईंट खरीददारी व सोयम ईंटों की सोलिंग ग्राम मौनहां विशुनपुरा बसईयां आदि गांवों में एवं इन्द्रा भवन भगवानपुर तीहा व कुसुली तथा सामुदायिक विकास भवन चौरी सतहवां व डुमरी खास में तृतीय श्रेणी के ईंटों द्वारा कराये जाने की शिकायत जिला प्रशासन को प्रश्नकर्ता व क्षेत्रीय जनता द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 5 फरवरी, 1987 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु प्रश्न में अंकित कर शिकायतों की जांचोपरान्त यह विदित हुआ कि ग्राम मौनहा एवं बंसहिया के खरड़जा कार्य में क्रमशः 10 से 15 प्रतिशत एवं 15 से 20 प्रतिशत तक तृतीय श्रेणी के ईंटों का प्रयोग किया गया । इन्द्रा आवास कुसली में 15 से 20 प्रतिशत तृतीय श्रेणी ईंटों का, इन्द्रा आवास तोहा में 5 से 10 प्रतिशत के बीच तथा सामुदायिक विकास केन्द्र चौरी सतहवा में 10 से 15 प्रतिशत एवं सामुदायिक विकास केन्द्र डुमरी खास में 5 से 10 प्रतिशत तृतीय श्रेणी के ईंटों का प्रयोग किया गया । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

सरदार नगर विकास खण्ड के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विभिन्न रेट से खरीदी गई ईंटों की आपूर्ति

19–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा वर्ष 86-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत ईंट खरीददारी हेतु 450 रु0 प्रति हजार निर्धारित किया था ? यदि हां, तो विकास खण्ड अधिकारी, सरदार नगर श्री अमरेश नन्दन राय राय ने 480 रु0 प्रति हजार ईंट सोयम माह जून, जुलाई, अगस्त 86 में विजय ईंट कम्पनी फुटहवां से खड़न्जा हेतु खरीदे जाने का क्या कारण है जबकि उसी अवधि में विकास खण्ड सरदार नगर के अन्य कर्मचारीगण द्वारा 450 रुपए प्रति हजार की ईंट सोलिंग हेतु खरीदी गयी है ? यदि हां, तो एक ही विकास खण्ड में दो रेट की ईंट खरीदने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां,

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर श्री अमरेश नन्दन राय ने 480 रु0 प्रति हजार की दर से अव्वल श्रेणी की ईंटें माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 86 में खरीदी क्यों कि उक्त अवधि में बरसात के कारण मार्ग खराब होने, श्रमिकों के अभाव तथा भट्टों पर ईंटों की कमी के कारण 450 रु0 प्रति हजार की दर से ईंट प्राप्त नहीं हो रही थी । उक्त अवधि में विकास खण्ड सरदार नगर के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा ईंटों का क्रय नहीं किया गया है ।

20–श्रीमती सरोज वर्मा–

[मा0 सदस्या की मृत्यु होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद आजयगढ़ में नये सहायक अध्यापकों की तहसील में नियुक्ति

71–श्री विष्णु देव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में नये सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में जिला चयन समिति ने जनवरी 1987 में निर्णय लिया था कि नये अध्यापकों की नियुक्ति तहसील लालगंज सगड़ी फूलपुर में की जायेगी परन्तु उसके बाद कुछ अध्यापकों की नियुक्ति उनके निवास स्थान के पास कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जिला चयन समिति को चयनित अध्यापकों के पदस्थापन का अधिकार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी0 आई0 जी0 फैजाबाद द्वारा प्रभारी थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही तथा जांच आख्या

22–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जुलाई, 87 में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र प्रभारी थानाध्यक्ष इनायत नगर के विरुद्ध डी0 आई0 जी0 फैजाबाद परिक्षेत्र फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रभारी थानाध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर शिकायती बिन्दुओं की जांच रिपोर्ट क्या है तथा अब तक की कार्यवाही क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जांच से पाया गया कि पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा श्री राम अधार राय की परित्र मंजी में वर्ष 1983 में जनपद गाजीपुर के अफीम के मामले में किसी तस्कर को अनुचित लाभ पहुंचाने के प्रयास करने के संबंध में एक प्रतिकूल प्रविष्ट दी गयी है । इनके द्वारा जनपद बस्ती में हत्या करवाने का आरोप सत्यापित नहीं पाया गया । श्री राय के थानाध्यक्ष, इनायत नगर के पद पर कार्यकाल में अपराधों की बाढ़ आ जाने का आरोप सत्य नहीं पाया गया । जांच के मध्य यह तथ्य अवश्य प्रकाश में आया था कि थानाध्यक्ष राय ने जब वे थानाध्यक्ष रौनाही के पद पर नियुक्त थे, मजरिया हिस्ट्रीशीटर मंहगू सिंह की वार्षिक मन्तव्य लिखते समय यह रिमार्क लिखा था कि उसको कोई शिकायत नहीं है, जबकि जांच से उसकी सामान्य ख्याति अच्छी नहीं पायी गई । इस संबंध में श्री राम के विरुद्ध पैरा 478ए, पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

23–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रभारी थानाध्यक्ष श्री राम आधार राय थाना इनायतनगर फैजाबाद इसके पूर्व थाना रौनाही फैजाबाद के थानाध्यक्ष थे तथा इनके उक्त कार्यकाल में जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण जनता द्वारा की गई गम्भीर शिकायतों पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बीकापुर श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी एवं वर्तमान एडीशनल एस0 पी0 फैजाबाद ने अपनी जांच आख्या में उन्हें दोषी पाया था ? यदि हां, तो शिकायत के बिन्दु क्या थे तथा जांच आख्या क्या है ? जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बावजूद भी उन्हें दण्डित न कर प्रभारी थानाध्यक्ष बनाये जाने का कारण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । श्री राम अधार राय तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनाही पर अपराधों का अल्पीकरण, डकैतों के साथ देखा जाना, मुकदमें से संबंधित औरतों एवं अन्य औरतों को घर पर बुलवाना तथा उनके यहां अवैधानिक रूप से आना-जाना, पेड़ काटने वाले ठेकेदारों का डकैतों

के वेश में चालान, संबंधी आरोप लगाए गए थे । जांच से उपरोक्त सभी आरोप साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाए गए किन्तु जांच के मध्य यह तथ्य अवश्य प्रकाश में आया था कि थानाध्यक्ष श्री राय ने मजरिया हिस्ट्रीशीटर महंगू सिंह का वार्षिक मन्तव्य लिखते समय यह रिमार्क लिखा था कि उसकी कोई शिकायत नहीं है, जबकि जांच से उसकी सामान्य ख्याति अच्छी नहीं पायी गयी । इस संबंध में श्री राय के विरुद्ध पुलिस रेगुलेशन के पैरा 478ए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है । श्री रामअधार राय, थाना इनायतनगर में अस्थायी रूप से प्रभारी थानाध्यक्ष का कार्य देख रहे हैं । उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निस्तारण चूंकि अभी लम्बित है, इस कार्यवाही में उनका दोषी पाया जाना पूर्णतया: सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही दण्डित किया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

24–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कार्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता फैजाबाद में कितने दिनों से कार्यरत हैं ? क्या फैजाबाद में कार्यरत होने के पूर्व उनके विरुद्ध लगभग 30 लाख रुपये के घाटाले की ह्यूम पाइप आदि की खरीदारी से संबंधित है पर जांच हुई और जांच में मामला सत्य पाया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन के बावजूद वे आज तक फैजाबाद में अधिशासी अभियन्ता के पद पर किस आधार पर कार्यरत हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री आर0 एन0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फैजाबाद के पद पर दिनांक 23 सितम्बर, 1985 से कार्यरत हैं । फैजाबाद में नियुक्ति के पूर्व के कार्यकाल में ह्यूम पाइप के क्रय में हुई अनियमितताओं के संबंध में श्री तिवारी के विरुद्ध एक कार्यवाही चल रही है और एक अन्य कार्यवाही में उन्हें दण्डित किया जा चुका है । श्री तिवारी का निलम्बन एक अन्य शिकायत के संबंध में हुआ था और जांच पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें बहाल कर दिया गया था ।

प्राइमरी व जूनियर कक्षाओं के लिए अध्ययन समय

25–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 में जब से प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई का समय 8 बजे से 12 बजे कर दिया गया है प्रदेश के तमाम छात्रों तथा उनके अभिभावकों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस नीति में कोई परिवर्तन करेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

इस समय बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं का समय जाड़ों में प्रातः 9 से अपराह्न 3 बजे तक तथा ग्रीष्म काल में प्रातः 6.30 से 11.30 बजे तक है । जूनियर हाई स्कूलों का समय पूर्वत ग्रीष्म काल में प्रातः 6.30 से 11.30 बजे तक तथा वर्ष के शेष भाग में प्रातः 10.00 अपराह्न 4.00 बजे तक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी में प्राइमरी पाठशाला हेतु आवंटित धनराशि

26–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बरवां ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में प्राइमरी पाठशाला हेतु वर्ष 1985-86 में ही धन मंजूर कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक प्रा0 पा0 बरवां की इमारत न बनने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी में प्रा0 पा0 हेतु भवन निर्माण

27–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गांव समोगस ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के प्रा0 पा0 की इमारत आज तक नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो तो कब तक बना दी जायगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

वर्ष 1987-88 में ।

इण्टर कालेज पिंडरा वाराणसी में समाज शास्त्र विषय हेतु प्रवक्ता पद का सृजन

28–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा वाराणसी में समाज शास्त्र विषय की मान्यता दी जा चुकी है किन्तु उक्त विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक की प्रोन्नति देकर प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति करने का मामला बहुत दिनों से विचाराधीन चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, किन्तु प्रवक्ता समाज शास्त्र का पद सृजित नहीं है । अतः उस पर पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता । मान्यता पत्र में समाजशास्त्र प्रवक्ता का पद सृजित न होने का प्रतिबन्ध है ।

भू0 पू0 स0 वि0 स मा0 ऊदल के पत्र पर उप शिक्षा निदेशक वाराणसी द्वारा कार्यवाही

29–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सदस्य विधान सभा (मा0 ऊदल) ने दिनांक 12-9-84 को राज्य शिक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था जिसका उत्तर उप सचिव शिक्षा (श्री संकठ प्रसाद बरनवाल) ने अपने पत्र संख्या स0 वी0 आई0 पी0 131 क/15-16-1600/156/84 उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (6) अनुभाग मार्च 4, 1985 के द्वारा मा0 ऊदल को लिखा कि इस मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने जाने हेतु बण्डलीय उप शिक्षा निदेशक वाराणसी को निर्देश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक वाराणसी ने क्या-क्या कार्यवाही अब तक की ? क्या सरकार उसकी लिखित प्रति भी उपलब्ध करायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

तत्कालीन विधान सभा सदस्य माननीय ऊदल द्वारा राज्य शिक्षा मंत्री को इस संबंध में लिखे गये दिनांक 12-9-84 का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, अपितु माननीय ऊदल का दिनांक 17-9-84 का पत्र प्राप्त है ।

शासन के पत्र दिनांक 4 मार्च, 1985 के अनुपालन में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ने दो प्रवक्ता के पद सृजन हेतु प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 16 मार्च, 85 द्वारा निदेशालय को भेजा, परन्तु आयोजनेत्तर पक्ष में धनराशि का प्राविधान न होने के कारण पद सृजन नहीं किया जा सका ।

जिला विकास अधिकारी बाराबंकी द्वारा नियुक्ति

30–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अपने कार्यालय में पहली जनवरी 1986 से अब तक किन-किन लोगों की नियुक्तियां किन-किन पदो पर की गयी हैं ? उक्त नियुक्तियों में अपनाई गयी प्रक्रिया क्या है और नियुक्त किये गये लोग कहां के निवासी हैं ?

श्री राम सूरत उपाध्याय–

ज़िला विकास अधिकारी बाराबंकी द्वारा अपने कार्यकाल में पहली जनवरी, 1986 से अब तक की गयी नियुक्तियों, नियुक्त लोगों के निवास स्थान एवं नियुक्तियों में अपनाई गई प्रक्रिया सहित सम्पूर्ण विवरण संलग्नक में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 153-154 पर)

श्री जगदम्बिका प्रसाद अभियन्ता जिला बस्ती के कार्यों की जांच तथा स्थानान्तरण

31–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में ग्राम जामडीर थाना बस्ती कोतवाली जनपद बस्ती निवासी श्री जगदम्बा प्रसाद अपने गृह जनपद जिला परिषद् बस्ती में ही अभियन्ता पद पर पिछले पांच वर्षों से कार्यरत हैं । क्या मंत्री जी उनका स्थानान्तरण करके उनके कार्यकाल के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ल निवासी जनपद बस्ती, जिला परिषद् बस्ती में अभियन्ता के पद पर दिनांक 28-8-82 से कार्यरत है ।

उनके कार्यों की जांच सतर्कता अधिष्ठान फैजाबाद द्वारा की जा रही है।

रतन सेन डिग्री कालेज बांसी जनपद बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की गोपनीय रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

32–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं जिलाधिकारी बस्ती ने कोई गोपनीय रिपोर्ट रतन सेन डिग्री कालेज बांसी जनपद बस्ती के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में शासन को भेजी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रतनसेन डिग्री कालेज, बस्ती द्वारा संदाय खाते में जमा की गई धनराशि का विवरण

33–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज बांसी जनपद बस्ती के वेतन संदाय खाते में 1973 से 1987 तक प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशियां कम जमा की गयी है ? क्या वेतन संदाय खाते का धन प्रत्येक वर्ष समयानुसार खाते में जमा किया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1973 से 1974-75 तक कोई वेतन संदाय खाता नहीं था । अतः उस अवधि का शुल्काय नहीं जमा करना था । वेतन संदाय खाता दिनांक 1-4-1975 से लागू हुआ है । वर्षवार विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	अन्तर (+) अधिक (–) कम
1975–76	(+) 4177.43
1976–77	(+1) 8996.58
1977–78	(–) 18639.35
1978–79	(–) 19179.69
1979–80	(–) 48357.60
1980–81	(–1) 29746.68
1981–82	(–) 68637.39
1982–83	(–) 77399.14
1983–84	(–) 3392.86
1984–85	(+) 02274.40
1985–86	(+) 56899.54
1986–87	(+) 70325.10

जी नहीं ।

कम जमा शुल्क की पूर्ति हेतु प्राचार्य को आवश्यक निर्देश दिये गये ।

सम्बन्धित शुल्क का विवरण उक्तवत् प्रस्तुत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष (उप निरीक्षकों) को कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

34–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री द्वितीय सत्र 1987 के पहले सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि प्रश्नगत सभी थानाध्यक्ष (उप निरीक्षकों) को कार्यमुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष शुक्लबाजार के कार्यमुक्त होने की तारीख क्या है ? यदि नहीं, तो सदन में दिये गये उत्तर एवं शासनादेश के विरुद्ध आदेश किसके द्वारा दिया गया ? क्या मंत्री जी आदेश देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके शासनादेश का पालन करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत सभी थानाध्यक्ष (उपनिरीक्षकों) को कार्यमुक्त किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। थानाध्यक्ष शुक्लबाजार 6-10-1987 को गोरखपुर जनपद के लिये कार्यमुक्त किये जा चुके हैं । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के श्री दिलेराम के हत्यारों की गिरफ्तारी

35–श्री रामशरण दास–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 अक्तूबर, 1986 को श्री दिलेराम निवासी रसूलपुर गुजरान थाना कांधला जनपद मुजफ्फरनगर को कत्ल कर दिया गया था ? श्री दिलेराम के कातिल कत्ल करने के बाद उनका बैब्ले स्काट रिवाल्वर भी लेकर भाग गये थे ? यदि हां, तो क्या श्री दिले राम के कातिल पकड़े गये और उनसे श्री दिलेराम की रिवाल्वर बरामद की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-10-85 (न कि दिनांक 7-10-86) को श्री दिलेराम की हत्या की गई थी और उनका रिवाल्वर हत्यारे लेकर भाग गये थे । प्रश्नगत हत्या से संबंधित दो अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे तथा तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था । संबंधित अभियोग में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । पूरे प्रयासों के बावजूद मृतक का रिवाल्वर बरामद नहीं किया जा सका ।

ग्राम सभा के प्रधानों की प्रतिष्ठा तथा उनकी सुरक्षा

36–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभाओं के प्रधानों की प्रतिष्ठा जन प्रतिनिधियों के रूप में कायम करने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम सभाओं के प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं । साथ ही साथ विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

इनकी प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी शासन द्वारा भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के थानाध्यक्ष को कार्यमुक्त करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

37–श्री राम आसरे वर्मा–

द्वितीय सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत थानाध्यक्ष को जनपद सुल्तानपुर से कार्यमुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कार्यमुक्त होने की तारीख क्या है? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त थानाध्यक्ष को तत्काल कार्यमुक्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां।

प्रश्नगत थानाध्यक्ष को दिनांक 6-10-1987 को जनपद सुल्तानपुर से गोरखपुर जनपद के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

38–श्री श्याम बिहारी सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

39–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[दिनांक 29-12-87 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के प्रवेश द्वार एवं चतुर्दिक प्राचीर का अनावरण एवं उद्घाटन

40–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1987 जो जूनियर हाई स्कूल बन्थरा, जनपद लखनऊ के प्रवेश द्वार एवं चतुर्दिक प्राचीर के अनावरण एवं उद्घाटन के बारे में था, उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी है? भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिव्ते रजी–

जी हां। पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई तथा तद्नुसार प्रधानाध्यापक को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। शासन स्तर से भी ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत कर्मचारियों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार की जांच

41–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-7-87 को प्रश्नकर्ता तथा नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव ने मुख्य मंत्री से दिनांक 3-6-87 को जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर में बिजली कर्मचारियों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराने का आग्रह पत्र दिया था? जिस पर मुख्य मंत्री द्वारा सी0आई0डी0 जांच के आदेश किये गये थे? यदि हां, तो जांच द्वारा क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये और विद्युत कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां। मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लाक के प्रधान के विरुद्ध स0वि0स0 श्री महेन्द्र भाटी के पत्र पर जांच

42–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायत राज निदेशालय के पत्र संख्या 3/सं0सा0वि0/31-3-86-3/269/29 85, दिनांक 14 अक्टूबर, 1986 के द्वारा जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लाक के ग्राम गुरसण्डी के प्रधान के खिलाफ गम्भीर शिकायतों संबंधी श्री महेन्द्र भाटी, सदस्य विधान सभा के पत्र पर जांच आख्या मांगी गयी थी। यदि हां, तो अब तक जांच आख्या प्राप्त न होने के क्या कारण है? इसके विलम्ब के लिये कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त जांच कराकर उक्त प्रधान एवं विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के विकास खण्डों का परिसीमन

43–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विकास खण्डों का परिसीमन शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो परिसीमन का आधार तथा प्रक्रिया क्या होगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

जनपद बलिया के पुलिस इन्सपेक्टर एवं सब इन्सपेक्टरों का आरक्षण के आधार पर समायोजन

44–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में इस समय कितने पुलिस इन्सपेक्टर और कितने पुलिस सब इन्सपेक्टर तैनात हैं ? जिसमें से कोतवाली थाना और पुलिस चौकियों पर इन्चार्ज के पद पर जातिगत आधार पर कितने-कितने लोग किन-किन श्रेणियों पर तैनात हैं तथा इन्चार्ज पदों पर सर्वाधिक कितने व किस जाति के इन्चार्ज तैनात हैं ? क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनु0 जन जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ी जातियों के इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर को भी उनकी आबादी के अनुरूप इन्चार्ज पदों पर वरीयता के आधार पर समायोजित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक नीति घोषित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार बलिया में कुल 41 थाने व चौकियां हैं जिनमें तीन निरीक्षक और 91 उप निरीक्षक नियुक्त हैं । तीन निरीक्षकों में दो सामान्य जाति के तथा एक अल्पसंख्यक है । इन्चार्ज के पद पर 38 उप-निरीक्षक नियुक्त हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

सामान्य जाति -26
अल्प संख्यक -3
पिछड़ी जाति -5
अनुसूचित जाति -4

इन्चार्ज के पद पर नियुक्त पुलिस कर्मी की उपलब्धता, , योग्यता, वरीयता के आधार पर इस विश्वास पर की जाती है कि वह प्रत्येक प्रशासनिक परिस्थितियों को सम्भाल सकने में सक्षम हो । जाति के आधार पर इस प्रकार की नियुक्तियां करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित और व्यावहारिक नहीं है । केवल अनु0 जाति/जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में शासन के आदेश हैं क इंचार्ज के 10 प्रतिशत पद इन्हें दिए जायं ।

जनपद आजमगढ़, ब्लाक हरैया में ईंटों की आपूर्ति तथा धन का दुरुपयोग

45–श्री राम जनम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी, ब्लाक हरैया के अंतर्गत चौपट्टी बाजार गोसाईं रोड में कि0 मी0 3 पर तृतीय श्रेणी की ईंटों की सोलिंग करके तथा ईंटों से ईंटों की दूरी अधिक दिखा-कर कम का प्रयोग कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद-आजमगढ़, तहसील-सगड़ी, ब्लाक हरैया के अंतर्गत चांद पट्टी बाजार गोसाईं रोड में कि0मी0 3 पर सोलिंग के कार्य में किसी प्रकार के सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्रथम श्रेणी के ईंटों का प्रयोग कार निर्धारित मानक के अनुसार एक वर्ग फुट में 60 ईंटों का प्रयोग किया गया है।

जनपद जालौन के श्री राम बिहारी त्रिपाठी के पत्र पर पुलिस के विरुद्ध कृत कार्यवाही

46–श्री बिहारी लाल दोहरे तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम बिहारी त्रिपाठी, ग्राम चंदावली, पुलिस स्टेशन कुठौन्द, जालौन का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 9 मई, 85 न्यायालय के निर्णय के साथ अपने पिता की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या व चाचा के घर जलाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में श्री राम दुलारे त्रिपाठी (न कि श्री राम बिहारी त्रिपाठी) निवासी ग्राम चन्दावली, थाना कुठौंद, जनपद जालौन का प्रार्थना पत्र दिनांक 9 मई, 1985 न्यायालय के निर्णय के साथ शासन को प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही अभी शासन के विचाराधीन है।

डी0 आई0 जी0 द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों की सहायता

46–(अ) श्री बिहारी लाल दोहरे तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन डी0 आई0 जी0 ने शासन के आदेशों के उपरान्त भी घटना स्थल पर जांच न कर मृतक के शरीर से गिरे रक्त के निशान एवं घर जलाये जाने के साक्ष्य नष्ट कराने में दोषी पुलिस कर्मियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है ? यदि हां, तो इस बिन्दु पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

शासन के आदेशों के उपरान्त भी तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र द्वारा मामले में घटनास्थल पर जांच न करने के संबंध में शासन द्वारा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र का स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर शासन द्वारा उन्हें भविष्य में शासनादेशों का अनुपालन करने हेतु सचेत करने के निदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दिये गये हैं।

श्री चन्द्र पति राय के बकाया धनराशि के भुगतान हेतु श्रीमती दुर्गावती देवी के पत्र पर कृत कार्यवाही

47–श्री विष्णुदेव–

'क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी श्री चन्द्रपति राय का 15 वी0 पी0 ग्राम बीति, मो0 मुहम्मदल्ला, थाना रानी सराय, जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र जो उनके पति का बकाया धनराशि प्राप्त करने के संबंध में था, के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-86 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां । श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी श्री चन्द्रपति राय कान्स0--15 के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-10-86 (न कि 30-10-86) शासन को प्राप्त हुआ है।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चन्द्रपति राय के सेवा से बर्खास्त अवधि के वेतन, बोनस आदि का भुगतान नियमानुसार किया जा चुका है। उक्त अवधि का केवल अतिरिक्त वेतन व धुलाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि अतिरिक्त वेतन का भुगतान कार्यरत कर्मचारियों को रविवार, द्वितीय शनिवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों में कार्य करने के एवज में दिया जाता है और धुलाई भत्ता वर्दी के रखरखाव हेतु दिया जाता है।

जनपद मुरादाबाद के स्व0 श्री अधारू लाल की विधवा पत्नी श्रीमती बसंती देवी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

48–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 अधारू लाल, सेवा निवृत्त कान्स्टेबिल स्पेशल पुलिस फोर्स मुरादाबाद जिनकी सेवा निवृत्ति का दिनांक 31-1-1977 था की मृत्यु दिनांक 12-8-82 को हो गयी थी और उनकी विधवा श्रीमती बसंती देवी को अभी तक पारिवारिक पेन्शन नहीं मिली है? क्या यह सही है कि पारिवारिक पेन्शन के संबंध में मा0 गृह मंत्री के आदेश दिनांक 27-9-86 से 21-1-87 को होने के बावजूद अभी तक पारिवारिक पेंशन नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी के आदेश के उपरान्त पेन्शन भुगतान न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा अब पेन्शन का भुगतान तुरन्त कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

स्व0 अधारू लाल, सेवा निवृत्त कान्स0 स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद की विधवा श्रीमती बसन्ती देवी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन के भुगतान के आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29-9-87 को जारी कर दिये गये हैं तथा उसकी सूचना उक्त विधवा को भी दे दी गई है।

परिवहन निगम की बसों का संचालन

49–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री जनपद जौनपुर प्रतापगढ़ वाया तेजी बाजार एवं जौनपुर सुजानगंज वाया शेखा बरईपार मार्ग पर शीघ्र परिवहन की बस चलवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जौनपुर--प्रतापगढ़ वाया तेजी बाजार मार्ग पर परिवहन निगम की दो बसें (एक महराजगंज-जौनपुर-प्रतापगढ़-महराजगंज तथा एक महराजगंज–तेजीबाजार वाराणसी–महराजगंज तक) संचालित हो रही हैं।

जौनपुर–सुजानगंज वाया शेखा बरईपार मार्ग की दूरी 45 किमी0 है जिसमें जौनपुर से सिकरावां मोड़ तक 18 किमी0 भाग राष्ट्रीयकृत है तथा सिकरावां मोड़ से सुजानगंज तक 27 किमी0 अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस पर निजी बसों का संचालन है। अतएव इस मार्ग पर निगम बसों का संचालन संभव नहीं है।

जौनपुर–प्रतापगढ़ मार्ग पर निगम की बस संचालित है।

जौनपुर सुजानगंज वाया शेखा बरईपार मार्ग पर अराष्ट्रीयकृत भाग पड़ने के कारण संचालन प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता। अराष्ट्रीयकृत श्रेणी के मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना निदेशक द्वारा निर्माण कराई गई दुकानों की शिकायत की जांच

50–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ठा0 जसवंत सिंह ने ग्राम्य विकास मंत्री को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्रांक 3144 दिनांक 13-9-85 द्वारा कसरौला बाजार की 10 दुकानों का निर्माण शाहमहोली में 15 दुकानों का निर्माण, मेंहदी पुरवा की 15 दुकानों का निर्माण सम्बन्धी अनियमितताओं की शिकायत की गयी थी और इस शिकायत में पूर्व परियोजना निदेशक पर सारी कमियों का आरोप लगाया था? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम आया है और क्या वे दोषी पाये गये अथवा नहीं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी और दुकानों का लाभ क्या ग्रामीण-वासियों को मिल रहा है अथवा नहीं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद सीतापुर में कसरैला बाजार में 10 दुकानों, शाहमहोली में 15 दुकानों तथा मेंहदीपुरवा में 15 दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री रामपाल सिंह यादव के विरुद्ध प्रश्न में वर्णित शिकायतकर्ता की शिकायतें उनके एक अन्य पत्र दिनांक 1-7-85 में प्राप्त हुईं।

सर्वप्रथम उक्त मामले की प्रारम्भिक जांच तत्कालीन परियोजना निदेशक सीतापुर के माध्यम से कराई गई तदोपरान्त उप विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से विस्तृत जांच कराई गई। जांच में रिपोर्ट के आधार पर प्रश्न में वर्णित दुकानों के निर्माण के संबंध में तत्कालीन परियोजना निदेशक के सम्बन्ध में कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। चूंकि परियोजना निदेशक को उक्त निर्माण कार्यों में दोषी नहीं पाया गया अतएव कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। ग्राम वासियों को दुकानों से लाभ मिल रहा है या नहीं, इस बिन्दु पर जानकारी की जा रही है।

जनपद सीतापुर के परियोजना निदेशक के विरुद्ध जांच

51–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठा0 भगवन्त सिंह प्रमुख क्षेत्र समिति परसेंडी ने अपने रजिस्टर्ड पत्रांक 1392 दिनांक 30-10-85 व 041 दिनांक 23-11-85 द्वारा आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उ0 प्र0, लखनऊ को जनपद सीतापुर में पूर्व परियोजना निदेशक के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जांच कराये जाने की मांग की थी? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम आये और दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री भगवन्त सिंह, ब्लाक प्रमुख परसेंडी जनपद सीतापुर के शिकायती पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1985 जिसमें श्री राम पाल सिंह यादव, सेवा निवृत्त परियोजना निदेशक सीतापुर के विरुद्ध कई आरोप लगाये गये थे, की जांच सर्वप्रथम परियोजना निदेशक सीतापुर से कराई गई, तदोपरान्त उप विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल से विस्तृत जांच कराई गई। जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्री रामपाल सिंह यादव सेवा निवृत्त परियोजना निदेशक के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तथा शिकायतों का सीधा संबंध तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, परसेन्डी से है, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री वेद राम संस्कृत प्रवक्ता का चयन

52–श्री बिहारी लाल दोहरे–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री वेद राम प्रवक्ता संस्कृत जो अनुसूचित जाति के हैं, 22 अगस्त, 1984 को माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा चयनित किये गये थे और जिनको मैनपुरी में डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज आर्यपुर खेड़ा में प्रवक्ता का पद नियुक्ति किया गया था? यदि हां, तो क्या उनको उपरोक्त कालेज में प्रवक्ता पद का चार्ज मिल गया है? यदि नहीं, तो क्यों और चार्ज दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

न्यायालय के स्थगन दिनांक 16-11-84, 12-7-75 तथा 16-9-87 के आदेशानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जा सका।

जी नहीं।

आयोग के चयन के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय का दिनांक 16-11-84 को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 31-1-85 को स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् निरीक्षक ने 21-2-85 को प्रबन्धक को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु आदेश दिये। पुनः मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-7-85 को अध्यादेश संख्या–12 की धारा 33(क) के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया। यह स्थगन आदेश दिनांक 20-8-87 को खारिज हो जाने पर निरीक्षक ने 19-9-87 को पुनः प्रबन्धक को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु आदेश दिये। किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध श्री जुगेन्द्र सिंह तथा श्री गिरजा शंकर द्वारा संयुक्त रूप से स्पेशल लीव पिटीशन मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर करके यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 16-9-87 को प्राप्त कर लिए जाने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशानुसार श्री जुगेन्द्र सिंह उक्त संस्था में प्रवक्ता संस्कृत के पद पर कार्यरत हैं और श्री वेदराम को कार्यभार ग्रहण कराना संभव नहीं हो पा रहा है।

जनपद आजमगढ़ के मार्गों की मरम्मत

53–श्री विष्णुदेव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985-86 में जिन मार्गों पर मिट्टी का काम हुआ है, मरम्मत व पुलियों के अभाव में गत बरसात में बहुत स्थानों पर मिट्टी बह गयी है और पूर्व की भांति आवागमन में परेशानी बनी हुई है? यदि हां, तो ऐसे सम्पर्क मार्गों की मरम्मत व पुलियों के निर्माण व खड़ंजा की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या योजना है और उस पर कब तक अमल हो जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985-86 में निर्मित 205 सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का कार्य हुआ था तथा 184 पुलियों का निर्माण किया गया पिछली बरसात में तेज वर्षा और जल प्लावन से जहां पर सड़के क्षतिग्रस्त हो गयी है अथवा पानी की निकासी के लिए पुलिया की आवश्यकता है उनका सर्वेक्षण करा लिया गया है। इन सड़कों की मरम्मत हेतु प्रत्येक ब्लाक के हिसाब से 50 हजार रु0 ब्लाकों में भेजा जा चुका है शेष सड़कों के मरम्मत के लिए प्रति वर्ष कुल आवंटित धनराशि का 10 प्रतिशत सड़कों के अनुरक्षण मद पर व्यय करने का प्राविधान किया गया है।

जनपद आजमगढ़ के श्री गिरजा प्रसाद गुप्त के पत्र पर दीवान व सिपाहियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

54–श्री विष्णुदेव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें पुलिस चौकी रसूलपुर थाना दोहरीघाट जनपद आजमगढ़ के दीवान व सिपाहियों के विरुद्ध श्री गिरिजा प्रसाद गुप्त ग्राम बेला कसेला (कासवीर) थाना दोहरीघाट जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 28-4-87 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी जांच कब किस अधिकारी ने की और क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी घोसी द्वारा दिनांक 23-8-87 को कराई गई। जांच में कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुए अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चमन लाल प्रद्योत की फूड सेल में कार्याविधि

55–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासकीय पुलिस सेवा में किस पद पर तैनाती की कोई अवधि निर्धारित है? क्या यह सही है कि श्री चमन लाल प्रद्योत फूड सेल में विगत 7 वर्षों से तैनात है जहां वह पहले चार वर्ष एस0 पी0 रहे हैं और इसके बाद उन्हें वहीं पर डी0 आई0 जी0 बनाकर रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इस सेवा के अधिकारियों की किसी पद विशेष पर तैनाती की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। जनहित को ध्यान में रखकर अधिकारियों को अपने पदों पर कार्य करने का समुचित अवसर दिया जाता है ।

यह सही नहीं है कि श्री प्रद्योत विगत सात वर्षों से फूड सैल में तैनात है और न ही यह सही है कि वे पहले यहां पुलिस अधीक्षक के पद पर 4 वर्ष तक रहे। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री चमन लाल प्रद्योत फूड सेल में पुलिस अधीक्षक के पद पर 28-2-82 से 28-11-83 तक केवल 1 वर्ष 9 माह तैनात रहे और 29-11-83 से उन्हें इसी संगठन में अपर खाद्य आयुक्त तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया और इसी हैसियत से उन्हें कार्य करते हुए केवल 4 वर्ष 1 माह हुआ है। श्री प्रद्योत को अपर खाद्य आयुक्त एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर जनहित में नियुक्त किया गया है।

जनपद लखनऊ के अनवार जमील द्वारा डायर मुकदमें में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

56–श्री सईदुज्जमा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धारा 323, 324 व 336 आई0 पी0 सी0 में केसरबाग कोतवाली, जनपद लखनऊ के अनवार जमील ने नुजहत मिर्जा व तकी हसन बगैरह के खिलाफ दिनांक 13-3-87 में मुकदमा कायमे किया था? यदि हां, तो क्या यह सच है कि चार्जसीट इस मुकदमें में लगा दी गयी थी मगर इसको अदालत में नहीं भेजा गया? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियोग में स्थानीय पुलिस ने अन्तर्गत धारा 323/326/336 भा0 दं0 वि0 का आरोप पत्र तैयार किया था जिसे अग्रिम विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा रोक लिया गया था। उस आरोप पत्र को अपराध शाखा द्वारा अग्रिम विवेचना के उपरान्त दिनांक 24-11-87 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती शीरी मिर्जा थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ की डाक्टरी जांच एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही

57–श्री सईदुज्जमा तथा श्री कोकब हमीद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नुजहत मिर्जा उर्फ शीरी की तरफ से जो एफ0 आई0 आर0 दिनांक 13-3-87 को थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ में अनवार जमील आदि के खिलाफ धारा 323/504 आई0 पी0 सी0 में लिखी गयी थी वह धारा 324 आई0 पी0 सी0 में किसके आदेश से तरमीम की गयी और उसका आधार क्या था? क्या

यह सही है कि नुजहत मिर्जा और शीरी मिर्जा ने दो अलग-अलग पतियों के नाम से डाक्टरी मुआइना डा0 सिद्दीकी व डा0 वी0 पी0 सिंह के द्वारा दिनांक 13-3-87 को बलरामपुर अस्पताल में कराया था और दोनों डाक्टरी मुआइनों में चोटें भिन्न थीं, जबकि शीरी मिर्जा उर्फ नुजहत मिर्जा एक ही औरत है और एफ0 आई0 आर0 में डाक्टरी मुआइनों की चोटें लिखी नहीं गयी है? यदि हां, तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-3-87 को थाना केसरबाग, लखनऊ में श्रीमती शरीन मिर्जा की रिपोर्ट पर श्री अनवार जमील उनकी पत्नी श्रीमती अनीसजमील व उनके नौकर राहत के विरुद्ध धारा 323/504 भा दं0 वि0 के अन्तर्गत अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट अंकित हुई थी। विवेचना के उपरान्त उक्त धाराओं को धारा 323/324/354 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया था। धारा 354 भा0दं0वि0 का अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही बनता था तथा धारा 324 भा0 दं0वि0 का अपराध इंजरी रिपोर्ट जिसमें एक चोट दांत से काटने की है, के आधार पर बनता है। यह सही है कि श्रीमती नुजहत मिर्जा उर्फ शीरीन मिर्जा ने अपने दो डाक्टरी परीक्षण डा0 सिद्दकी व डा0 वी0 एन0 सिंह (डा0 वी0 पी0 सिंह नहीं) से दिनांक 13-3-87 को बलरामपुर अस्पताल में कराये थे। श्रीमती नुजहत मिर्जा का उपनाम शीरीन है तथा उसके पति केसर मिर्जा को हसल मिर्जा भी कहते है। अतः यह सही नही पाया गया कि दो भिन्न-भिन्न पतियों के नाम से डाक्टरी कराई गई थी। दोनो डाक्टरी परीक्षणों में चोटें भिन्न-भिन्न नहीं थी बल्कि डा0 वी0 एन0 सिंह द्वारा किये डाक्टरी परीक्षण में श्रीमती शीरीन मिर्जा एर्फ नुजहत मिर्जा के शरीर पर दो और चोटें पाई गई जिनका विवरण डा0 सिद्दकी की रिपोर्ट में अंकित नहीं था। सम्भव है कि डा0 सिद्दीकी इन दो चोटों को न देख पाये हो या अंकित करना भूल गये हों। यह सही है कि श्रीमती नुजहत उर्फ शीरीन मिर्जा ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित नही कराया है कि उन्हें कहां और कितनी चोटें आई है किन्तु यह स्पष्ट रूप से लिखाया है कि अभियुक्तगण ने मिलकर उन्हें खूब मारा पीटा। इस प्रकार उन्हें कहां तथा कितनी चोटें आई, प्रथम सूचना रिपोर्ट में न अंकित कराना महत्वहीन है। इस संबंध में श्रीमती शीरीन मिर्जा के अन्य किसी के विरुद्ध कोई अवैधानिक कार्यवाही सम्भव नहीं है।

पंचायत अधिकारी श्री शत्रुघन मिश्र द्वारा धनराशि का गबन

58–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर के पंचायत अधिकारी (श्री शत्रुघन मिश्र) ने ग्राम अमडिहां में कूप निर्माण का करीब पांच हजार रुपये पास बुक से निकालकर अपने निजी कार्य में खर्च कर दिया है? क्या यह भी सच है कि ग्राम पंचायत अधिकारी पर करीब 20 हजार रुपये की रिकवरी की कार्यवाही भी चल रही है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी से 20,000 रुपये की नहीं अपितु 10,612 रुपये की वसूली किये जाने के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 23-11-87 को पारित किये गये हैं। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है।

ग्राम विकास अधिकारी श्री राम दरश मिश्र द्वारा धनराशि का घपला

59–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर के ग्राम सिलहटा में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री राम दरश मिश्र ने 15 हजार रुपये पक्का कुआं व पुलिया तथा खड़ंजा का फर्जी मस्टर रोल बनाकर कागज में ही केवल कार्यपूर्ति दिखाकर निकाल लिया है ? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर की ग्राम सभा सिलहटा में रु0 5750 की लागत से ग्राम विकास अधिकारी, श्री रामदरश मिश्र के माध्यम से केवल एक पक्के कुयें के निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है। उक्त ग्राम सभा में पुलिया तथा खड़ंजा का कार्य न तो स्वीकृत है और न ही कराया गया है । अतः फर्जी मस्टर रोल बनाकर कागज में ही केवल कार्यपूर्ति दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी को कथित कूप को पूर्ण कराकर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

उपरोक्त वर्णित दशा में उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला गोरखपुर एवं देवरिया में नि:शुल्क बोरिंग

60–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर व देवरिया में कितने कृषकों के यहां नि:शुल्क बोरिंग वर्ष 85-86 व 86-87 में हुई है और उनके नाम पर कितनी धनराशि मजदूरी एवं अन्य खर्चे में निकाली गयी है? क्या उन कृषकों के नाम पर निकाली गई धनराशि उनको दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यम सूरत उपाध्याय–

जनपद गोरखपुर में वर्ष 85-86 व 86-87 में 5100 नि:शुल्क बोरिंग तथा जनपद देवरिया में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में 4790 नि:शुल्क बोरिंग कृषकों के यहां कराई गयी । इन बोरिंगों पर गोरखपुर तथा देवरिया में क्रमशः

रु0 28·82 लाख तथा 36·15 लाख मजदूरी एवं अन्य कार्यों पर व्यय किया गया । कृषकों के नाम पर बोरिंग मद में कोई धनराशि नहीं निकाली गयी । कृषकों को रु0 3000 की सीमा तक नि:शुल्क बोरिंग ही उपलब्ध कराने का प्राविधान है । किन्तु योजना में कृषकों को कोई भुगतान किये जाने का प्राविधान नहीं है। अतएव कृषकों को नकद धनराशि देने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा इकौना देहात नत्थापुरवा, विकास खण्ड इकौना, जिला बहराइच में हरिजन एवं मुक्त बन्धुआ मजदूरों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बने मकानों का आवंटन

61–श्री राम सागर राव–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना में गांव सभा इकौना देहात नत्था पुरवा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बने मकानों को मध्य प्रदेश के विलासपुर जनपद के व्यक्तियों को क्यों आवंटित कर दिया गया है ? क्या आवासों को खाली करा कर स्थानीय मजदूर हरिजनों को आवंटित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

लाभार्थी हरिजन जाति के एवं मुक्त बंधुआ मजदूर हैं जो विगत 12-13 वर्षों से इकौना कस्बे के नत्थापुरवा में सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे । जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत के अनुमोदन पर उनको आवास की सुविधा प्रदान की गयी । चूंकि ये पात्र व्यक्ति रहे हैं, अत: इनको मकान विहीन कर अन्य व्यक्तियों को आवास आवंटित करना उचित नहीं है।

श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, कन्या विद्यालय, वंसुकिया, मिर्जापुर का सीमेन्ट की कालाबाजारी में चालान एवं निलम्बन

62–श्री कल्लू राम रत्नाकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, कन्या विद्यालय, वंसुकिया, मिर्जापुर का 49 बोरी सीमेन्ट की काला बाजारी में कोतवाली, देहात मिर्जापुर के द्वारा अगस्त, 1987 में चालान हुआ था और लगभग 15 दिन कारागार मिर्जापुर में बन्दी के रूप में थे ? क्या यह सही है कि यह उसी ग्राम के कन्या विद्यालय में लगभग (5) पांच वर्षों से कार्यरत हैं, और उसी ग्राम के निवासी हैं ? यदि हां, तो अपराधी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनके द्वारा अवैध अर्जित रूप में सम्पत्ति की जांच कराकर इनको दण्डित करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । सीमेन्ट की कालाबाजार के आरोप में जेल जाने की पुष्टि होने पर उन्हें निलम्बित कर दिया गया।

उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की कोई जानकारी अथवा शिकायत न होने के कारण उसकी जांच कराने अथवा श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जनपद के कतिपय ग्राम विकास खण्डों में खड़ंजे निर्माण की योजना

63–श्री नरेश पाल सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसवान व दहगवां में कुछ ग्रामों को खड़ंजों के निर्माण हेतु पिछले 3 वर्षों में कितना धन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त निर्माण हेतु कब तक धन दिलायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसवान व दहगवां के कुछ ग्रामों को खड़ंजा निर्माण हेतु पिछले तीन वर्षों में निम्नांकित धनराशि स्वीकृत की गई है :—

वर्ष	विकास खण्ड सहसवान (रु0 में)	विकास खण्ड दहगवां (रु0 में)
1984–85	2,92,000	3,11,000
1985–86	19,400	49,616
1986–87	1,30,500	1,21,500
योग :	4,41,900	4,82,116

प्रश्न नहीं उठता ।

64–श्री अफसर यू0 अहमद–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर व थानाध्यक्ष, हथगांव के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

65–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि मजहर हैदर नकवी, निवासी ग्राम पट्टी शाह, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर का एक शिकायती-पत्र माह अप्रैल, 1987 में पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर व थानाध्यक्ष, हथगांव के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं? शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

इसमें पुलिसकर्मियों द्वारा शराब पीकर ड्यूटी पर जाने, थाना क्षेत्र में अवैध हरे पेड़ों की कटाई, पुलिस संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री, आपराधिक तत्वों से सांठगांठ आदि की शिकायतें की गयी थीं । जांच से सभी आरोप असत्य एवं निराधार पाए गए । अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष सुरेरी जनपद जौनपुर की हत्या विषयक पत्र पर जांच

66–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थानाध्यक्ष सुरेरी जनपद जौनपुर की हत्या के संबंध में प्रश्नकर्ता को कोई पत्र मुख्य मंत्री को दिनक 6 जनवरी, 1986 का मिला है? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त शिकायती पत्र के आधार पर कोई जांच करायी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त पत्र में घटना की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया गया था। चूंकि जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही थी इसलिए किसी अन्य जांच का औचित्य नहीं पाया गया । अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांचोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जौनपुर, परिवहन विभाग में सही बसों की संख्या

67–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में परिवहन विभाग में परिवहन विभाग में कितनी बसें हैं और किन-किन मार्गों पर चलती हैं तथा कितनी बसें ऐसी हैं जो कि किसी खराबी के कारण वर्कशाप में पड़ी हुई हैं ? क्या खराब बसों की मरम्मत शीघ्र कराकर उन्हें मार्गों पर चलवाने की कृपा करेंगे तथा क्या मंत्री जी जौनपुर डिपो में कुछ नई बसें भेजने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान में जौनपुर डिपो में 102 बसें हैं, जिनमें से प्रतिदिन 96 बसें 32 मार्गों पर संचालित की जाती हैं। मार्गों की सूची संलग्न है ।

जौनपुर में 6 बसें डिपो स्तर पर आफ रोड हैं, जो कुल बसों का लगभग 5 प्रतिशत है तथा मरम्मत व रख-रखाव के लिए निर्धारित मानक के अनुसार है ।

जौनपुर डिपो को अप्रैल, 1987 से अक्टूबर 1987 तक 23 नई बसें दी जा चुकी हैं ।

(देखिये नत्थी ख आगे पृष्ठ 155 पर)

रतन सेन डिग्री कालेज बांसी-बस्ती के प्राचार्य द्वारा अवैध बी एड में प्रवेश तथाइनडाउमेन्ट प्रापर्टी की अवैध रजिस्ट्री

68–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज बांसी जनपद बस्ती के प्राचार्य ने वर्ष 1986–87 के बी0 एड0 प्रवेश में विश्वविद्यालीय आदेशों एवं नियमों के विरुद्ध 65 गैर प्रान्तीय छात्रों को अनधिकृत रूप से प्रवेश देकर बिना विश्वविद्यालय

के प्रवेश-पत्र प्राप्त किये परीक्षाएं करवायी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त छात्रों ने प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन किया था ? यदि नहीं, तो अनधिकृत रूप से प्रवेश लेने, परीक्षाएं करवाने के आरोप में प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराने, अवैध प्रवेश निरस्त करने एवं प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जी नहीं।

प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार प्रबन्धतंत्र को है। अतः कालेज के प्रबंधतंत्र को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिये जाने हेतु गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को निर्देश दे दिये गये हैं।

शासन द्वारा विश्वविद्यालय को इस संबंध में लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

69–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी जनपद बस्ती की इनडाउमेन्ट प्रापर्टी को प्राचार्य ने प्रबन्धक की मां के नाम 31 मार्च, 1983 को रजिस्ट्री संख्या 1225 सब-रजिस्ट्रार कार्यालय बांसी द्वारा बेंच दिया है? यदि हां, तो क्या बेंचने से पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 की लिखित अनुमति प्राप्त की गई थी? वर्तमान समय में क्या कालेज के पास कोई इनडाउमेन्ट प्रापर्टी है? यदि हां, तो वह किस स्थान पर स्थित है और कालेज से उसको कितनी आय होती है?

श्री सिब्ते रजी–

कालेज का पुराना भवन बेचा गया है जो प्राभूत के अन्तर्गत नहीं था।

जी नहीं।

जी हां।

राजा रतनसेन चैरिटेबुल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट बांसी, बस्ती से रु0 4,500 प्रतिवर्ष प्राप्त होता है।

8 एकड़ भूमि जिसमें नवीन कालेज भवन स्थित है।

ग्राम गोनहा तथा बसहिया में स्थित कृषि भूमि से रु0 9,000 प्रतिवर्ष प्राप्त होता है।

श्री श्याम करन राम, ग्राम भरपूर पिछवार, लालगंज, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़ की गिरफ्तारी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

70–श्री भगवान दीन कुशवाहा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम करन राम निवासी ग्राम भरपूर पिछवार, तहसील लालगंज, थाना मेहनाजपुर, जिला आजमगढ़ जिस पर डकैती बलात्कार के अनेकों मामले दर्ज हैं, की गिरफ्तारी के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य विधायकों के माह मार्च, 87 में प्राप्त पत्र पर मा0 गृह मंत्री द्वारा डी0 आई0 जी0 गोरखपुर को प्रेषित पत्र संख्या–971 दिनांक 31 मार्च, 1987 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उपरोक्त मुलजिम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

माननीय विधायकों के प्रश्नगत पत्र पर क्षेत्राधिकारी, लाल गंज से जांच कराई गई है। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये। अतः किसी गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता ।

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन

71–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रतन सेन डिग्री कालेज बांसी, बस्ती के संविधान का पंजीकरण सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार सोसायटीज से पंजीकृत है? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में बिना पंजीकरण कराये इस संस्था को 1968 में मौलिक मान्यता प्रदान की गई और किस नियम के तहत अपंजीकृत संस्था को लाखों रुपया अनुदान दिया गया?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 16-11-1923 तथा उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 19-11-1966 के अनुसार रतनसेन डिग्री कालेज बांसी, बस्ती की प्रबन्ध समिति का संविधान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन से मुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेतराम पुत्र श्री सुखई ग्राम मुजफ्फरनगर थाना गोसाईगंज, लखनऊ के सुरक्षा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

72–श्री शारदा प्रताप, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री मूल चन्द्र एवं श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नेतराम पुत्र श्री सुखई ग्राम मुजफ्फरनगर घुसवल खुर्द थाना गोसाईं गंज, जिला लखनऊ का पत्र उनको सुरक्षा एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने में पुलिस की उदासीनता के संबंध में श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ दिनांक 11-6-87 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी से कराई गई? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला एवं अभियुक्तों तथा पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

जांच से विदित हुआ कि लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व भूमि के आवंटन के विवाद को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षी कृष्ण कुमार आदि से झगड़ा हुआ था। इस रंजिश पर दिनांक 2-4-86 को प्रार्थी द्वारा थाना गोसाईंगंज पर धारा 504/506 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसके संबंध में न्यायालय से अनुमति प्राप्त न होने पर विवेचना सम्भव नहीं हो सकी। जांच से यह भी पाया गया कि दिनांक 21-10-85 को शान्ति भंग होने के कारण थाना गोसाईंगंज से प्रार्थी आदि 12 नफर एक पक्ष के तथा विपक्षी आदि 12 नफर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध धारा 107/116 (3) दं0 प्र0 सं0 की चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें दोनों पक्ष प्रतिबंधित किए गए हैं। उक्त जांच के दौरान दोनों पक्षों में कोई नए विवाद का होना नहीं पाया गया। जांच से किसी पुलिस कर्मचारी का दोष नहीं पाया गया।

73–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[दिनांक 8-9-86 को ता0 प्र0 सं0 18 द्वारा उत्तरित]

श्री जगदीश प्रसाद निवासी जोया थाना डिडौला, मुरादाबाद द्वारा दर्ज कराई गयी पुलिस रिपोर्ट

74–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-1-86 को जनपद मुरादाबाद के थाना डिडौली में श्री जगदीश प्रसाद निवासी जाया द्वारा एक रिपोर्ट अपराध सं0 19 धारा 147. 148, 347 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत सब रजिस्ट्रार अमरोहा आदि के विरुद्ध कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अभियोग की विवेचना से यह तय हो जाने पर कि सब रजिस्ट्रार अमरोहा ने कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारिक सीमा के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और किसी अपराध का उन्हें दोषी न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री राम जन, बेल्डर, उ0 प्र0 सुगर कारपोरेशन यूनिट अमरोहा, मुरादाबाद द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट

75–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना अमरोहा जनपद मुरादाबाद के शुगर कारपोरेशन यूनिट अमरोहा जनपद, मुरादाबाद में, बैल्डर के पद पर कार्यरत रामजन द्वारा दिनांक 16-4-86 को एक एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि रामजन सैडूलकास्ट जाति से सम्बन्धित है और उसे कमजोर मानते हुए और सही घटना होते हुए भी पुलिस द्वारा द्वारा उसकी रिपोर्ट पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी? यदि हां, तो क्या शासन उस पूरी घटना की जानकारी सदन को देते हुए उसकी जांच करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम भजन (रामजन नहीं) मोल्डर शुगर मिल अमरोहा अनुसूचित जाति के नहीं है और उनके द्वारा दिनांक 16-4-86 को थाना अमरोहा नगर पर कोई एफ0 आई0 आर0 अंकित नहीं कराई गई थी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मतलूब अहमद पुत्र श्री शकूर अहमद ग्राम कटकई थाना अमरोहा के भाई की हत्या विषय पत्र पर सी0 आई0 डी0 जांच

76–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मतलूब अहमद पुत्र श्री शकूर अहमद मो0 कटकई थाना अमरोहा, जनपद मुरादाबाद ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-3-87 को रजि0 डाक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को भेजा था जिससे उसने अपने भाई की हत्या करने वाले मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से अनुरोध किया था कि उसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जाय ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में क्या-क्या मुद्दे उठाये गये थे तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा सी0 आई0 डी0 जांच न कराये जाने का क्या कारण था ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मतलूब अहमद पुत्र श्री शकूर अहमद, नि0 मोहल्ला कट-कई, थाना अमरोहा, जनपद मुरादाबाद का कथित प्रार्थना-पत्र दि0 9-3-87 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया अपितु श्रीमती नसीमा बेगम पत्नी श्री मरगूब अहमद (मृतक) का प्रार्थना-पत्र दि0 7-3-87, जो रजिस्टर्ड डाक दि0 9-3-87 द्वारा भेजा गया था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिनांक 11-3-87 को प्राप्त हुआ था जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से स्वयं तफतीश करने अथवा सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का अनुरोध किया वया था । इसके अतिरिक्त श्री मतलूब अहमद ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-3-87 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के समक्ष प्रस्तुत होकर दिया था जिसमें उसने अपने मृतक भाई की हत्या की जांच सी0 आई0 डी0 से कराये जाने का अनुरोध किया था । श्री मतलूब अहमद के प्रार्थना-पत्र में उपनिरीक्षक श्री प्रेम बिहारी लाल शर्मा व कृपाल द्वारा उसके भाई को बुलाकर ले जाने व उसको हत्या कर दिये जाने का सन्देह व्यक्त किया गया था ।

इस घटना के सम्बन्ध में थाना रजबपुर में अपराध सं0 44/87, धारा 279/304 ए भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ जिसे विवेचना के दौरान धारा 302/201 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित कर दिया गया था । पुलिस के राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त उपनिरीक्षक श्री प्रेम बिहारी लाल शर्मा, कृपाल सिंह तथा चन्दन सिंह को बन्दी बना कर जेल भेजा गया । अतः मामले में अपराध शाखा अनुसधान विभाग से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

श्री अकबर हुसैन बाबर स0 वि0 स0 का श्री राम निहोर यादव के जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

77–श्री सुखपाल पाण्डे–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री अकबर हुसैन बाबर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न स0 104 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निहोर यादव या राम निहोर यादव के संबंध में जांच किस अधिकारी द्वारा की गई थी ? यदि निहोर यादव या राम निहोर यादव नाम का कोई व्यक्ति ग्राम हुसैन पुर सकरवारी में नहीं रहता है तो क्या उक्त ग्राम के भू0 अभि-लेख में निहोर यादव या राम निहोर यादव के नाम जितनी भी भूमि आदि है वह ग्राम सभा हुसैनपुर सकरवारी के नाम कर दी जायेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

78–श्री सुखपाल पाण्डे–

[दिनांक 29-12-87 को अता0 प्र0 सं0 156 द्वारा उत्तरित]

79–श्री राम पाल सिंह एडवोकेट–

[दिनांक 1-1-88 को अता0 प्र0 सं0 121 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर जनपद में दरोगा एवं नायब दरोगा की स्थानान्तरणोपरान्त तैनाती

80—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में कौन-कौन से ऐसे दरोगा या नायब दरोगा हैं जो एक थाने पर कार्य करने के बाद स्थानान्तरित होने पर कुछ दिन बाद दोबारा उसी थाने पर तैनात कर दिये गए हैं ? दुबारा उसी थाने पर तैनाती के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि शासनादेश के विरुद्ध जनपद में तीन साल से अधिक अवधि से पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एक ही थाने में पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

गोरखपुर जिले में कोई ऐसे दरोगा या नायब दरोगा नहीं हैं जो एक थाने पर कार्य करने के बाद स्थानान्तरित होने पर कुछ दिन बाद दोबारा उसी थाने पर तैनात किये गये हों ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास खण्ड घुघली एवं परतावल, गोरखपुर के विकास कार्य विषयक पत्र पर कृतवाही

81—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर से कई माह पूर्व यह शिकायत की थी कि ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग में बिना स्वीकृति के कई कार्य विकास क्षेत्र घुघली एवं परतावल में कराए हैं एवं शासकीय निर्देशों के विरुद्ध कार्य ठेकेदारी से कराए गए हैं जिसमें काफी घपला हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर से शिकायत की गयी थी जिसकी जांच करायी गयी । जांच रिपोर्ट के अनुसार विकास क्षेत्र घुघली एवं परतावल में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा सभी कार्य शासन के निर्देशों के अनुरूप एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही कराये गये । इसमें किसी प्रकार का न तो घपला ही किया गया और न ही ठेकेदारी से कोई कार्य कराया गया।

श्री संकठा प्रसाद यादव, निवासी पुराना गोरखपुर जनपद गोरखपुर का सुरक्षा विषयक पत्र

82—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, निवासी पुराना गोरखपुर थाना-गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी आदेश रेडियो ग्राम संख्या 77ए/सी/86-एक्स-7 दिनांक 15-12-86 के द्वारा जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्या श्री यादव को सुरक्षा प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

श्री संकठा प्रसाद के जीवन के लिए पुलिस अथवा अन्य किसी से किसी संकट का होना नहीं पाया गया, फिर भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया था ।

श्री हरिनरायन बरनवाल ग्राम चैती, पो0 पड़री देवरिया का एक उत्पीड़न विषयक पत्र

83–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिनरायन बरनवाल निवासी ग्राम चैती मुसहरी पो0 पड़री जनपद देवरिया का छप्पर गुमटी उजाड़े जाने व गुमटी का सामान लूटने, नष्ट करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-2-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

श्री इफ्तुल्लाह ग्रा0 व पो0 दरगाह, आजमगढ़ का ताजिया निकालने हेतु साफ रास्ते के के लिए एक पत्र पर कृत कार्यवाही

84–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताजिया निकलने के रास्ते को साफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इफ्तुल्लाह ग्राम व पोस्ट दरगाह जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13-11-86 के पत्र के संदर्भ में श्री हीरा लाल, संयुक्त सचिव के अ0 शा0 पृ0 सं0 एम0 एल0 ए0 2009/86 गो–7 उत्तर प्रदेश, गोपन अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 13-2-87 के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री इफ्तुल्लाह ग्राम व पोस्ट दरगाह जनपद आजमगढ़ के शिकायती पत्र की जांच से यह पाया गया कि ताजिया निकालने का रास्ता साफ है। किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

85–86–श्री हर्ष वर्धन–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 165–166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जूनियर हाई स्कूल से उच्चीकृत विद्यालयों के प्राचार्यों की समस्या के निवारणार्थ शासनादेश

87–श्री राम शरण दास–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने दिनांक 16-7-85 को अपने पत्र संख्या-583/वी0 आई0 पी0/85 द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को अवगत कराया था कि उन्होंने जूनियर हाईस्कूल से उच्चीकृत विद्यालयों के प्राचार्यों की समस्या पर निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय पर अब तक आदेश निर्गत क्यों नहीं हुए हैं? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह क्या निर्णय लिया गया था और कब तक आदेश निर्गत करा दिये जायेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा मंत्री ने सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र नहीं अपितु टिप्पणी लिखी थी जो विभागीय पत्रावली का अभिन्न अंग है।

तत्समय न्याय विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। अन्ततोगत्वा वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। अत: आदेश निर्गत करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रभारी निरीक्षक थाना हाटा, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

88–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के हाटा के विधायक (श्री विदेशी प्रसाद भारती) ने मुख्य मंत्री, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 को दिसम्बर, 1986 में पत्र लिखकर हाटा के प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध आरोप लगाया है कि वे उनकी हत्या करवा देना चाहते हैं तथा विभिन्न आरोपों में उन्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच शासन द्वारा कराई गई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या शासन आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यक्रम करेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

मामले की जांच कराई गई, जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं हुए संबंधित प्रभारी निरीक्षक का स्थानान्तरण जनपद से बाहर किया जा चुका है।

कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय गौरी, लखनऊ के भवन मरम्मत हेतु उपलब्ध धन

89–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय, गौरी, जनपद लखनऊ को वर्ष 1980-85 के मध्य रु0 5,000/- विकास खण्ड सरोजनी नगर द्वारा मरम्मत कार्य हेतु दिया गया था? यदि हां, तो उक्त धनराशि में से कुल कितनी धनराशि का व्यय प्रश्नगत विद्यालय भवन के मरम्मत में किया गया? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि ग्राम प्रधान द्वारा उक्त विद्यालय पर होने वाले व्यय का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया? यदि नहीं, तो क्या सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में ग्राम प्रधान को निलम्बित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

अनुमानत: 500 रु0 मात्र की धनराशि व्यय की गयी है।

व्यय का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रश्नगत गांव लखनऊ नगरपालिका की सीमा में आ जाने के कारण प्रधान का पद यद्यपि स्वत: समाप्त हो गया है, तथापि तत्कालीन ग्राम प्रधान को प्रदत्त धनराशि के संदर्भ में जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल में लिपिक पद हेतु लिया गया साक्षात्कार तथा उसका मापदण्ड का आधार

90–श्री पुष्कर सिंह रौथाण–

क्या सरकार को मालूम है कि गढ़वाल मण्डल के उप शिक्षा निदेशक ने लिपिक वर्ग के 65 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु माह अप्रैल, 87 में जो साक्षात्कार लिया उसमें महिला अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

उक्त प्रतिबन्ध उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल द्वारा लगाया गया था और चूंकि उनके द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त नियुक्तियां की जा चुकी हैं, अतः शासन स्तर से कथित प्रतिबन्ध को हटाने का अवसर नहीं रह गया है।

91–श्री पुष्कर सिंह रौथाण–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अप्रैल, 1987 में उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल ने लिपिक वर्ग में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची बनाई थी उसका आधार क्या था? क्या यह सही है कि साक्षात्कार के लिए बुलाये गये कुछ अभ्यर्थियों की पुनः टंकण परीक्षा ली गई? यदि हां, तो किन-किन अभ्यर्थियों को दुबारा टंकण परीक्षा ली गयी और क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अर्ह अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार हेतु बनायी गयी थी।

जी हां।

संलग्न सूची में अंकित 71 अभ्यर्थियों की पुनः टंकण परीक्षा ली गयी।

टंकण परीक्षा के परीक्षक द्वारा सन्देह व्यक्त किये जाने के कारण।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 156 पर)

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, क्षेत्र विकास अधिकारी कल्ली खाल गढ़वाल के विरुद्ध शिकायत

92–श्री पुष्कर सिंह रौथाण–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कल्ली खाल के क्षेत्र विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश अग्रवाल को निर्बल वर्ग आवास के तीन लाभार्थियों से 500-500 रुपये घूस लेते हुए जनता ने घेर लिया था और अपर जिलाधिकारी विकास श्री के0 एस0 दरियाल द्वारा घूस में ली गयी धनराशि को वापस कराये जाने का आश्वासन दिलाये जाने पर उन्हें घिराव से मुक्त कराया गया था? यदि हां, तो क्या श्री अग्रवाल के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

खण्ड विकास अधिकारी कल्जीखाल ने अपने घिराव की सूचना दूरभाष पर अपर जिलाधिकारी (विकास) को दी थी, किन्तु अपर जिलाधिकारी (विकास) के कल्जीखाल विकास खण्ड में पहुंचने पर उन्हें मौके पर खण्ड विकास अधिकारी अथवा अन्य कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला । कुछ लोग अवश्य वहां मौजूद थे जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 500–500 रु0 घूस लिए जाने की पुष्टि नहीं कर पाये। अर्णित दशा में अपर जिलाधिकारी (विकास) द्वारा कथित लोगों को धनराशि वापस करने का आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि श्री वेद प्रकाश अग्रवाल खण्ड विकास अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई, अतएव उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गई है।

93–श्री पुष्कर सिंह राणा–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उन्नाव द्वारा गेहूं वितरण में धांधली

94–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उन्नाव द्वारा मार्च, 87 में मजदूरों के लिए आया हुआ 800 क्विंटल गेहूं बेच लिया गया है? क्या यह भी सही है कि गेहूं बेचकर एक स्थानीय बैंक में महमूदुल हसन बेग नामक, एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम से खाता खोलकर ठेकेदारों को चेक दिए गए हैं? क्या पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हुए लिखे गये प्रश्नकर्ता के पत्र सितम्बर, 87 में मंत्री जी को व सचिव ग्राम्य विकास को सितम्बर, 87 के प्रथम सप्ताह में मिले हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उन्नाव द्वारा रोजगार योजनाओं में आवंटित गेहूं की अनियमित बिक्री के संबंध में श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र पर अपर जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री महमूदुल हसन जैदी, निवासी 110 जेरे खिड़की, उन्नाव को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को की गयी निर्माण सामग्री की आपूर्तियों के लिए अप्रैल, 1987 एवं अगस्त, 1987 में भुगतान किये गये हैं।

रोजगार योजनाओं में कथित अनियमितताओं से श्री महमूदुल हसन जैदी के बैंक खाते के संबंध के विषय में जांच पूर्ण होने पर प्रकाश डाला जा सकेगा।

श्री अख्तर अब्बास रिटायर्ड (आई0 जी0 पुलिस) को शिया बोर्ड कन्ट्रोलर के पद से हटाये जाने का औचित्य

95–श्री बिहारी लाल दोहरे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अख्तर अब्बास रिटायर्ड (आई0 जी0 पुलिस) को किन परिस्थितियों में शिया बोर्ड के कन्ट्रोलर के पद से हटाया गया था और उनके स्थान पर सैयद तकी हसन को किन परिस्थितियों में शिया बोर्ड का कन्ट्रोलर नियुक्त किया गया?

श्री सिब्ते रजी–

श्री अख्तर अब्बास, शिया वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर पद पर कार्य करते रहने के इच्छुक नहीं थे अतः उनके स्थान पर श्री सै0 तकी हसन की नियुक्ति की गई ।

श्री सैय्यद तकी हसन की शैक्षिक योग्यता

96–श्री बिहारी लाल दोहरे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैय्यद तकी हसन की शैक्षिक योग्यता शिया बोर्ड के कन्ट्रोलर के पद के योग्य न होने पर भी उनको बोर्ड का कन्ट्रोलर क्यों नियुक्त किया गया?

श्री सिब्ते रजी–

वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर पद के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है।

सैय्यद तकी हसन के विरुद्ध दर्ज फौजदारी का मुकदमा

97–श्री बिहारी लाल दोहरे–

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सैय्यद तकी हसन के विरुद्ध 13-3-87 को एक फौजदारी का मुकदमा धारा 323, 324, 336 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ में दर्ज है जिसमें वह जमानत पर हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से जुर्म धारा 323/326/336 भा0 दं0 वि0 का बनना पाया गया । अतः उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत सैयद तकी हसन एवं अन्य के विरुद्ध अपराध शाखा द्वारा गहन विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जी0 पी0 ओ0 पार्क, लखनऊ में पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा महात्मा गांधी जी के प्रति कहे गये अपशब्द की जांच

98–श्री हर्ष वर्धन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित जी0 पी0 ओ0 पार्क पर दिनांक 22 अप्रैल, 1987 को धरना दे रहे हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री जार्ज फर्नांडीज एवं अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के समय उपस्थित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति की इंगित कर गांधी जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-4-87 का कोई पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो इसके क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है।

जांच आख्या के अनुसार इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा महात्मा गांधी जी के प्रति कोई अपशब्द कहे गये । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय, नानपारा, बहराइच में निर्मित अवैध दुकानें

99–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन योजना की धारा 32 के तहत वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच के अध्यक्ष ने विद्यालय की लगभग 300 फुट जमीन का दुरुपयोग कर 15 दुकानों का निर्माण करवाया है ? यदि हां, तो प्रति दुकान कितना रुपया किराया वसूल किया जा रहा है और विद्यालय के किस खाते में जमा किया जा रहा है ? क्या किसी विद्यालयीय खाते में किराये की धनराशि अब तक नहीं जमा की गयी है तो तत्काल ही समस्त वसूली गयी धनराशि को विद्यालयीय खाते में जमा करा कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कड़ी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निर्मित 15 दुकानें जिला परिषद्, बहराइच की भूमि पर हैं।

5 दुकानों का किराया 300 रु0 की दर तथा 10 दुकानों का किराया 200 रु0 की दर से बालिका विकास परिषद् नानपारा, बहराइच द्वारा लिया जा रहा है।

चूंकि विद्यालय की भूमि पर दुकानों का निर्माण नहीं हुआ है अतः किराये की धनराशि विद्यालय के खाते में जमा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वैद्य भगवान दीन बालिका विद्यालय, नानपारा के प्रधानाचार्य का वेतन

100–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच की प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत शिक्षिका को प्रधानाध्यापिका पद का मूल वेतन दिया जा रहा है जबकि इस पद पर उनकी नियमतः नियुक्ति नहीं है ? यदि दिया जा रहा है, तो क्यों ? क्या अब तक दी गयी धनराशि अविलम्ब वापस की जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

संस्था की प्रधानाध्यापिका को प्रबन्धतंत्र द्वारा दिनांक 16-4-81 को निलम्बित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त पद पर एल0 टी0 वेतनक्रम की वरिष्ठ अध्यापिका की माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों के प्राविधानों के अनुसार तदर्थ पदोन्नति से नियुक्ति की गयी थी।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 1497/86 तथा 5562/87 में पारित आदेशों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय, नानपारा को हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा में स्वकेन्द्र बनाना

101—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच की माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा संचालित हाई स्कूल व इण्टर परीक्षा का केन्द्र वर्ष 86 में स्थापित रहा तथा इसी विद्यालय की छात्राओं का भी यही केन्द्र था जबकि सामान्य व्यवस्था यह है कि उन्हें दूसरे केन्द्र पर परीक्षा देनी चाहिए थी ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

हां । प्रश्नगत विद्यालय परिषद् द्वारा संचालित वर्ष 1986 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा का केन्द्र रहा तथा इस विद्यालय की छात्राओं का भी केन्द्र था । केन्द्र निर्धारण नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों की छात्राओं को साधारणतया स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के आधार पर उन्हें स्वकेन्द्र की सुविधा दी गयी ।

आर0 एस0 गुप्ता, अध्यक्ष, डा0 अम्बेदकर हरिजन सेवा संस्थान को पुराना गनेशगंज, थाना अमीनाबाद, लखनऊ स्थित आवास पर कब्जा न मिलना

102—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-1-1980 को मकान नम्बर 96/84, पुराना गणेशगंज, थाना अमीनाबाद, लखनऊ का ऊपरी हिस्सा श्री आर0 एस0 गुप्ता, अध्यक्ष, डा0 अम्बेदकर हरिजन सेवा संस्थान को रेन्ट कन्ट्रोल के अन्तर्गत निराश्रित बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा हेतु आवंटित किया गया था? क्या यह सही है कि कुछ विवाद के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा शान्ति एवं व्यवस्था के नाम पर विवादित हिस्से पर स्वयं कब्जा कर लिया गया था एवं बाद में दूसरों को कब्जा करा दिया गया ? क्या इसकी शिकायत श्री गुप्ता द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों, पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ रेन्ज व शासन को करने पर जांच से आरोप सही पाया गया ? क्या इस सम्बन्ध में गृह पुलिस अनुभाग—4 से पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ रेन्ज, लखनऊ व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को स्पष्ट आदेश/निर्देश निर्गत किये गये हैं? यदि हां, तो शासन के स्पष्ट आदेशों का अनुपालन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया है जिसके कारण श्री गुप्ता को आज तक आवंटित भवन के हिस्से पर कब्जा नहीं मिल पाया है ? श्री गुप्ता को विवादित हिस्से पर कब तक कब्जा दिलाया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-1-80 को मकान नं0 96/48 (न कि म0 नं0 96/84) पुराना गनेशगंज, थाना अमीनाबाद, लखनऊ का प्रथम खण्ड स्थित

आवास डा0 अम्बेदकर हरिजन सेवा संस्थान द्वार श्री आर0 एस0 गुप्ता के पक्ष में तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट (आपूर्ति) द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु आवंटित किया गया था । नियमानुसार कार्यवाही करके उक्त संस्थान को पुलिस द्वारा दिनांक 21-2-80 को कब्जा करा दिया गया था ।

उपरोक्त संस्थान के श्री आर0 पी0 सिंह, कोषाध्यक्ष, श्री आर0 एस0 गुप्ता को अध्यक्ष पद से हटाकर स्वयं उक्त संस्थान के अध्यक्ष हो गये एवं वर्ष 1982 में उक्त भवन खण्ड पर काबिज हो गये । तभी से श्री गुप्ता का कब्जा समाप्त हो गया क्योंकि यह भवन उक्त संस्थान के नाम आवंटित था । श्री आर0 पी0 सिंह द्वारा उक्त विवादास्पद भवन खण्ड को बेचने का प्रयास करने के फलस्वरूप शान्ति भंग की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उक्त भवन की ऊपरी मंजिल पर पुलिस व पी0 ए0 सी0 ड्यूटी लगा दी गई थी और इस विवादास्पद भवन खण्ड को कुर्क कराने हेतु रिपोर्ट की गई किन्तु न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त न हो सका । यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी को कोई स्पष्ट निदेश जारी किये गये थे ।

भोला प्रसाद कुरील नि0 महमूदनगर, मलिहाबाद, जनपद लखनऊ का डी0 आई0 जी0, लखनऊ को पत्र

103—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला लखनऊ, तहसील मलिहाबाद के ग्राम महमूदनगर के निवासी भोला प्रसाद कुरील का कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 22-5-86 डी0 आई0 जी0 (पुलिस हरिजन सेल) लखनऊ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में क्या अनुरोध किया गया था और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित प्रार्थना पत्र में प्रार्थी श्री भोला प्रसाद ने यह अनुरोध किया था कि उसको लघु सिंचाई नि:शुल्क बोरिंग पम्प हेतु ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा से रुपया स्वीकृत किया गया और उसे मेसर्स एग्रो सेल्स कारपोरेशन, मलिहाबाद के श्री शूरपाल सिंह ने एक इंजन फील्ड मार्शल कह कर दिया जो वास्तव में फील्ड मार्शल इंजन नहीं था । इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा थाना मलिहाबाद में दिनांक 13-5-86 को एक अभियोग अ0 सं0 144/86 धारा 420 भा0 दं0 वि0 का पंजीकृत कराया गया था तथा उक्त अभियोग की विवेचना कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक के स्तर से कराई गई तथा प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप सही पाये गये। अत: प्रार्थी द्वारा लिखाए गए अ0 सं0 144/86 धारा 420 भा0 दं0 वि0 बनाम शूरपाल सिंह के संदर्भ में दिनांक 27-5-86 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 6-9-86 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद बांदा के मुल्जिमों को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी

104–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 2-7-1985 को जनपद बांदा के थाना अतर्रा के मजरा लोधन पुरवा से मध्य प्रदेश की पुलिस जनपद पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बगैर तथा क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से वारन्ट बनवाये बगैर मुल्जिमों को पकड़ कर ले गयी ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 2-7-85 को ही श्री सुखलाल निवासी लोधन पुरवा (अतर्रा) जनपद बांदा ने थाना अतर्रा में दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त रिपोर्ट पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है ? यदि हां, तो फाइनल रिपोर्ट का आधार क्या है तथा रिपोर्टकर्ता श्री सुखलाल एवं अन्य लिखित गवाहों के बयान क्या हैं ? क्या इस प्रकरण की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में दिनांक 2-7-85 को श्री सुखलाल निवासी लोधनपुरवा ने थाना अतर्रा पर 6 व्यक्ति नाम पता अज्ञात मध्य प्रदेश पुलिस के नाम रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिस पर अ0 सं0 142/85 धारा 452/364 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ । विवेचना से ज्ञात हुआ कि धर्मपुर जनपद पन्ना (म0 प्र0) के थानाध्यक्ष अपने पांच कर्मचारियों की मदद से दिनांक 2-7-85 को करीब 3.00 बजे दविश देकर बद्री, बल्देव व भवानीदीन को थाना धर्मपुर (म0 प्र0) के अ0 सं0 1/85 धारा 395/397/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पकड़ ले गये थे एवं उनकी निशानदेही पर लूटी गयी सम्पत्ति भी बरामद की थी और उपरोक्त तीनों का चालान करके जेल भेज दिया था ।

थाना अतर्रा पर पंजीकृत अपराध की विवेचना से धारा 452/364 भा0 दं0 वि0 का अपराध सिद्ध न होने पर अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 4-7-85 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

रिपोर्टकर्ता श्री सुखलाल एवं अन्य लिखित गवाहों के बयानों में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि मध्य प्रदेश की पुलिस दविश देकर घर में घुसकर बद्री, बल्देव व भवानीदीन को पकड़कर ले गयी । इस बात की शंका है कि उनको जान से न मार दें । कुछ गवाहों ने यह भी स्वीकार किया कि इससे पूर्व भी मध्य प्रदेश की पुलिस आ चुकी है।

घटना के सम्बन्ध में दिनांक 27-8-85 को पत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक, पन्ना (मध्य प्रदेश) को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत करा दिया था । इसके उत्तर में पुलिस अधीक्षक, पन्ना ने सूचित किया है कि थाना प्रभारी धर्मपुर के आचरण के प्रति किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है। भविष्य के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तथापि म0 प्र0

शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जायेगा कि वे नथ्यों की पुनः छानबीन कराकर दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करें एवं सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो ।

चूंकि म0 प्र0 पुलिस द्वारा पकड़े गये उपरोक्त तीनों व्यक्तियों से लूटी गयी सम्पत्ति बरामद हुई थी और घटना के घटित हुए समय भी अधिक हो चुका है अतः इस प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराये जाने का अब औचित्य नहीं जान पड़ता है।

थाना बदौसा तथा कालिंजर, जनपद बांदा में घटित अपहरण के अपराध

105- श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना बदौसा तथा थाना कालिंजर में जनवरी, 86 से 15 दिसम्बर, 86 तक कितने अपहरण के मुकदमें दर्ज हुए, इन दर्ज मुकदमों से संबंधित अपहरण कर्ताओं को आरोप पत्र तैयार करके जेल भेजा गया ? लगातार अपहरण की घटनाओं के बढ़ने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के बदौसा क्षेत्र में नया थाना बनाने का प्रस्ताव

106–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बांदा जनपद में बदौसा थाना के अंतर्गत नया थाना फतेहगंज खुलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो नया थाना कब तक खुलकर कार्यरत हो जायेगा –

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जनपद बांदा में फतेहगंज थाने की स्थापना की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 27-2-1986 द्वारा दी जा चुकी है । उक्त थान के कार्यक्षत्र की अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इसके सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर उक्त थाना कार्यरत हो जायेगा ।

श्रीमती कैलशिया नि0 देवखेरा, बांदा द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

107–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कैलशिया बेवा श्री लोनिहा, जाति हरिजन, निवासी देवखेरा, थाना बदौसा, जनपद बांदा ने थाना बदौसा में आई0 पी0 सी0 के धारा 323/504/506 के तहत दिनांक 20-10-86 को रिपोर्ट दर्ज करायी ? यदि हां, तो रिपोर्ट का पूरा विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 20-10-86 को श्रीमती कैलाशिया बेवा लोंलिहा निवासिनी देवखेरा ने थाना बदौंसा पर चिक अहस्तक्षेपीय अ0 संख्या-187/86 धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध अवध बिहारी, निवासी देवखेरा अंकित कराया था ।

रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19-10-86 को श्रीमती कैलाशिया अपने खेत में चारा-काट रही थी जब विपक्षी अवध बिहारी वहां अपने मवेशी ले जाकर घास चराने लगा । उसके मना करने पर विपक्षी ने गाली-गलौज की लात जूता व लाठी से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया । इस मामले मे विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर अवध बिहारी के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-81 दिनांक 6-2 86 को न्यायालय प्रेषित किया गया, जो न्यायालय मे विचाराधीन है । स्थानीय पुलिस द्वारा प्रार्थिनी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ।

श्री कुबेर पुत्र सुकुरुवा द्वारा थाना देवखेरा में लिखाई गई रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

108–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना बदौंसा के अंतर्गत ग्राम देवखेरा के हरिजन श्री कुबेर पुत्र श्री सुकुरुवा ने थाना बदौंसा में 29-12-86 को रिपोर्ट किया ? यदि हां, तो रिपोर्ट के मुकदमें की धारा क्या है तथा रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुबेर पुत्र सुकुरुवा निवासी देवखेरा थाना बदौंसा ने दिनांक 29-12-86 को थाना बदौंसा पर अहस्तक्षेपीय अपराध संख्या 220/86 धारा 504/506 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध धनराज आदि को पंजीकृत कराया था । विवेचना के बाद दि0 29-1-87 को धनराज व दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

रोडवेज बस दुर्घटना में मृत राम मिलन के आश्रितों को आर्थिक सहायता

109–श्री मित्रसेन–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय परिवहन निगम की बस नं0 यू0 एस0 यू0 9591 से राम मिलन पुत्र मुन्ना लाल हरिजन, निवासी नन्दरौली बीकापुर फैजाबाद की मृत्यु बस दुर्घटना के कारण दिनांक 10-8-86 को हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट सं0 254/86 धारा 279/338/304 के अंतर्गत बीकापुर थाना में अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो इस बस दुर्घटना में हुयी मृत्यु से उसके आश्रित परिवार को क्या आर्थिक सहायता दी गयी तथा दोषी कर्मियों को क्या सजा दी गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस बस दुर्घटना में मृतक के वारिसों को रुपया 1,000 अंतरिम सहायता के रूप में दिनांक 14-9-1987 को भुगतान किया जा चुका है तथा शेष रुपया 14,000 का बैंक ड्राफ्ट जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद को दिनांक 2-11-1987 को प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्नगत दुर्घटना में बस के चालक को निलम्बित कर दिया गया है ।

सरोजनी नगर, लखनऊ की क्षेत्र समिति के चुनाव के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

110–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर (लखनऊ) की क्षेत्र समिति के गठन के पश्चात उप ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख व उप कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख के चुनाव के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 22 जनवरी, 87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

निर्वाचन निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पदों के रिक्त न होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई ।

अतएव इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद वि0 विद्यालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम पर दिया गया अनुदान

111–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम को अभी तक कितना अनुदान दिया गया है और गत वर्ष स्वीकृत अनुदान न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

अनुदान नहीं दिया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के महिला छात्रावास में चौकीदार की नियुक्ति

112–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद में राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के महिला छात्रावास में कोई चपरासी, चौकीदार, वार्डन या अधीक्षिका का पद नहीं है ? यदि हां, तो क्या दूर दराज से आयी छात्राओं की पूर्ण सुरक्षा हेतु अन्य महिला छात्रावासों की तरह ही उपरोक्त पदों को स्वीकृत तथा नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

छात्राओं की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु प्रश्नगत महिला छात्रावास में मैट्रन (छात्रावास संरक्षिका) का एक पद पहले से ही स्वीकृत है । जिस पर एक मैट्रन कार्यरत है । विद्यालय के कर्मचारियों में से ही इस महिला छात्रावास को चौकीदार और सफाई का काम लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जाजमऊ एवं पिरौना दुर्घटना काण्डों में मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता

113–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन ने जाजमऊ बस दुर्घटना काण्ड में उन यात्रियों के मरने पर भी उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी है जो बिना बैध टिकट के यात्रा कर रहे थे? यदि हां, तो दिनांक 12 अक्टूबर, 86 को परिवहन निगम की बसों में न बैठाये जाने के कारण मजबूरी में ट्रक में यात्रा कर रहे झांसी कानपुर राजमार्ग पर जालौन जिले के ग्राम पिरौना के निकट ट्रक दुर्घटना में मृत च दिह व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इस दुर्घटना में मृत 14 व्यक्तियों के मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कानपुर में जाजमऊ पुल पर बस दुर्घटना काण्ड में बस यात्री बीमा योजना के अंतर्गत मजिस्ट्रीरियल जांच के आधार पर सभी मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गयी थी क्योंकि सभी मृतक बस यात्री की श्रेणी में आते थे। प्रश्न में उल्लिखित ट्रक दुर्घटना में मृतकों को बस यात्री की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः शासन द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। मृतक के आश्रित संबंधित जिले की दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल में मोटर वेहीकिल्स एक्ट की धारा-92 ए व 110 ए के अंतर्गत दावा दायर करके वाहन स्वामी एवं वाहन के बीमा कर्ता से मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

थाना अमरोहा, मुरादाबाद में राम भजन द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर जांच

114–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-4-86 को एफ0 आई0 आर0 थाना अमरोहा जनपद मुरादाबाद में रामभजन द्वारा अंकित कराई गयी थी? यदि हां, तो उस रिपोर्ट में कौन-कौन लोग अभियुक्त बनाये गये थे तथा घटना क्या थी? क्या शासन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध किसी जांच एजेन्सी द्वारा जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-4-86 को थाना अमरोहा नगर पर रामभजन द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं कराई गई थी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सी0 ओ0 अमरोहा मुरादाबाद को प्रेषित शिकायती पत्र की जांच

115–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 25-6-86 को एक शिकायती पत्र सी0 ओ0 पुलिस, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद को प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या मुख्य बिन्दु उठाये गये थे तथा विभाग द्वारा क्या उस शिकायती पत्र की जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो जांच के उपरान्त क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये थे तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। कथित शिकायती पत्र में अंकित किया गया था कि दिनांक 6-6-86 को सफीया, निवासी ग्राम-देहरा, थाना नौगंवा सादात जब अपने परिवार जन के साथ ईद की नमाज पढ़ने अमरोहा जा रहा था तो कताई मिल अमरोहा पर तैनात उपनिरीक्षक श्री हेमराज ने उन्हें रोका और अकारण उनके साथ मारपीट की।

उक्त शिकायती पत्र की जांच से ज्ञात हुआ कि दिनांक 6-6-86 को ईद का त्योहार नहीं था। इसके अतिरिक्त उप-निरीक्षक श्री हेमराज दिनांक 6-6-86 को मा0 मुख्य मंत्री जी के मुरादाबाद आगमन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर थे और कताई मिल अमरोहा पर उप-स्थित ही नहीं थे।

इस प्रकार जांच से कथित शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप अप्रमाणित पाये गये। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मो0 फारुक अहमद, ग्राममाली खेड़ा अमरोहा जनपद मुरादाबाद के शिकायती पत्र पर जांच

116–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-4-86 को मो0 फारुक अहमद पुत्र श्री सगीर अहमद ग्राम माली खेड़ा अमरोहा देहात जनपद मुरादाबाद ने एक प्रार्थना पत्र एस0 एस0 पी0 मुरादाबाद को सम्बोधित, प्रतिलिपि मुख्य मंत्री जी व पुलिस महानिरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री फारुक खां पुत्र श्री सगीर, निवासी-माली खेड़ा, थाना अमरोहा देहात, मुरादाबाद का डाइरेक्टर जनरल उ0 प्र0 शासन लखनऊ को सम्बोधित एवं मा0 मुख्य मंत्री जी, पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद तथा एस0 एस0 पी0 मुरादाबाद को पृष्ठांकित, एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-4-86 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। जांच से उक्त प्रार्थना पत्र श्री फारुक खां द्वारा दिया जाना नहीं पाया गया और न उसमें लगाये गए आरोप ही प्रमाणित हुए। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डी0 जी0 लखनऊ उ0 प्र0 को प्रेषित पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

117–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 25-5-85 को एक पत्र डी0 जी0 उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया था जिसकी पावती अ0 शा0 प0 स0 डी0 जी0 छः 46/201-85 दिनांक 21 जून, 85 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त पत्र में किसके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे? क्या उन आरोपों की जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच के समय शिकायत कर्ता को सूचित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा उक्त पत्र की जांच के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

हां ।

उक्त पत्र में यह शिकायत की गई थी कि दिनांक 7-6-85 को प्रातः कान्स-टेबुल ओम पाल सिंह इत्यादि ने रेलवे स्टेशन अमरोहा पर स्टाल वेण्डर के यहां चाय पी तथा पैसे मांगने पर उससे मारपीट की । जब ड्यूटी पर नियुक्त टिकट कलैक्टर अलीजान ने उन्हें रोकना चाहा तो उसे भी पीटा तथा गाड़ी में डालकर अपहरण करने का प्रयत्न किया । टिकट कलेक्टर ने चौकी जी0 आर0 पी0 अमरोहा पर सूचना दी । सिपाहियों ने अलीजान टिकट कलेक्टर के विरुद्ध धारा 332 भा0 द0 वि0 का मुकदमा पंजीकृत कराया किन्तु टिकट कलेक्टर की तरफ से सिपाहियों के विरुद्ध धारा 332 भा0 द0 वि का मुकदमा कायम नहीं किया गया क्योंकि सिपाही इन्सपेक्टर के चहेते थे ।

हां ।

जांच के मध्य दिनांक 16-9-85 को शिकायतकर्ता मा0 सदस्य से सम्पर्क किया गया था और उन्होंने यह कहा था कि उन्हें इस प्रकरण की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है तथा उन्हें यह भी मालूम हुआ है कि टिकट कलेक्टर अलीजान तथा सिपाहियों के बीच समझौता हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दोनों पक्षों में दिनांक 23-7-87 को आपस में पूर्ण सहमति से लिखित समझौता हो जाने एवं अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने के कारण विवेचक द्वारा इन दोनों अभियोगों की विवेचनाएं अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस महानिरीक्षक बरेली को जारी जांच पत्र पर कृत कार्य-वाही में विलम्ब

118–हाजी मोहम्मद हयात–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के प्रथम सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 89 के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांक 11-3-87 को पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्र पर इतना समय बीत जाने के बाद भी कार्यवाही न होने का क्या कारण है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक (देहात) मुरादाबाद द्वारा दिनांक 21-6-87 की जांच की गयी और जांच में आरोप निराधार पाये गये। अतः संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिव पाल सिंह, उरेंग जनपद इटावा की मृतकाश्रित कोटे में नियुक्ति

119–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री अभय पाल सिंह, प्रधान अध्यापक, जू0 हा0 स्कूल, उरेंग जनपद इटावा की मृत्यु सेवाकाल में ही दि0 21-4-84 को हो गई थी? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उनके पुत्र ने मृतक के आश्रित के रूप में सेवा में लिए जाने हेतु अनेकों प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा को दिये हैं? क्या यह भी सही है कि राज्य मंत्री शिक्षा ने पुत्र के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 6-10-86 को जि0 बे0 शिक्षा अधिकारी इटावा को नियमानुसार नियुक्ति के आदेश भी दिये थे? यदि हां, तो अभी तक इनकी नियुक्ति न किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी है और उन्हें कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

उनके पुत्र श्री शिवपाल सिंह ने मृतकाश्रित कोटे में नियुक्ति हेतु अपना प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा को दिनांक 30-9-86 को दिया था जिस पर मा0 राज्य मंत्री शिक्षा ने उन्हें सेवा में रखने संबंधी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये थे।

उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रश्नगत नियुक्ति रिक्त पद पर उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सकी। पद रिक्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही संभव होगी।

श्रीपाल सिंह उप निरीक्षक ए0 पी0 जनपद आगरा का स्थानान्तरण

120–श्रीमती शारदा देवी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीपाल सिंह, उप निरीक्षक, ए0 पी0 जनपद आगरा का दिनांक 16-11-84 से 16-11-85 तक एक वर्ष की अवधि में पांच बार स्थानान्तरण किया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे एवं इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया था। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

श्रीपाल सिंह उप निरीक्षक का ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

121–श्रीमती शारदा देवी–

क्या गृह मंत्री को यह भी जानकारी है कि उक्त श्री श्रीपाल सिंह को निश्चित तिथि से 3/1-2 वर्ष पूर्व ही दि0 31-12-85 को जबरन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,

आगरा द्वारा रिटायर कर दिया गया? क्या यह सही है कि उन्हें अभी तक न तो बकाया वेतन आदि का भुगतान किया गया और न ही पेंशन स्वीकार की गई है जिससे इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? उन्हें यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा एवं पेन्शन कब तक स्वीकार की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

श्री श्रीपाल सिंह सब-इन्सपेक्टर आगरा ने स्वयं दिनांक 1-1-86 से ऐच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। इनके अपूर्ण पेंशन प्रकरण में कुछ आपत्तियों के निवारण हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा पेंशन आदि भुगतान वरीयता के आधार पर किया जायेगा।

मो0 अयूब निवासी पुरवा जनपद उन्नाव का, थाना असोहा की पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा जांच

122–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले के थाना असोहा की पुलिस पर माह अगस्त, 87 में पुरवा कस्बे निवासी मो0 अयूब की अंडरटेकिंग उ0 प्र0 परिवहन बस रोक कर चावल छीनने व रिश्वत लेने के आरोप लगे थे और उसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने की थी? यदि हां, तो मो0 अयूब आदि गवाहान द्वारा पुलिस कृत्य के विरुद्ध गवाही दिए जाने के बाद क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इन्हीं सब इन्सपेक्टरों पर माह जुलाई, 87 में भी चावल की बैलगाड़ियों से रिश्वत लेने की जांच चल रही है? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार माह अगस्त, 87 की घटना के संबंध में जांच से रिश्वत लेने व चावल छीनने की बात प्रमाणित नहीं हुई।

माह जुलाई, 87 में कतिपय पुलिस कर्मियों द्वारा बैलगाड़ियां रोक कर रिश्वत लेने की जांच कराई गई थी। जांच से निम्नलिखित कर्मचारी दोषी पाये गये और उनकी सत्यनिष्ठा रोके जाने तथा उन्हें दुश्चरित्र लेख प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई:–

1–उप निरीक्षक श्री आर0 के0 कौशल,

2–उप निरीक्षक श्री जे0 एन0 सिंह,

3–कान्स0 श्री रीतपाल,

4–कान्स0 श्री अशोक कुमार मिश्रा।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जोरावर गंज के किसानों द्वारा थाना अध्यक्ष असोहा जनपद उन्नाव के विरुद्ध लगाए गए रिश्वत के आरोप की जांच एवं कृत कार्यवाही

123–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना असोहा के थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों पर ग्राम जोरावरगंज के किसानों से बैलगाड़ियां ले जाते समय रिश्वत लेने की शिकायत माह जुलाई, 87 में प्रश्नकर्ता द्वारा एस0 पी0 उन्नाव से की गयी थी जिसमें उप अधीक्षक की जांच के वक्त काश्तकारों ने शिकायत को सही प्रमाणित किया था? क्या यह सत्य है कि कुछ काश्तकारों ने रिश्वत के आरोप से इंकार करते हुए हलफनामा दाखिल किया था? यदि हां, तो क्या हलफनामा में यह तथ्य स्वीकार किया गया था कि बैलगाड़ी लेकर काश्तकारों ने पूरी रात थाने में गुजारी थी? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या इसी सन्दर्भ में एस0 पी0 उन्नाव ने स्थानीय अभिगोपन सेवा (एल0 आई0 यू0) से भी कोई जांच करवायी थी? यदि हां, तो उपाधीक्षक एल0 आई0 यू0 आदि की जांच के अंतिम निष्कर्ष क्या है और प्रथम दृष्ट्या आरोपित पुलिस कर्मियों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में पुलिस उपाधीक्षक एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई से जांच करवाई गई।

यह सही पाया गया कि कुछ काश्तकारों ने शपथ पत्र दाखिल किये, जिसमें रिश्वत के आरोपों से इंकार करते हुए, रात ज्यादा होने पर सुरक्षा की दृष्टि से थाने के सामने 3–4 घण्टे रुकना बताया।

इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई की जांच से निम्न-लिखित पुलिस कर्मी दोषी पाये गये :–

1–उप निरीक्षक श्री जे0 एन0 सिंह,
2–उप निरीक्षक श्री आर0 के0 कौशल,
3–कान्स0 श्री रतिपाल,
4–कान्स0 श्री अशोक कुमार मिश्र ।

पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त पुलिस कर्मियों की सत्यनिष्ठा रोके जाने एवं दुश्चरित्र लेखा प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है, जिसके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 का पुनर्गठन लम्बित होना

124–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पुनर्गठन का प्रकरण कब से लम्बित है एवं क्या उच्च स्तरीय कमेटी में भू-भौतिकविदों के अधिकतम उपयोग हेतु कोई प्रतिनिधि नामित था? यदि नहीं, तो क्यों और शासन कब तक कमेटी की सिफारिशों को राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उ0 प्र0 के पुनर्गठन हेतु दिनांक 3-12-84 को गठित समिति ने अपनी संस्तुतियां शासन को मई, 1986 में प्रस्तुत की थी। उक्त समिति में भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्यों को सम्पन्न कराने वाले तीन विभागों भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर तथा केन्द्रीय भूजल परिषद् के निदेशक सदस्य थे। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों का परीक्षण किया जा रहा है जिसके उपरान्त यदि आवश्यकता हुयी तो मंत्रि परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

सूखा प्रभावित जनपदों में भूगर्भ जल स्रोतों का सर्वेक्षण

125–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के तीसरे सोमवार के दिनांक 24-2-86 को प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतायेंगे कि सूखे से प्रभावित जनपदों में ग्राम्य वार हाइड्रोजियोलाजिकल फोटोजिलाजिकल, जियोफिजीकल तकनीक से सर्वेक्षणोपरान्त भूजल स्रोतों का सीमांकन करके सूखे की आपदा रोकने हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

सूखे से प्रभावित जनपदों में भूगर्भ जल स्रोतों का सर्वेक्षण करने हेतु भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा अब तक पांच योजनायें प्रस्तावित की गई हैं, जिनके अन्तर्गत इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, बांदा, झांसी एवं ललितपुर इत्यादि जनपदों के सुखोन्मुख क्षेत्रों में सर्वेक्षण प्रस्तावित है।

ग्राम गौरा, जनपद जौनपुर में लिंकरोड के निर्माण की मांग

126–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा विकास खण्ड बदलापुर, जनपद जौनपुर में लिंक रोड (जो ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ती है) न होने के कारण उक्त ग्रामवासियों को आने एवं जाने में परेशानी होती है, जबकि उक्त ग्राम निर्माणाधीन सड़क रामनगर से कृष्णापुर अथवा घनश्यामपुर से जोखापुर सड़क से एक किलोमीटर की दूरी पर है? क्या मंत्री जी उक्त गांव को उपर्युक्त सड़कों में से किसी में जोड़ने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। अभिकरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण संभव हो सकेगा।

श्री रघुनाथ सिंह सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका खोने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

127–श्री शिवबख्श सिंह राठौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुनाथ सिंह सहायक अध्यापक, जूनियर हाईस्कूल औडेन्य मंडन, जनपद मैनपुरी की सेवा पुस्तिका खो दी गयी है जिसके

कारण उनकी वेतन वृद्धि आदि रोक दी गयी है? यदि हां, तो सेवा पुस्तिका खोने का दायित्व किस पर है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

सेवा पुस्तिका खोने के लिए श्री सीताराम, लिपिक, कार्यालय उप विद्यालय निरीमैनपुरी उत्तरदायी पाये गये।

श्री सीताराम को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी द्वारा भविष्य में सर्तकता से कार्य करने के लिए सचेत कर दिया गया है।

अल्मोड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं का समायोजन एवं स्व0 श्री मथुरा दत्त पंत की पारिवारिक पेंशन का भुगतान

128–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अल्मोड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का सन् 72 में जब प्रान्तीयकरण हुआ था उस समय कार्यरत प्रवक्ताओं का समायोजन महाविद्यालय में कर लिया गया था? यदि हां, तो क्या उनकी पेंशन आदि का मामला गत 15 वर्षों से तय नहीं हो पाया है और उनमें से एक श्री मथुरादत्त पंत जिनका सेवा निवृत्त होने के बाद स्वर्गवास हो गया है, को पेंशन नहीं मिल पायी है? यदि हां, तो क्या अब उनकी पत्नी को पिछले बकाया सहित पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

श्री पंत का लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेंशन देय थी और वह दिनांक 1-9-79 को स्वीकृत की जा चुकी है।

लाभत्रयी योजनान्तर्गत पारिवारिक पेंशन 65 वर्ष की आयु या मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष, जो कम हों, तक देय होती है। स्व0 श्री पंत की जन्म तिथि 30 अक्टूबर, 1911 होने के फलस्वरूप 65 वर्ष की आयु दिनांक 29-10-76 को हो जाती है और उनकी मृत्यु दि0 8-4-86 को हुई है। अतएव उनकी पत्नी को नियमानुसार पारिपारिक पेंशन देय नहीं है।

बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पी0 एल0 ए0 फण्ड को धनराशि के खर्च पर रोक

129–श्री बलराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ तथा प्रदेश के अन्य जिलों के भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पी0 एल0 ए0 (परसनल लेजर एकाउण्ट) फण्ड से खर्च पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो रोक लगाने का औचित्य क्या है ? क्या जनहित में रोक हटाने का अविलम्ब कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

पी0 एल0 ए0 के रख रखाव में अनियमितताओं की जांच के कारण रोक लगाई गई ।

प्रदेश के समस्त जनपदों के पी0 एल0 ए0 में शामिल वेतन व भत्तों की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा 31 जनपदों के पी0 एल0 ए0 की समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शेष जनपदों में जांच पूर्ण न होने के कारण धनराशि अभी अवमुक्त नहीं हो सकी । जांच पूर्ण होते ही इन्हें भी अवमुक्त कर दिया जायगा ।

जनपद बहराइच के जूनियर हाई स्कूल, दीनमामगढ़ के निर्माणाधीन भवन

130—श्री राम सागर राव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना में जूनियर हाईस्कूल, दीनमामगढ़ का भवन निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा और क्या विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

भवन निर्माण कार्य ग्राम अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जायगा । प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध कराने में कुछ समय लगा जो कि उसे अब उपलब्ध करा दी गई है तथा निर्माण इकाई शीघ्र कार्य पूरा करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। अतः विलम्ब के लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में बस स्टेशन की मांग

131—श्री राम सागर राव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में विशेश्वरगंज चौराहे पर छोटे स्तर का बस स्टेशन स्थापित करना शासन के अन्तर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

विशेश्वरगंज चौराहे के निकट ही मात्र 5 कि0मी0 की दूरी पर प्रयागपुर में निगम का एक बस स्टेशन कार्यरत है । विशेश्वरगंज एक छोटा स्थान है तथा यात्रियों की सुविधार्थ यहां सभी स्थानीय बस सेवाओं को रोककर उनमें यात्री बिठाने/उतारने की व्यवस्था की गई है।

श्री सत्य नारायण कुशवाहा, ग्राम तरकुलवा, जनपद देवरिया द्वारा शासन से जान-माल की रक्षा की मांग

132—श्री विष्णु देव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के तहत ग्राम तरकुलवा, थाना तरकुलवा में ग्राम समाज की भूमि पर उसी ग्राम के प्रभावशाली परिवार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था जिसका विरोध करने पर दिनांक 16-2-87 को विजय कुशवाहा की हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो तथ्य क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि विजय के भाई सत्य नारायण कुशवाहा ने 17-10-86 को पुलिस कप्तान, देवरिया तथा शासन को आवेदन पत्र देकर अपने परिवार की जान माल की हिफाजत करने की मांग की थी ? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्र पर कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

ग्राम समाज की भूमि, जो श्री कस्तूरी पार्व त्रिपाठी के पुत्रों एवं श्री विजय बहादुर कुशवाहा के दरवाजे के सामने है को लेकर दोनों पक्षों के बीच दिनांक 16-1-87 को प्रश्नगत भूमि से पानी बहाने के लिए नाली खोदने के प्रश्न पर हुए विवाद में श्री विजय बहादुर कुशवाहा की विपक्षियों द्वारा हत्या कर दी गयी।

विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 30-1-87 को न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री सत्य नारायण कुशवाहा द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र की जांच न किये जाने के मामले में उ0 नि0 हरदेव सिंह सेंगर दोषी पाये गये । उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बस्ती के बखिरा थाना अन्तर्गत घटित अग्निकाण्ड में नष्ट शिव मन्दिर की जांच मांग

133—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या गृह मंत्री यह जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बखिरा थानान्तर्गत दिनांक 10 जून, 87 को 11 बजे दिन में थाने के निकट जो छप्पर जलवाया गया उसके अन्दर स्थित एक 5 फीट के लगभग ऊंचा छोटा शिव मन्दिर भी जलकर राख हो गया है ? क्या शिव मन्दिर वहां की पुलिस की जानकारी में जलाया गया ? यदि नहीं, तो जलने का एफ0 आई0 आर0 पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया ? क्या सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

दिनांक 10 जून, 1987 को जो छप्पर जला था उसमें एक छोटी मिट्टी की शिवमूर्ति भी जली थी ।

जी नहीं, कोई व्यक्ति एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने नहीं आया था। पुलिस द्वारा दी गई जांच से आग अचानक दुर्घटनावश लगवा पाया गया और किसी अपराध का होना न पाये जाने के कारण एफ0 आई0 आर0 नहीं अंकित की गई। कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मोंहदावल, जनपद बस्ती के ग्राम कुडवा में घटित राहजनी काण्ड की जांच की मांग

134–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मोंहदावल (बस्ती) अन्तर्गत 23 जून, 87 को रात्रि 8 बजे के करीब ग्राम कुडवा के निवासियों ने राहजनी कर रहे कुछ बदमाशों को देखकर उनमें से एक दुर्गा प्रसाद सिंह नामक एक राहजन को पकड़ कर थाने पर लाये परन्तु थानाध्यक्ष ने उस दुर्गा प्रसाद सिंह को दबाव में आकर छोड़ दिया और कतिपय अन्य ग्रामवासियों को उल्टे मारा पीटा ? क्या सरकार इस घटना की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती चन्द्रा, अमहरी, थाना कोतवाली, जनपद बस्ती के हत्याकाण्ड की जांच एवं कृत कार्यवाही

135–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती चन्द्रा उर्फ सविता देवी स्त्री घनश्याम पुत्र न्तिराम सा0 अमहरी, थाना कोतवाली, जिला बस्ती की हत्या दिनांक 16-2-87 से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 188/87 अन्तर्गत धारा 302/498-ए में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–188/87 अन्तर्गत धारा 302/498-ए न होकर मुकदमा अपराध संख्या–189/87 धारा 302/498-ए है।

उक्त मुकदमे में दिनांक 24-6-87 को अन्तिम रिपोर्ट लगाकर विवेचना समाप्त कर दी गई है।

136–श्री अफसर यू0 अहमद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री जागेश्वर ग्राम बढ़या एवं मन्तू ग्राम बसोहर, थाना सोनहा, जनपद बस्ती के घर घटित अग्निकाण्ड एवं डकैती में पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

137–श्री अफसर यू0 अहम्द–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1983 को दिन में 10 बजे जगेश्वर पुत्र निरहू ग्राम बढ़या कला, थाना–सोनहा, जिला–बस्ती की पतोहू और बच्चों को मार-पीट कर घर जला दिया गया था ? यदि हां, तो इस नृशंस आपराधिक कार्य करने वाले लोग कौन-कौन हैं ? क्या यह सही है कि जसोबर, थाना सोनहा, बस्ती के मन्तू के घर डाका डालकर मन्तू की हत्या कर दी गई और डकैती के गिरफ्तार मुल्जिमों ने अपने बयान में बताया है कि वे (डकैत) बढ़या कला

के निवासी भगवानदीन पुत्र गोकुल, थाना सोनहा के यहां ठहरे थे और भगवानदीन के इशारे तथा मुखबरी पर मन्तु के घर डाका डाले थे ? यदि हां, तो भगवानदीन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री जगेश्वर पुत्र निरहू ग्राम बढ़या कला, थाना-सोनहा, जिला-बस्ती ने स्वयं श्री परमात्मा शुक्ला के उकसाने पर अपने घर में आग लगा दिया था ।

यह बात सत्य है कि मन्तू सा0 जसोवर, थाना सोनहा के घर डकैती पड़ी थी, जिसमें मन्तू मार डाला गया था ।

जांच से अन्य आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

भावंत नहर पुल, जनपद मैनपुरी में हुई बस दुर्घटना में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

138–श्री बाबू राम यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भावंत नहर पुल, जनपद मैनपुरी पर अभी हाल में हुई बस दुर्घटना में वास्तविक रूप से कितने लोग मारे गये ? क्या इस दुर्घटना की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि स्थल निरीक्षण के समय मुख्य मंत्री जी ने सहायक परिवहन अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता नहर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात कही थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम बसन्तापुर, जनपद शाहजहांपुर में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना

139–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी (परियोजना) शाहजहांपुर के पत्र संख्या 4136/एन0 आर0/सा0 के0/आंकिक-1/86587, दिनांक 2-4-86 के द्वारा विकास खण्ड वण्डा के अन्तर्गत ग्राम बसन्तापुर में सामुदायिक केन्द्र खोलने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो अब इसे किन आधारों पर ग्राम मुड़िया (कुर्मियात) में खोलने का प्रस्ताव किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त आदेश के तहत ग्राम बसन्तापुर में ही सामुदायिक केन्द्र शीघ्र खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी ने अपनी बैठक दिनांक 29-9-86 को निर्णय लिया कि सामुदायिक केन्द्र विकास खण्ड वण्डा के ग्राम बसन्तापुर के स्थान पर ग्राम मुड़िया कुर्मियात में बनाया जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गवर्निंग बाडी निर्णय लेने के लिए सक्षम है ।

आर0 एन0 एम0 चिकित्सालय, शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में कार्यरत फार्मासिस्ट के घर पड़ी डकैती में पाये गये अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

140–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के शिकोहाबाद में स्थित आर0 एन0 एम0 चिकित्सालय में कार्यरत फार्मासिस्ट हरी बाबू शर्मा के सरकारी आवास में दिनांक 6-11-86 को शाम 6 बजे डकैती पड़ी जिसमें 315 बोर की एक राइफल व अन्य सामान लूटा गया ? क्या उक्त डकैती के सम्बन्ध में कुछ डकैतों को पकड़ कर जेल भेजा गया ? क्या यह सही है कि उक्त डकैतों की जमानत पर रिहा होने के बाद भी पुलिस शनाख्त कार्यवाही कराकर उन डकैतों को छुड़ाना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो इसकी जांच किसी अन्य अधिकारी से करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-11-86 को श्री हरी बाबू शर्मा, फार्मेसिस्ट, आर0 एन0 एम0 हास्पिटल, शिकोहाबाद, मैनपुरी ने थाना शिकोहाबाद पर 19.00 बजे सायं लिखित सूचना दी कि उस दिन सायं करीब 6.00 बजे चार बदमाश अज्ञात उनके घर में घुसे और जेवर, राइफल 315 बोर मय कारतूस व मुबलिक 14,500 रुपये लूट ले गये ।

उक्त सूचना के आधार पर उक्त थाने पर मु0 अ0 सं0 448/86, धारा 392 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना से चार अभियुक्त—राकेश, शैलेन्द्र कुमार, नरेन्द्र पाल सिंह व संजीव कुमार प्रकाश में आये । अभियुक्तगण राकेश, शैलेन्द्र कुमार व नरेन्द्र पाल सिंह को दिनांक 2-12-86 को गिरफ्तार करके बापरदा जेल भेजा गया । चौथे अभियुक्त संजीव कुमार ने दिनांक 11-12-86 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उसे भी बापरदा जेल भेजा गया। इसकी जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 16-12-86 को स्वीकार कर ली गई।

इस अभियोग के अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त के लिए दिनांक 9-1-87 से 25-5-87 तक नौ तारीखें पड़ीं, लेकिन वादी मुकदमा व इसके घरवाले ने शिनाख्त में जाने से साफ इन्कार कर दिया । प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने चार मुल्जिमान नाम-पता अज्ञात, सूरत शिनाख्त अंकित कराया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का आधार शिनाख्त है और कानूनन बिना कार्यवाही शिनाख्त कराये आरोप-पत्र नहीं भेजा जा सकता । फलस्वरूप अभियोग की विवेचना दिनांक 22-5-87 को द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की गयी। अभियुक्तगण शैलेन्द्र, राकेश व नरेन्द्र पाल सिंह की जमानतें दिनांक 25 व 26 जून, 1987 को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गईं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरगोविन्द, थाना मालीपुर, जनपद फैजाबाद की जलालपुर पी0 एच0 सी0 डाक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट में भिन्नता

141—श्री विनोद कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मालीपुर, जिला फैजाबाद में दिनांक 1-2-87 को श्री टीकाराम द्वारा श्री हरगोविन्द को किसी व्यक्ति द्वारा गम्भीर रूप से मारे जाने की रिपोर्ट के आधार पर जलालपुर पी0 एच0 सी0 के डाक्टर द्वारा वाद जांच पुलिस को कोई मेडिकल रिपोर्ट 1-2-87 को दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में कितनी चोटें लिखी गयी थीं तथा कौन-कौन सी चोट कहां दिखायी है उसमें कौन सी गम्भीर चोट बतायी गयी? क्या सम्बन्धित डाक्टर ने पुनः उसी घायल के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त रिपोर्ट भी सम्बन्धित थाने को दी है? यदि हां, तो कब और उस अतिरिक्त रिपोर्ट को देने का क्या कारण था और उस रिपोर्ट में डाक्टर ने क्या लिखा है ? क्या दोनों रिपोर्टों में कोई फर्क है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

श्री टीका राम ने नहीं वरन् श्री हरगोविन्द तिवारी ने श्री बाल गोविन्द तिवारी, बद्री प्रसाद तिवारी एवं टीका राम के साथ स्वयं थाने में आकर अपने ही ग्राम के हौसला प्रसाद, चन्द्र भाऊ व रामकुमार द्वारा मारे जाने की मौखिक सूचना दी जिसके आधार पर थाना मालीपुर में चिक गैर दस्तंदाजी संख्या 11 अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत की गई थी। श्री हर गोविन्द ने दिनांक 1-2-87 को पी0 एच0 सी0 जलालपुर में डा0 ए0 एन0 सिंह द्वारा अपनी डाक्टरी कराकर कोई डाक्टरी रिपोर्ट थाना मालीपुर में नहीं दी वरन श्री हरगोविन्द तिवारी ने स्वयं अपनी डाक्टरी रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रति तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के समक्ष दिनांक 10-2-87 को प्रस्तुत की थी। डाक्टरी रिपोर्ट में तीन चोटें दर्शायी गई थी, जिसमें एक चोट सिर के दाहिनी तरफ, दूसरी गले के बीच में, सामने की तरफ तथा तीसरी कोहनी के जोड़ के ऊपर की तरफ लिखी है । इस डाक्टरी रिपोर्ट में किसी चोट को गम्भीर नहीं बताया गया था। चूंकि वादी एवं गवाहान ने प्रतिवादीगणों द्वारा लाठी, डन्डे से मारना बताया था जबकि डाक्टरी रिपोर्ट में चोट नं0 3 को पंचर्ड वूंड लिखा है अतः विवेचक द्वारा चोटों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने पर डा0 ए0 एन0 सिंह ने दिनांक 27-3-87 को एक रिपोर्ट थाना मालीपुर को प्रेषित की जिसमें सिर की चोट (चोट नं0 1) को साधारण चोट बताया गया। इस प्रकार दोनों रिपोर्टों में कोई फर्क नहीं है।

142—श्री शेर बहादुर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कताई मिल अकबरपुर फैजाबाद के प्रबन्धकों द्वारा चोरी से सूत विक्रय की जांच एवं कृत कार्यवाही

143–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली ने वर्ष 1984 में कोई प्रार्थना पत्र डी0 जी0 पुलिस उत्तर प्रदेश को अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित कताई मिल में प्रबन्धकों द्वारा चोरी से ट्रक द्वारा सूत को बेचने, बिके माल की ट्रक पर बिक्री से अधिक माल निकालने, असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने, भ्रष्टाचार इत्यादि के संबंध में पत्र दिया था जिस पर डी0 जी0, मी0 आई0 डी0 ने जांच का आदेश भी किया था? यदि हां, तो उसमें मुख्य आरोप क्या है? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि सी0 आई0 डी0 जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे। पत्र में अकबरपुर जनपद फैजाबाद में स्थित कताई मिल के प्रबन्धकों द्वारा असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने तथा चोरी से ट्रक द्वारा अधिक माल निकालने आदि का आरोप लगाया गया था।

सी0 आई0 डी0 जांच से उक्त मिल के एक सहायक प्रबन्धक तथा दो अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अपराध बनना पाया गया है और उनके अभियोजन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। दो अन्य अधिकारियों को भर्त्सना प्रविष्टि दिये जाने की संस्तुति की गयी है। चूंकि सी0 आई0 डी0 जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन हेतु कार्यवाही की जा रही है, अतएव जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

शंकरपुर विकास क्षेत्र हरंगटीन गंज जनपद फैजाबाद से नदौना गांव सभा के पुनर्गठन विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

144–श्री मित्रसेन–

क्या पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचायती राज अधिकारी कार्यालय फैजाबाद के पत्र संख्या 1105/7-प0/गांव सभा पुन0/86-87 दिनांक 28 अप्रैल, 87 के आधार पर शंकरपुर गांव सभा स्थित विकास क्षेत्र हरंगटीन गंज फैजाबाद से नदौना गांव सभा के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद का है, परीक्षणोपरान्त गांव नदौना को पृथक गांव सभा बनाये जाने की अधिसूचना शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ निदेशक, पंचायत राज द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1987 को भेजी जा चुकी है।

श्रीमती उर्मिला राजपूत एडवोकेट जनपद फर्रुखाबाद के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था

145–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का जनवरी, 1987 का लिखित संलग्न पत्र श्रीमती उर्मिला राजपूत एडवोकेट सदस्य जिला कार्यकारिणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनपद फर्रुखाबाद के पत्र के साथ उनके भतीजे की हत्या के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई एवं श्रीमती राजपूत एवं उनके परिवार की क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा की गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। श्रीमती राजपूत व उनके परिवार की सुरक्षा हेतु निरीक्षक कोतवाली फर्रुखाबाद को निर्देश दे दिए गए हैं।

श्री कुवेर निवासी देवखेरा जनपद बांदा का उत्पीड़न विषयक पुलिस अधीक्षक बांदा को पत्र

146–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 5 जनवरी, 87 का लिखित संलग्न पत्र संख्या 163/सी0 पी0 पुलिस श्री कुवेर पुत्र श्री सुकरू हरिजन निवासी देवखेरा थाना बदौसा जनपद बांदा के उत्पीड़न के संबंध में पुलिस अधीक्षक बांदा को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार मामले में करायी गयी जांच से ज्ञात हुआ है कि श्री कुवेर की सूचना पर एक अपराध धारा 504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 में कार्यरत प्रतिनियुक्त अधिकारियों का वेतन, धनराशि में कटौती

147–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्यरत जिन प्रतिनियुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गयी है उनको वही मूल वेतन दिया जा रहा है जो वे अपने पैतृक विभाग में पाते हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या आहरित किये गये अधिक वेतन की धनराशि की कटौती के लिए श्री राज्यपाल त्यागी, सदस्य विधान परिषद् के पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र वित्त विभाग के माध्यम से उन्हें जनवरी 83 से अब तक प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 में वर्तमान समय में दो अधिकारी क्रमशः श्री एस0 पी0 सक्सेना एवं श्री राजपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता के पद पर सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आकर कार्यरत हैं।

दोनों ही अधिकारी अपने पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतन आहरित कर रहे हैं। इस संबंध में श्री राजपाल त्यागी सदस्य विधान परिषद् का पत्र प्राप्त हुआ था, जो विचाराधीन है।

जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल धानी बाजार जनपद गोरखपुर को नियम विरुद्ध मान्यता एवं अनुदान

148–श्री हर्ष वर्धन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल, धानी बाजार नामक विद्यालय को बिना भवन के नियमों के सर्वथा विरुद्ध मान्यता किन परिस्थितियों में दी गयी है? क्या उपरोक्त स्कूल को पिछले वर्षों में भवन मरम्मत हेतु अनुदान मिला है?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत विद्यालय को हाईस्कूल की मान्यता वर्ष 1972 की परीक्षा से नियमानुसार आवश्यक प्रतिबन्धों सहित माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की गयी। प्रश्नगत विद्यालय को पिछले वर्षों में विभाग द्वारा भवन मरम्मत हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

आशुतोष सहकारी गृह निर्माण समिति, लखनऊ द्वारा फर्जी आवंटन, दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

149–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें आशुतोष सहकारी गृह निर्माण समिति, लखनऊ में समिति के रिकार्ड्स को नष्ट कर फर्जी रिकार्ड बनाने एवं फर्जी सदस्य बनाकर लाखों रुपये हड़पने, समिति की भूमि को फर्जी ढंग से बेचने आदि की सी0 आई0 डी0 जांच कराने के लिए माननीय नगर विकास राज्य मंत्री का पत्र संख्या वी0 आई0 पी0 1569 दिनांक 28-3-87 उन्हें मिला? क्या उक्त पत्र गृह पुलिस–4 अनुभाग द्वारा पत्र सं0 4367/8-4 दिनांक 25-4-87 द्वारा जांच हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट आ गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है, कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

जी हां।

जांच से संबंधित थाने के अभिलेखानुसार प्रश्नगत मामले में कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं पाया गया। तथापि यह तथ्य प्रकाश में आया कि संदर्भित समिति में धन के गबन आदि के संबंध में एक जांच उप आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा की जा रही है।

सहकारी आवास समितियों की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

150–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसी सम्बन्ध में उक्त समिति के सदस्यों ने माह फरवरी, 1987 में एक प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री जी ने उस पर कोआपरेटिव सेल से जांच कराने का आदेश दिया था? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है? कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। सहकारी आवास समितियों से संबंधित जांच का विषय सहकारिता विभाग से संबंधित होना नहीं ज्ञात हुआ है एवं आवास विकास विभाग के अधीन कोई कोआपरेटिव सेल गठित नहीं है। तथापि संदर्भित समिति के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित जांच का प्रकरण आवास एवं नगर विकास विभाग में विचाराधीन है एवं मामले में प्राप्त रिपोर्ट पर उक्त विभाग में विचार हो रहा है।

जनपद देवरिया में आई0 आर0 डी0 फण्ड योजना से नाविकों को धनराशि का आवंटन एवं छूट में अनियमितताएं

151–श्री विष्णु देव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 द्वारा उ0 प्र0 के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित अपने रेडियोग्राम संख्या 2971/4 दिनांक 16-7-81 के माध्यम से मल्लाहों को देशी नावें खरीदने के लिए 33.3 प्रतिशत की छूट के साथ आई0 आर0 डी0 फण्ड से रुपया देने का आदेश किया गया था? यदि हां, तो देवरिया जिले को इस मद में कितनी धनराशि आवंटित हुई? क्या उसे केवल नाविकों में बांटा गया? यदि बांटा गया, तो उन्हें 33.3 प्रतिशत की छूट एवं आई0 आर0 डी0 के सस्ते ब्याज से लाभान्वित कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश का प्रश्नगत रेडियोग्राम 16-7-81 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 1982-83 व 1983-84 में जिला देवरिया के कुल 9 लाभार्थियों को नाव, जाल हेतु 20,400.00 रु0 ऋण तथा इस पर 6,531.00 रु0 अनुदान दिया गया है।

उपरोक्त अनुदान लाभार्थियों को अनुमन्य 33.3 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की दर से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत सस्ते ब्याज से लाभान्वित किया गया है।

बलभद्र इण्टर कालेज बल्देव जनपद मथुरा के प्रबन्धक के विरुद्ध घोटाला संबंधी शिकायती पत्र पर जांच

152–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलभद्र इण्टर कालेज बल्देव जनपद मथुरा के प्रबन्धक श्री गोपाल प्रसाद के विरुद्ध दिनांक 20-9-87 का 1,00,000 रु0 के घोटाले का शिकायती पत्र 6 आरोपों के साथ उन्हें मिला है और उसमें अवैध रूप से वसूल की गयी धनराशि की सूची अंकित थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा क्या शिकायतकर्ता श्री राजकुमार शर्मा अध्यक्ष आदर्श जन कल्याण समिति बल्देव (मथुरा) से जांचकर्ता ने सम्पर्क स्थापित किया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। शिकायती पत्र दिनांक 20-9-87 जिसमें 6 आरोपों के स्थान पर 5 आरोपों का उल्लेख था शासन में प्राप्त हुआ था। पत्र में दाखिला के समय एवं टी0 सी0 देते समय अवैध रूप से धन लिये जाने की सूची संलग्न थी। जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा द्वारा वह जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रकरण की जांच एवं जांच में शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

चन्द्र पाल सिंह पुलिस निरीक्षक थाना सादाबाद जनपद मथुरा के शिकायती पत्र पर जांच

153–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, सादाबाद जिला मथुरा के विरुद्ध दिनांक 25-7-87 को 15 आरोपों का एक शिकायती पत्र पुलिस निरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध मिला जिसमें 65 हजार रु0 रिश्वत लेकर अवैध कार्य करने की शिकायत थी और उस शिकायती पत्र पर 11 क्षेत्रीय नागरिकों व प्रधानों के हस्ताक्षर अंकित थे? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तारीख को कहां की गयी और किस-किस शिकायतकर्ता के बयान लिए गये? शिकायती पत्र के आरोप संख्या 11 अपराध संख्या 146/85 धारा 302 भा0 दं0 सं0 थाना सादाबाद की केस डायरी न्यायालय में कब प्रस्तुत की गयी? क्या यह सही है कि अ0 सं0 146/85 का सत्र न्यायालय में परीक्षण अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में अंकित कथित पत्र दिनांक 25-7-87, जिसमें पुलिस निरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये गये हैं, दिनांक 4-9-87 को पुलिस अधीक्षक मथुरा के कार्यालय में प्राप्त हुआ। इस शिकायती पत्र की जांच दिनांक 20-12-87 को श्री भगवान सिंह क्षेत्राधिकारी द्वारा ग्राम–सरोठ, नगला बनारसी, किरावली, अभयपुरा, करहैया, विसावर, कुलसंडा, बेघई, मडनई तथा कस्बा सादाबाद में जाकर की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता सर्वश्री चन्दन, राममूर्ति, महेन्द्र सिंह, राम शरण, महाबीर सिंह, रघुबीर एवं गिर्राज सिंह के बयान लिये गये। शिकायती-पत्र के प्रस्तर–11 में अंकित अप0 सं0 146/85, धारा 302 भा0 दं0 वि0 में दिनांक 11-7-85 को केस डायरी मय आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित की गई। मामला अभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा के न्यायालय में लम्बित है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुभाष लघु माध्यमिक विद्यालय, गम्भीरबन जनपद आजमगढ़ में त्रिभाषा सूत्र योजना अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक का लम्बित वेतन का भुगतान

154–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष लघु माध्यमिक विद्यालय, गम्भीरबन, जनपद-आजमगढ़ में दिनांक 1-8-77 से किन-किन विषयों में किन-किन अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी? क्या यह सही है कि उनमें से किसी एक अध्यापक की नियुक्ति त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत हुई थी? यदि हां, तो उक्त अध्यापक को कितने माह तक वेतन दिया गया? क्या यह सही है कि वह अध्यापक अपनी नियुक्ति से अब तक लगातार अध्यापन कार्य करता आ रहा है और उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अध्यापक को अविलम्ब सम्पूर्ण वेतन दिलाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जूनियर हाई स्कूल में विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाती है। विद्यालय में 1-8-77 से नियुक्त कोई अध्यापक नहीं है।

विद्यालय में दिनांक 1-8-77 में किसी त्रिभाषा अध्यापक की नियुक्ति तथा वेतन भुगतान की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 और नियम 301 के बाद आपका व्यवस्था का प्रश्न लेंगे। अभी आप लोग बैठें।

वाराणसी जनपद के हुकुलगंज आराजा संख्या 811 पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुई हैं इनमें से दो सूचनाओं को छोड़कर बाकी 39 सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है। ये पढ़ी हुई मान ली जायें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उनके नाम तो बता दें, जिनकी सूचनायें अस्वीकार हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

जिनकी सूचनायें अस्वीकार हुई हैं, उनके नाम श्री मानवेन्द्र सिंह और श्री सत्य प्रकाश विकल हैं।

(नियम 301 की निम्न सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री श्रीप्रकाश–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हुकुलगंज वाराणसी में स्थित आराजी संख्या 811 जो सीलिंग प्रभावित शासकीय भूमि है, जिस पर श्री रामजनम राय एवं उनके संगठित गिरोह के सदस्यों द्वारा जबरन कब्जा करके अवैध निर्माण कराया जा रहा है जबकि इस भूमि पर अवैध कब्जे एवं निर्माण कार्य को रोकने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 9-3-87 को एक आदेश पारित किया था । तत्पश्चात् सन्दर्भित मामले में स्थानीय नागरिकों द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी, सचिव, विकास प्राधिकरण, सक्षम अधिकारी भूमि सीमारोपण वाराणसी को अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही अवैध कब्जे हटाने एवं निर्माण कार्य को रोकने के सम्बन्ध में नहीं की गयी और अब भी बराबर अवैध कब्जा करना तथा निर्माण कार्य जारी है जिससे स्थानीय नागरिकों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन में उठाने हेतु माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि शासन उक्त अवैध कब्जे हटाये जाने तथा निर्माण कार्यों को रोकने में अविलम्ब कार्यवाही करे ।]

फैजाबाद में पुलिस विभाग में अव्यवस्था के प्रति नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद में संगीन व जघन्य अपराधों की विवेचना पर उच्च पुलिस अधिकारियों का सन्तोषजनक नियंत्रण तथा प्रभावी पर्यवेक्षण न होने के कारण अभियोग दैनंदिनी के आधार पर एस0 आर0 पत्रावली जैसी महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार करने के बजाय उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से आधारहीन व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लिया जाता है और इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण विवेचना का पूरा लाभ कुख्यात अपराधियों को मिलता है । इस संबंध में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने भी दिनांक 24-6-87 को श्री आर0 एन0 गुप्त, महानिदेशक, पुलिस उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा है जिसकी प्रतिलिपि गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित है । जैसे अधिकांश मामले भ्रष्टाचार तथा पुलिस अधिकारियों एवं अपराधियों में सांठ-गांठ के कारण हो रहे हैं जिससे जघन्य अपराधों में वृद्धि हो रही है ।

अतः इस प्रश्न को सदन में उपस्थित करके दोषी लोगों को दण्डित करने तथा उच्च पुलिस अधिकारियों एवं अपराधियों के इस षडयंत्र पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग करता हूं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

फैजाबाद जनपद के मालीपुर थाना एवं सुल्तानपुर जनपद की बेलवाई चौकी में पुलिस में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के मालीपुर थाने तथा जनपद सुल्तानपुर के बेलवाई चौकी पुलिस द्वारा निरन्तर किसानों को लूटने से जनता में बड़ा असंतोष फैल गया है। जनपद जौनपुर का शाहगंज बाजार पड़ौसी जिलों की सबसे बड़ी गल्ले की मंडी है। हर बाजार के दिन मालीपुर की पुलिस और बेलवाई चौकी की पुलिस किसानों से गल्ला ले जाने पर पैसा वसूलती है। यह दर 5 रुपये प्रति बोरी है। मालीपुर थाने के स्माइलपुर गांव में भूसे की ट्रकों से लगभग 7 हजार रुपये माहवार के तार टूटते हैं। यह ट्रक ओवर-हाईट भूसा लादते हैं जिससे बिजली के तार टूटते हैं जिससे गम्भीर घटनायें होती हैं।

इसी प्रकार की एक दुर्घटना बेलऊआ बरियारपुर ग्राम में होने से एक हरिजन बालक का हाथ कट गया तथा ग्राम ससपना में बिजली का तार लगने से एक आदमी की मौत हो गयी। इन घटनाओं से क्षेत्र में बड़ा असंतोष और रोष है। जनपद के अधिकारी इस घूस में भागीदार हैं।

मैं मा0 अध्यक्ष की अनुज्ञा से पूरे प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उच्चस्तरीय जांच नियुक्त कर दोषी पाये जाने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें।]

आगरा जनपद के फिरोजाबाद क्षेत्र में जमुना नदी द्वारा कटाव होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[महोदय, जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के दक्षिणी इलाके को यमुना नदी के निरन्तर बढ़ते कटाव के कारण कृषि योग्य भूमि भयंकर रूप से भूकटाव की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है जिससे खेती की जमीन निरन्तर ही बीहड़ और वादी का रूप धारण करती जा रही है जिससे किसानों में भारी बेचैनी पैदा हो गयी है। इतना ही नहीं भूक्षरण और भूमि कटाव की निरन्तर बढ़ती गति से चन्दवार, सोफीपुर, मोहम्मदपुर, बिहारीपुर उसमानपुर, शंकरपुर, मदुआ, बसी मोहम्मदपुर, आनन्दीपुर करकोली, पिलुआ प्रेमपुर, जलालपुर, अलयदादपुर, नरगापुर, सिकरहा, दतावली आदि गांव की सैकड़ों एकड़ भूमि बीहड़ रेत और बन्जर का रूप ले चुकी है। जिससे पशुओं और कास्तकारों के लिए चारे की दूभर समस्या होती जा रही है। अनेकों कास्तकार भूमिहीन और लाचार बन गये हैं। जिससे रोजगार की समस्या पैदा हो गयी है। आज वह भूखों मरने लगे हैं।

भूमि समतलीकरण परियोजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत समतलीकरण का और बांध जमीन को एकसा करने का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन कर इस गम्भीर संकट से बचाने की अत्यन्त आवश्यकता है। माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर राज्य सरकार को सातवीं योजना में इस क्षेत्र को चयन कार्यवाही कर निर्देश दें।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0 ए0 सी0 में सीधी प्लाटून कमाण्डर की भर्ती में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जनम–

[महोदय, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वर्ष 1987 में पी0 ए0 सी0 में डाइरेक्ट प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति में व्यापक रूप से धांधली की गयी । चौथी बटालियन में इलाहाबाद से 62 लड़के साक्षात्कार में बुलाये गये । अन्य केन्द्रों से बहुत कम ही लड़के बुलाये गये । चौथी बटालियन केन्द्र पर अधिकारियों के लड़के बैठे इसलिए वहां पर नकल करायी गयी और 20 लड़कों की नियुक्ति भी की गयी इसके पहले जब 16 नियुक्ति करनी थीं तो 350 लड़के साक्षात्कार में बुलाये गये । इस बार 46 नियुक्ति करनी थी तो केवल 138 लड़के बुलाये गये । ऐसा अन्तर (विभेद) क्यों किया गया ।

अत: आपके माध्यम से सदन एवं सरकार से मांग करता हूं कि वर्ष 1987 में पी0 ए0 सी0 में डाइरेक्ट प्लाटून कमाण्डर के पद पर की गयी नियुक्तियों को रोककर जांच करायी जाय और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय ।]

इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर मुरादाबाद में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

इनफेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद जो पी0 सी0 डी0 एफ0 की ईकाई है, जिसके अध्यक्ष माननीय डा0 संजय सिंह थे वर्ष 1984 से 86 तक रुपया 3,88,79,267-40 पैसे के घाटे में आ गई है । सन् 84 में कुल घाटा रुपया 38,23,507-63 पैसा था । वर्ष 1984 में कुल घाटा रुपया 51,20,676-91 पैसे था । सन् 1986 में घाटा रुपया 82,60,523-43 पैसे और मात्र जनवरी, 87 से अक्टूबर, 87 तक रुपया 62,99,735-49 पैसे का घाटा हुआ । पी0 सी0 डी0 एफ0 का संचालक मंडल तथा आई0एम0एफ0एफ0 का सामान्य प्रबंधक इस ईकाई को लूट खा गया है । इसके बावजूद नेशनल डेरी डेवलप्मेन्ट बोर्ड ने एक अरब रुपये का अनुदान लेकर पाउडर प्लान को नया कराया फिर भी भ्रष्ट अधिकारी बेबी फूड नहीं बना सके । दूसरी बात यह है कि मार्च 87 से श्री ओ0 पी0 यादव को फैक्ट्री सामान्य प्रबन्धक बनाया गया जो केवल हाई स्कूल तथा डिप्लोमा होल्डर हैं। इन्हें केवल पांच ही वर्षों में प्रोन्नति देकर क्लर्क से जी0एम0 बना दिया गया । इन्हीं के छोटे से कार्यकाल में सर्वाधिक घाटा हुआ है ।

अत: मैं इस पूरे प्रकरण की जांच कराने तथा दोषियों को दण्डित कराने की मांग करता हूं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मूंगा मोती बनाने वाले कारीगरों की बेरोजगारी समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

[महोदय, अलीगढ़ जनपद के सिकन्द्राराऊ क्षेत्र में स्थित पुरदिल नगर व बीजीदपुर कस्बों के आस-पास केन्द्रित ग्रामों में रहने वाले कारीगर मूंगा-मोती बनाकर जीवन-यापन करते हैं । इस मूंगा-मोती बनाने की तकनीक में किसी यन्त्र या पावर का उपयोग नहीं होता है । सिर्फ एक लकड़ी के मेज के आकार का फ्रेम व कांच गर्म करने के लिए मिट्टी के तेल के विशेष प्रकार का लैम्प काम में आता है । लैम्प में जलाने के लिए मिट्टी का तेल कुछ समय पूर्व तक नियंत्रित (सब्सीडाइस) मूल्य पर मिलता था परन्तु अब मुंगा-मोती के पूर्णतया दस्तकारी या हस्त-शिल्प के कार्य को उद्योग मानकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सब्सीडाइज रेट पर तेल देना कर दिया है तथा खुले मूल्य का (नान सब्सी डाइज) तेल भी उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के इस नये आदेश से मूंगा-मोती बनाने का कार्य बन्द हो जाने से कारीगर भूखों मर रहे हैं ।

कारीगर द्वारा बनाये गये माल का 95 प्रतिशत निर्यात किया जाता था जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी । क्षेत्र के 55 ग्रामों में फैले मूंगा-मोती बनाने के कुटीर धन्धे के बन्द हो जाने व कारीगरों के परिवारों के भूखों मरने से जनता में, असन्तोष व आक्रोष व्याप्त है । पूर्ववत नियंत्रित मूल्य (सब्जी डाइज) रेट का तेल कारीगरों को उपलब्ध कराने की जनता की प्रबल मांग है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता है ।]

शुक्लागंज, उन्नाव की सफाई की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल–

[महोदय, शुक्लागंज गंगाघाट उन्नाव जनपद की आबादी डेढ़ लाख से ऊपर हो गई है लेकिन आज तक उन्नाव नगर पालिका द्वारा किसी तरह की सुविधा प्रदान नहीं की गई । एक लाख की आबादी वाले प्रत्येक नगर पालिका की सरकार द्वारा जल निकासी व सीवर व्यवस्था की जा रही है लेकिन शुक्लागंज-गंगाघाट को सरकार सौतेले व्यवहार के जरिये नागरिकों को कीड़े, मकोड़े की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर कर रही है जिससे क्षेत्रीय नागरिकों में भीषण रोष व असन्तोष व्याप्त हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करके सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त सीवर व जल निकासी व नालियों सड़कों, रोशनी की समुचित व्यवस्था शीघ्र की जाय ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग के हाट निरीक्षकों की प्रोन्नतियों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अति अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश के हाट निरीक्षकों की प्रोन्नतियों में भ्रष्टाचार के कारण विभाग में घोर असन्तोष क्षोभ एवं रोष व्याप्त है । लगभग 1000 वरिष्ठ हाट निरीक्षक को सुपरसीड करके कुछ प्रोन्नतियां करने से प्रदेश के समस्त खाद्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी आन्दोलित हो रहे हैं ।

अत: आदरणीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

पश्चिमी इलाहाबाद शाखा डब्लू ए0 बी0 नहर बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री औसान सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं पश्चिम इलाहाबाद शाखा डब्लू0 ए0 बी0 नहर 1 माह से बन्द है फलत: रबी की फसल सूख चुकी है इस भयंकर सूखा के समय सिंचाई विभाग की अयोग्यता अक्षमता एवं उदासीनता के कारण कृषकों के सामने भूखों मरने की स्थिति है । खाद, बीज, दवाई व अन्य लागत व्यर्थ हो चुकी है आदरणीय सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि डब्लू0 ए0 बी0 नहर की तुरन्त चलाया जाय तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

इलाहाबाद जनपद के फूलपुर कस्बे के मन्दिर से कलश की चोरी की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र; हरीश जी–

[महोदय, इलाहाबाद जिले के कस्बा फूलपुर के मुहल्ला इस्माइलगंज में एक शिवाला है । इस शिवाले का सोने का त्रिशूल तथा कलश 24 दिसम्बर, 87 को चोरी चला गया है । इस चोरी की घटना को लेकर 25-12-87 को फूलपुर कस्बा पूरी तरह से बन्द रहा है तथा 27-12-87 के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित भी हुआ है । इस घटना से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है । परन्तु खेद है कि स्थानीय पुलिस निष्क्रिय और मौन है । जिसके कारण जनता के अन्दर का रोष और बढ़ता जा रहा है । यदि पुलिस ने समय रहते माल बरामद कर अपराधी जनों को गिरफ्तार नहीं किया तो परिस्थिति काबू के बाहर जा सकती है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन की संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाए । अपराधी जनों को गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चलाया जाय तथा माल को बरामद कर जनता की उपस्थिति में मंदिर पर पुन: स्थापित कराया जाय ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी–

[महोदय, इस वर्ष से सरकार द्वारा उ0 प्र0 के अनेक विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स लागू किये जाने का छात्रों द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है । तीन वर्षीय डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने के आदेश विश्वविद्यालयों में सत्र प्रारम्भ होने के बाद प्राप्त हुए और छात्रों को प्रवेश लेने के काफी समय बाद इस घोषणा का पता चला । आधे से अधिक सत्र बीत जाने की बाद भी पहले से चले आ रहे दो वर्षीय कोर्स का तीन वर्षों में कैसे बांटा जाना है की भी जानकारी नहीं दी है ।

इन आदेशों के विश्वविद्यालयों में पहुंचने के बाद से छात्र आन्दोलित हो गये है । कानपुर, मेरठ व रूहेलखण्ड व अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे है । प्राचार्य, कुलपतियों व जिला अधिकारियों का घेराव हो रहा है ।

विरोध स्वरूप छात्रों ने भी 5-6 दिन कक्षाओं का बहिष्कार किया । गत 10 दिसम्बर को छात्रों ने काले दिवस के रूप में मनाया । 23 दिसम्बर को पूरे रूहेलखंड बन्द का भी छात्रों ने आव्हान किया था ।

विश्वविदयालयों में स्थिति तनावपूर्ण है छात्र आन्दोलन और तीव्र हो सकता है । इस वर्ष लगभग 2 माह चली शिक्षकों की हड़ताल के कारण इस सत्र में वैसे भी पढ़ाई बहुत कम हुई है और अब फिर शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ रहा है ।

अतएव मैं मांग करता हूं कि त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स इस वर्ष से लागू करने का आदेश वापस लिया जाय । यदि अगले वर्ष से इसे लागू किया जाये तो आनर्स की डिगरी दी जाये ।]

बीसलपुर सहकारी चीनी मिल जनपद पीलीभीत के श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल–

[महोदय, बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर जनपद पीलीभीत के श्रमिक संघों से संबंधित श्रमिक प्रधान प्रबंधक के तानाशाही रवैये के विरुद्ध दिनांक 15-12-87 से अनशन कर रहे है ।

श्रमिकों की मुख्य-मुख्य मांगे है कि :–

1–उनके साथ पूर्व रजिस्टर्ड समझौतों का परिपालन किया जाये ।

2–मजदूरों को जो सुविधायें बन्द कर दी गई है उन्हें तुरन्त उपलब्ध कराये जाये ।

3–द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिसें पूरी तरह से लागू की जायें ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4–अनियमित नियुक्तियों व कृषकों के शोषण जिनकी शिकायतें भा0 ज0 पा0, बीसलपुर द्वारा की गई है की जंच कराकर कार्यवाही की जाये तथा कृषको का शोषण बन्द कर अनियमित नियुक्तियां निरस्त की जायें ।

पुराने अस्थाई श्रमिकों को वरिष्ठता सूची के आधार पर लगाया जाये ।

प्रधान प्रबन्धक के तानाशाही रवैये के कारण काफी समय से मजदूर आन्दोलन कर रहे हैं और गत दिनांक 15-12-87 से अनशन भी कर रहे हैं श्रमिकों में दिनों-दिन असंतोष बढ़ रहा है एवं स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है ।

अतः मांग करता हूं कि श्रमिकों की मांगें मानकर अनशन समाप्त कराया जाये ।]

जनपद बरेली में बिक्री कर विभाग में टंककों की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह–

महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर केन्द्रित करने जा रहा हूं । बरेली में गत दिनों बिक्री कर विभाग में 15 टंकण लिपिकों (टाइपिस्टक्लर्कों) की नियुक्तियां की गयीं। अधिकारियों ने योग्य उम्मीदवारों की अवहेलना कर भारी रिश्वत लेकर पद पर अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की । लगभग तीन हजार आवेदकों में से 15 लोग लिये गये । चयनित लोगों में कुछ को तो टाईप भशीन में कागज लगाना ही नहीं आता था इस चयन में बेरोजगार युवकों में भारी रोष है व सरकार के प्रति अविश्वनीयता बढ़ी है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही की जाय व जांच करा कर दोषी अफसरों को दण्डित करने की कृपा करें।]

वाराणसी जनपद में बरुणा नदी पर बने पुल की जर्जर अवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[महोदय, वाराणसी जनपद के अन्तर्गत पंचकोशी मार्ग पर स्थित ग्राम रामेश्वर जी एक तीर्थ स्थान है, के पास बरुणा नदी पर बना हुआ पुराना पुल अत्यन्त जर्जर हो गया है। पुल में बहुत बड़ा दरार हो गया है । किसी क्षण यह पुल ध्वस्त होकर यात्रियों, श्रद्धालुओं का जो पंचकोश करने आते रहते हैं, तथा प्रति दिन आने-जाने वाले लोगों की जान ले लेगा। खतरनाक स्थिति को देखते हुए गमनागमन बन्द कर दिया गया है। उक्त पुल के नव-निर्माण की स्वीकृति बहुत पहले हो चुकी है किन्तु कार्य न लगने से जनता में दिन प्रति दिन असन्तोष बढ़ता जा रहा है । रामेश्वर में इन्टर कालेज है। छात्रों के लिए बेहद कष्ट हो रहा है। यहां अस्वस्थता है, रोगी कष्ट में है । जनता के लिए नित्य के कार्यों में बाधा पड़ने के साथ ही साथ भार वाहनों का चलना बन्द हो जाने से जनता की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो रही हैं और आर्थिक क्षति हो रही है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन स सन्दर्भित पुल के तत्काल पुनर्निर्माण की मांग करता हूं]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा के जगनेर क्षेत्र, के किसानों को लघु सिंचाई तथा भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा धोखाधड़ी कर बर्बाद करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[महोदय, आगरा के जगनेर क्षेत्र में लघु सिंचाई विभाग आगरा द्वारा नवम्बर व दिसम्बर, 1987 में की गयी सभी गहरी बोरिंग असफल रही हैं । उल्लेखनीय है कि किसानों से एक-एक हजार रुपया जमा कराने तथा भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा भूगर्भ जल का पता लगाने पर बोरिंग की गयी थी । बोरिंग करने से पूर्व किसानों से बत्तीस हजार से लेकर तीस हजार रुपए तक अतिरिक्त धन भी जमा करवा लिया गया था । अब उन बोरिंगों में पानी नहीं निकला है । सच्चाई यह है कि न तो भूगर्भ संवेक्षण संगठन, उ0 प्र0 के पुराने व दोषपूर्ण रेजिस्टीविटी मीटर वहां भूगर्भ जल का सही अन्वेषण कर सके और न लघु सिंचाई विभाग आगरा की तकनीकी निम्न कोटि की मशीनों से गहरी बोरिंग करने में सफल हो सकी है। बोरिंग असफल होने पर भी किसानों का जमा किया हुआ धन भी नहीं लौटाया जा रहा है। सूखे की इस भयावह स्थिति में सरकारी विभागों की धोखा-धड़ी से किसानों में बेचैनी और हाहाकार मचा हुआ है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय के माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त किसानों की बोरिंग को सफल कराया जाय या उनका धन लौटाया जाय और आधुनिक कमप्यूटर मॉडल टैरामीटरों तथा उच्च कोटि की रिंगमशीनों से विभागों को सम्पन्न करके प्रदेश के किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोका जाय।]

उन्नाव जनपद के पुरवा व मौरावां कस्बों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जनपद के पुरवा व मौरांवा कस्बों को विगत दो वर्षों से कोई अनुदान नहीं दिया गया है । कस्बा पुरवा तहसील केन्द्र है । लगभग अठारह हजार की जन संख्या है, डाकघर, माननीय मुन्सिफ की अदालत व दो साप्ताहिक बाजार वाले इस कस्बे की उपेक्षा सरकार द्वारा जानबुझ कर की जा रही है। इसी प्रकार 15 हजार की आबादी वाले कस्बा मौरांवा के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है । दोनों कस्बे में पेयजल की गम्भीर समस्या है। दोनों कसबों में एक भी सड़क नहीं बनी है। दोनों कस्बे हरिजन व मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले हैं। इस प्रकार का सौतेला व्यवहार सदन की नीति के विरुद्ध है।

लगभग 25 हजार की आबादी की नारकीय जिन्दगी की अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ग्राम सभा मीरापुर पिनवट, परगना बिजनौर जिला लखनऊ के ग्राम प्रधान द्वारा बाहरी व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि का आवंटन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

ग्राम सभा मीरापुर पिनवट परगना बिजनौर तहसील लखनऊ के ग्राम प्रधान एवं लेखपाल द्वारा निजी स्वार्थ में ग्राम सभा की भूमि को पात्र व्यक्तियों को न देकर बाहरी वाक्तियों को दे दी है। उदाहरणार्थ भूमि संख्या 28/692 क्षेत्रफल 19 विस्वा 16 विस्वांसी कृष्णा कालोनाइजर्स संस्था तथा एक मंदिर जिसमें 2 वीघा जमीन सामिल थी को कृष्णा कालोनाइजर्स से जाल साजी से प्रधान एवं लेखपाल के सहयोग से अपने नाम करा लिया । भूमि संख्या 61 व 62 पर अनाधिकृत रूप से तमाम लोग कब्जा कर रहे हैं तथा बाहरी व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से मकान बना लिया है। प्रधान तथा लेखपाल ने नई चुंगी के पास बाहिरी व्यक्तियों को मकान व होटल बनवा रहे हैं । इस प्रकार ग्राम सभा की कई बीघे भूमि प्रधान व लेखपाल की सह पर बाहरी व्यक्तियों के कब्जे में जा रही है। इस घटना के कारण गांव के सैकड़ों हरिजन एवं भूमिहीन व्यक्तियों का नुकशान हो रहा है और उनमें निराशा का वातावरण व्याप्त है ।

अत: मैं माननीय सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब किसी उच्चाधिकारी से जांच कराकर अनियमित निर्माण कार्य रोकने, दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने एवं पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन करें।]

बरेली चीनी मिल निगम की इकाई में गन्ना पिराई के विषय में नियन 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयदीप सिंह वरार–

[मान्यवर, बरेली चीनी मिल निगम की एक इकाई है जो पिछले वर्ष भी बहुत शोचनीय दशा में थी। तब भी उस मिल के क्षेत्र का गन्ना अन्य मिलों को भेजा वया था। जिसका गन्ने की पेराई मिल मे स्वयं की थी उसका भुगतान भी सरकार ने अक्टूबर-नवम्बर तक नहीं कराया था । इस वर्ष करोड़ों रुपये की राशि इस मिल की मरम्मत पर खर्च की गई । मिल के प्रारम्भ हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है परन्तु अपनी क्षमता के तीसरे भाग की पेराई भी मिल नहीं कर सकी। मिल क्षेत्र के कई क्रय केन्द्र जो अन्य मिलों को दिये गये हैं आज तक वहां गन्ने की खरीद नहीं कराई । ऐसा प्रतीत होता है कि मिल की मरम्मत पर खर्च की गई राशि शासन के अधिकारियों ने मिलकर बांट ली है नहीं तो इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद न तो मिल की यह दुर्दशा होती और न ही गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर होते।

मेरी शासन से मांग है कि वह एक महीने के अन्दर मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार, अक्षमता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करें तथा इस समय तत्काल बरेली चीनी मिल के गन्ना कृषकों को गन्ने की खरीद पड़ोस की चीनी पिल से करायें ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

थाना जलालाबाद में शासन के आदेशों की अवहेलना के फलस्वरूप पुलिस आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सैय्यद अली अशर्फी–

[मान्यवर, थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष शैलेन्द्र बहादुर चन्द के भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक कार्यों की शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है। हत्या, बलात्कार इत्यादि के मामलों में क्षेत्राधिकारी, जलालाबाद द्वारा जांच में भी वह दोषी पाया गया है।

ऐसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष की स्थानान्तरण के बाद जांच के आदेश गृहमंत्री द्वारा चार बार 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 22 दिसम्बर, 1987 तथा 2 जनवरी, 1988 को किये जा चुके हैं। किसी भी आदेश का पालन आज तक नहीं हुआ है। भ्रष्ट थानाध्यक्ष ने जलालाबाद में नागरिकों पर आतंक और भय का राज्य जमा रखा है और खुले आम कहता है कि गृहमंत्री प्रदेश का शासन नहीं चलाते बल्कि मेरा पैसा और बल शासन चलाता है। शासन के इस आदेशों की अवहेलना होते देखकर जलालाबाद क्षेत्र की जनता में भय, आतंक तथा रोष का वातावरण व्याप्त है। अपराधियों तथा पुलिस का गठबंधन गवाहों को भयभीत करने तथा जनता को लूटने को स्वच्छंद है।

अतः आपके माध्यम से आग्रह है कि शासन इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करे।]

भदोही तहसील को जिला बनाते समय जौनपुर जिले के रामपुर व बरसठी ब्लाक के क्षेत्रों को शामिल किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव–

[मान्यवर, आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड रामपुर एवं बरसठी को भदोही जिला बनाते समय शामिल करने की योजना चल रही है। क्षेत्र की जनता एवं प्रधानों का मत है कि हमारा क्षेत्र जौनपुर जिले में ही रहने दिया जाय क्योंकि बनारस जिला एवं जौनपुर जिला की सीमा का निर्धारण वरूण नदी द्वारा किया गया है जो एक प्राकृतिक सीमा है। साथ ही साथ भदोही ज्ञानपुर जाने के लिये वरुणा नदी पर एक पुल के अलावा कोई दूसरा पुल नहीं है। बरसात में ही नहीं जाड़े में भी नदी को पार करने के लिए जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनता की मांग है कि यदि मेरा क्षेत्र कतिपय कारणों से शामिल भी किया जाता है तो वरुणा नदी पर विकास खण्ड बरसठी एवं सुरियांवां को जोड़ने के लिए ग्राम कोरों के पास एक पुल का निर्माण कराया जाय, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके ।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के विकास खण्ड रामपुर एवं विकास बरसठी, भदोही जिले में न शामिल किये जांय तथा वरुणा नदी पर ग्राम कोरों एवं सुरियांवां के मध्य एक पुल का निर्माण किया जाय ताकि जनहित हो सके ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[मान्यवर, जनपद इलाहबाद के जूनियर हाईस्कूल एवं प्रायमरी पाठशाला के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को विगत 16 महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। सन् 1985 से अब तक इन अध्यापकों को केवल 10 महीने की ही पेंशन प्राप्त हो चुकी है । जबकि शासन का आदेश है कि जब जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी पाठशालाओं के नियमित अध्यापकों को वेतन दिया जायगा तभी अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा । इन हजारों अवकाश प्राप्त अध्यापकों ने अपनी पेंशन आदि समय से न भुगतान किये जाने के विरोध में जिला परिषद् कार्यालय इलाहाबाद तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय पर विगत एक सप्ताह से धरना व प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई हजार अध्यापकों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त अध्यापकों में पेंशन भुगतान को लेकर काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है। किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़, थाना मधुबन की चौकी की पुलिस की बर्बरता के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के थाना मधुवन की चौकी दुबारी के दीवान व सिपाहियों द्वारा जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता श्री पन्ना लाल शर्मा की 10-11-87 को बर्बरता पूर्ण पिटाई को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पन्ना लाल शर्मा जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता देहात के प्रतिष्ठित नागरिक हैं । उन्होंने दुबारी चौकी के दीवान व सिपाहियों की धांधली भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेकों प्रार्थना-पत्र दिया था जिससे वे रंजिश रखते थे । 10-11-87 को उक्त पन्ना लाल जब खाद खरीदने व अपनी लड़की की दवा लेने जा रहे थे दुबारी चौकी के सामने उन्हें रोक कर इनके विरोधी के सामने बर्बरता पूर्वक इनकी पिटाई की बीच-बचाव में लड़की को भी चोट आई इसके बाद घायल अवस्था में इन्हें थाने में ले जाकर बन्द कर दिया और फर्जी 151 में इनकी चालान की गयी जमानत से छूटकर उन्होंने दोनों की डाक्टरी प्रमाण पत्र के साथ ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । पुलिस के इस अत्याचार से क्षेत्रीय जनता में बहुत ही आक्रोश पैदा हो गया है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांदा जनपद के अतर्रा थानान्तर्गत एक वृद्ध की नसबन्दी के प्रकरण को लेकर घेराव एवं असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[मान्यवर, बांदा जनपद के अतर्रा थाने के अन्तर्गत ग्राम ग्रोखिया के 80 वर्षीय वृद्ध श्री रम्मू पुत्र श्री बाले की एलोपैथिक अस्पताल, अतर्रा के डाक्टर द्वारा धोखा-धड़ी करके नसबन्दी कर देने से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक हो रही है। दिनांक 5 नवम्बर, 87 तथा 23 नवम्बर, 1987 को अतर्रा थाने का घेराव सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा किया गया। नसबन्दी के विरोध में लगातार मीटिंग घेराव का सिलसिला जारी है। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रकरण में पर्दा डालने एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाये जाने के कारण स्थिति और भी विस्फोटक हो रही है। श्री रम्मू की नसबन्दी करीब माह अगस्त, 1987 को हुई थी।

अतः मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच मण्डल स्तर के किसी उच्च अधिकारी से करायी जाय। क्योंकि जनता का विश्वास जनपद के अधिकारियों से न्याय को नहीं रह गया तथा नसबन्दी के कारण मृत्यु शैया में पड़े रम्मू का इलाज मुफ्त किसी मेडिकल कालेज में कराया जाय। भरण पोषण के लिए मुआवजा के रूप में व्यवस्था किया जाय। दोषी डाक्टर को तुरन्त निलम्बित करके उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय, श्री रम्मू की जांच मेडिकल बोर्ड से मुफ्त करायी जाय एवं अतर्रा थाने में रम्मू के पुत्र श्री चिरौंजी लाल द्वारा दर्ज करायी रिपोर्ट की जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जाय।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 10 दिसम्बर से मिनिस्ट्रीरियल व टेक्निकल स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण बन्द चल रहा है। 1987 विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण 1 महीने के अतिरिक्त वेतन की मांग कर रहे हैं जैसा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को शताब्दी और स्वर्ण जयन्ती समारोह में दिया गया है। कुलपति तथा कार्यकारिणी परिषद् सैद्धांतिक रूप से मांग स्वीकार करने के बावजूद वित्तीय कमियों के आधार पर धनराशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जुलाई, 1987 से कोई भी कक्षायें विभिन्न कारणों से नहीं चल पा रही हैं। शताब्दी वर्ष में पठन पाठन एकदम ठप सा पड़ गया है। पहले से अनियमित सत्र और पिछड़ता जा रहा है हजारों हजार छात्रों का भविष्य अनिश्चितता की स्थिति में अधर में लटका हुआ है। इस भीषण महंगाई के दौर में अपनी निहायत जरूरी सुविधाओं और पेट काट

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर छात्रों को पढ़ाने वाले हजारों मध्यम कमजोर वर्ग के अभिभावकगण निराश हो गये हैं। दुनिया में जानी माने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा धूल में मिलती जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर हड़ताली कर्मचारियों की मांगें पूरी कराने व विश्वविद्यालय में पठन-पाठन प्रारम्भ कराने व सत्र नियमित कराने की मांग करता हूं।]

बस्ती जनपद में डीजल का अभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में इन दिनों पिछले कई हफ्तों से डीजल का घोर अभाव चल रहा है। आये दिन इण्डियन आयल का डिपो ही खाली रहता है, जिसके कारण ग्रामीण अंचलों के डीजल डिपो पर, किसानों की भारी भीड़ इस भीषण जाड़े की रात में भी लाइन लगाये तीन-तीन दिन चार-चार दिन खड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भीषण सूखे के कारण जमीन की नमी बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है और डीजल न मिलने से रबी की सिंचाई नहीं हो पा रही है। जिसके कारण किसानों को अपने रबी की फसल से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

अतः इस विषम परिस्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बस्ती जनपद में तुरन्त समुचित मात्रा में डीजल का प्रबन्ध किये जाने हेतु इस सदन के द्वारा मांग करता हूं।]

ए0 एन0 एम0 के चयन में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हर जिले में ए0 एन0 एम0 का ट्रेनिंग हेतु गत सप्ताह चयन हुआ था। प्रत्येक जिले में चयनित अभ्यर्थियों से भारी रकम वसूल की गयी है। बदायूं, बरेली, रामपुर आदि जिले में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार हुआ। किन्तु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयनित किया गया जिन्होंने 5 हजार रुपये सुविधा शुल्क भेंट किया।

इस चयन में योग्य बुद्धिमान व प्रतिभावान की अवहेलना की गई व पैसे खर्च करने वाले अक्षम व अयोग्य अभ्यर्थियों को लिया गया। चयन में इस प्रकार का भ्रष्ट रवैया दिनों-दिन बढ़ रहा है। इस चयन में हजारों अभ्यर्थियों में रोष व सरकार के प्रति अविश्वास व्याप्त है।

अतएव सरकार से मांग है कि इस प्रकरण की जांच कराकर बदायूं, बरेली, रामपुर की परीक्षायें रद्द कर पुनः करायी जाएं।]

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुजफ्फर नगर गंगा नहर की सफाई के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा नहरों की सफाई के नाम पर लाखों रुपये का फर्जी घोटाला किया गया है, साथ ही भोले-भाले किसानों का फर्जी आवपासी से शोषण करना दिन प्रतिदिन का कार्य बन गया है। मार्च 87 के अंतिम समय में शाखा देवबन्द के मोहण्ड से 18 मील तक तीन दिन में सफाई के नाम पर पांच लाख रुपये का फर्जी भुगतान किया है कोठी मंग्लौर से 50 हजार रुपये इमारती लकड़ी का बेचा जाना माइनर विक्टोरिया की भूमि पर अवैध निर्माण कराकर एवं इमारती पेड़ों को कटवाकर इन पर लाखों रुपये का घोटाला किया है। सूखे के बावजूद बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर फर्जी भुगतान किया है, यही नहीं चौकी बन्दर जूड्डा में जिन्स परिवर्तन से 20 हजार रुपये का गबन तथा फर्जी आवपासी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

अतः सरकारी धन का दुरुपयोग कर लाखों रुपयें के घोटाले करने किसानों पर फर्जी आवपासी लिखवाने वाले अधिकारियों को कठोर दण्ड देने हेतु माननीय सदन तथा सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में जल भराव की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानंद अंचल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में जल-भराव की भीषण समस्या से उत्पन्न किसानों की विनाश की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, एक ओर क्षेत्र में अनेक फैले विशालकाय तालों, नालों व घाघरा नदी की बाढ़ व जल जमाव से किसान त्रस्त है। खेती पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बार बार मांग के पश्चात् समाधान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका है दूसरी ओर दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर के बनने के पश्चात् दोहरी घाट मुख्य नहर की उप शाखा रामपुर माइनर से सैकड़ों एकड़ भूमि जलप्लावित रहने के साथ साथ भारी नुकसान हो रहा है। बार बार अनशन व प्रदर्शन किसान करते हैं। आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया जाता है लेकिन समाधान नहीं हो पाया है जिससे गत 25-12-87 से क्रमिक अनशन किसान कर रहे हैं तथा वहां के ग्राम प्रधान डा0 अब्दुल अहद नोमानी के नेतृत्व में आगामी 9-1-88 से आमरण अनशन की घोषणा हुई है। समाधान के अभाव में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के मामले को मा0 सदन व सरकार के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तहसीलों के रजिस्ट्री कार्यालय में स्टाम्प शुल्क की बढ़ोत्तरी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सजीवन–

[मान्यवर, प्रदेश में कई जिलों की कई तहसीलों के रजिस्ट्री कार्यालयों में राज्य सरकार ने किसानों के ऊपर 1-12-87 से स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में करों में करोड़ों रुपयों की वृद्धि कर दी है जिससे किसानों में व्यापक भीषण रोष एवं असंतोष व्याप्त है। बांदा जिले की कर्वी तहसील में कृषि भूमि के बैनामा के संबंध में सरकार की ओर से भूमि की बाजारी कीमत 1-12-87 को पिछले आदेश के रेट से बढ़ाकर दो गुना से भी अधिक निर्धारित कर दिया गया है। इससे क्रेता व विक्रेता किसानों को भूमि के बैनामा लिखाने पर रजिस्ट्री कार्यालय में स्टाम्प शुल्क के रूप में 1-12-87 से दो गुना अधिक कर अदा करने पड़ते हैं। किसानों पर यह कर वृद्धि सन् 1981 की तुलना में 3 गुना से अधिक हो गयी है। 1-12-87 से लागू की गयी स्टाम्प शुल्क आदि की कर वृद्धि तुरन्त वापस ली जाय और किसानों का उत्पीड़न तुरन्त समाप्त किया जाय।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

आगरा जनपद में पानी के अभाव में हो रही फसलों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा–

[मान्यवर, जनपद आगरा में विकास खण्ड बरोली अहीरका शमशाबाद रोड से यमुना नदी के बीच का सम्पूर्ण भू-भाग गंभीर पानी की समस्या से पीड़ित है। विशेष कर फतिहाबाद रोड से यमुना नदी के बीच के भाग में न तो कोई नहर है न राजकीय नलकूप है और सिंचाई का कोई सरकारी साधन यहां उपलब्ध है। सम्पूर्ण जनता अपने व्यक्तिगत नलकूपों के माध्यम से अपनी फसल की सिंचाई करती है। अब कुओं का जलस्तर नीचा चले जाने के कारण अधिकांश बोरिंग फेल हो गये हैं किसानों की तैयार फसल उनकी आंखों के सामने झुलस रही है किसान अपनी दुर्दशा पर खून के आंसू रो रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस सम्पूर्ण भू-भाग में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संस्थान से जल की उपलब्धता का सर्वे कराया जाय और इस सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्यरत रटौरा फीडर और कुन्डौला फीडर को शहरी फीडर से जोड़कर शहर की भांति बिजली उपलब्ध करायी जाय।]

घाटमपुर शुगर कम्पनी, कानपुर में श्रमिकों की छटनी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण–

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख लाना चाहता हूं।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घाटमपुर शुगर कम्पनी लि0, कानपुर में लगभग 20 आदमी तृतीय श्रेणी और लगभग 30 चतुर्थ श्रेणी में दो साल से लेकर 4 साल तक के दैनिक वेतन भोगी हैं। लगातार कार्य करते हुए भी उन्हें कम्पनी के उच्चाधिकारी महीने में मनमाने ढंग से बैठा देना या काम से हटा देना तथा हरिजनों का कोटा पूरा न करना एवं उनके कमरे से निकाल कर दूसरे को दे देना एक धन्धा बना लिया है। विरोध करने पर निलम्बित कर देना जिससे उन कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। पता चला है कि कम्पनी के अधिकारी इन कर्मचारियों को उनकी नौकरी से हटाकर दूसरे को रखना चाहते हैं। उनमें से कुछ की उम्र भी बढ़ गई है जो कहीं अब नौकरी नहीं पा सकते हैं ये कर्मचारी 2 साल से लेकर चार साल से कार्य करके अब कहीं के नहीं हो पा रहे हैं। उक्त कम्पनी के अधिशासी निदेशक, श्री नरेन्द्र सिंह जोशी अपने तानाशाह ढंग से इन कर्मचारियों के साथ पेश हो रहे हैं।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं। उक्त कम्पनी के समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाये एवं हरिजनों का कोटा पूरा किया जाय।]

गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर, गोरखपुर में श्रमिक असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हर्ष वर्धन–

[मान्यवर, गणेश शुगर मिल आनन्द नगर, गोरखपुर में मजदूरों की प्रस्तावित हड़ताल से गन्ना काश्तकारों तथा जनता में भयावह स्थिति पैदा हो गयी है। उक्त शुगर मिल के श्रमिकों ने जायज मांगों को मनवाने के लिये हड़ताल का नोटिस दे दिया है। आगामी 19 जनवरी, 88 से गणेश शुगर मिल में मिल की यूनियन गोरखपुर चीनी मिल मजदूर पंचायत के आह्वान पर श्रमिकों की हड़ताल शुरू हो जायेगी। जिससे फैक्ट्री बन्द हो जाने पर स्थानीय गन्ना कृषकों को एवं जनता को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। इस सूचना के माध्यम से श्रीमन्, सरकार के संज्ञान में यह 301 की सूचना लाकर सरकार से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

हरिजन नलकूप पर सरकारी व्यय का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सबसे अच्छी लाभ की योजना स्पेशल कम्पोनेंट नलकूप में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होने के 5 वर्ष बाद भी नलकूप चालू नहीं किये गये हैं। जनपद इलाहाबाद में विशेषकर मेरे क्षेत्र मन्जनपुर में दर्जनों नलकूप में एक भी चालू हालत में नहीं है। निर्माण अधूरा है। 20 सूत्रीय बैठक में कई बार उठाये जाने पर भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी ओर किसी साजिश के तहत इस सबसे अच्छी योजना को बन्द कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित समुदाय में भारी असन्तोष है।

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जांच कराकर करोड़ों रुपयों को जाम करने वाले जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित कर वेतन रोक दिया जाय । समस्त नलकूपों को तुरन्त चलाया जाय । दूसरी ओर उक्त योजना को पुनः शुरू किया जाय इसे रोकने के सुझाव देने वालों को हरिजन विरोधी करार करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कु0 कृष्णा रावत–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान एक अति अविलम्बनीय एवं गम्भीर विषय की ओर आकर्षित कराते हुए बताना चाहती हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में काकोरी ब्लाक के 4 गांव, हेतु नगर, परेर नगर, बरी कलां तथा छन्दोइया के किसानों की लगभग 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण महज नौ प्रति वर्ग फिट के मनमाने मुआवजे पर अधिग्रहण कर लिया है। किसानों द्वारा इसका विरोध करने के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनकी खड़ी फसलों को नष्ट करके उस पर ठेकेदारों के जरिये निर्माण कार्य शुरू करा दिये हैं। किसान इसका विरोध करते हैं। किसानों की मांग है कि उनकी खड़ी फसल को नष्ट न किया जाये तथा उन्हें 10 रुपया प्रति वर्ग फिट के हिसाब से मुआवजा दिया जाये, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी किसानों की मांग को नजरंदाज कर गांव में पुलिस प्रशासन का रोष दिखाकर गांव वालों की खड़ी फसलों पर मजदूर लगाकर काम शुरू करा दिये । प्राधिकरण की इस कार्यवाही से किसानों में सरकार के प्रति क्षोभ एवं असन्तोष की भावना व्याप्त हो गयी है ।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर आपके माध्यम से मांग करती हूं कि उपरोक्त गांवों के किसानों की खड़ी फसल को नष्ट करने से रोका जाये तथा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा प्रदान किया जाये ।]

देवरिया जनपद में चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शशि शर्मा–

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लोक महत्व निश्चित विषय लाना चाहती हूं। जनपद देवरिया में यह उल्लेखनीय है कि कोई चीनी मिल नहीं खोली गयी । सभी चीनी मिलें स्वतंत्रता पूर्व की हैं एवं बीमार स्थिति में हैं। देवरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी है। वर्तमान चीनी मिल नवीनीकरण के नाम पर भारी मात्रा में शासन से पैसा वसूल रही हैं और कोई विकास नहीं हो पा रहा है। देवरिया जनपद में सबसे अधिक सरप्लस गन्ना है जिसकी पेराई इन मिलों से सम्भव नहीं हो पाती है। ऐसे में और भी आवश्यकता है कि पचरुखिया (नारायनपुर) में तत्काल एक नयी चीनी मिल खोली जाये, वहां पर ग्राम सभा की 50 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसके लिये सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा । इससे किसानों की माली हालत भी सुधरेगी तथा

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बेरोजगार नवजवानों को काम भी मिलेगा । सरप्लस गन्ने की समुचित पेराई नहीं हो पाने के कारण खराब हो रही है। किसानों को गन्ना 10 से 15 रुपये कुन्तल बिक जाता है। गन्ना किसानों का शोषण खुले रूप से हो रहा है। पचरुखिया (नरायनपुर) में 40 कि0मी0 के दायरे में कोई चीनी मिल नहीं है। जनपद में एक नयी चीनी मिल बैठाने हेतु पूर्व में सर्वे कार्य भी हो चुका है, परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ । इससे इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि इस चीनी मिल की स्थापना कब तक करा देगी । अगर नहीं करा देगी तो क्यों?]

जनपद सहारनपुर की नकुड़ तहसील की ग्राम समाज की भूमि का अवैध आवंटन होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरण दास–

[महोदय, जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में गांव समाज की भूमि को तहसील कर्मचारी व अधिकारी घूस लेकर भूमिहीनों के बजाय भूपतियों के परिवारजनों को अवैध ढंग से आबंटित कर रहे हैं जैसे कि गंगोह परगने के ग्राम हैदरपुर में लेखपाल ने घूस लेकर करीब 30 व्यक्तियों को अवैध पट्टे करा दिये हैं और भूमिहीन हरिजन मजदूर वंचित कर दिये गये हैं। कुछ महिलाओं को जिनके पतियों के पास काफी जमीनें, कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिनके पिताओं के पास खाली जमीन है, कुछ दूसरे जिले के लोगों को जिनके पास वहां जमीन है, कुछ दूसरे गांव के लोगों को जो असरदार लोगों के यहां नौकरी करते हैं यानी सैकड़ों बीघा जमीन से उक्त गांव के हरिजन मजदूरों को वंचित कर दिया है । यह भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। इससे गांव समाज की भूमि हड़पने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अतः इस प्रश्न को सदन में उपस्थित करके दोषी लोगों को दण्डित करने तथा इस षडयंत्र पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग करता हूं ।]

देवरिया जनपद के गन्ना केन्द्रों पर गन्ने की खरीद के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[मान्यवर, एक महीने से अधिक अवधि से गन्ना पेराई शुरु होने के बाद भी गन्ना आयुक्त के दोषपूर्ण सुरक्षण आदेश के कारण देवरिया जनपद के गन्ना क्रय केन्द्र पकड़ियार, पिपरहिया, बनवारी टोला, बरवा, जंगल तथा सितवा महंथ स्थान नवारी टोला अब तक चालू नहीं किये जा सके, जहां से लगभग 4 लाख क्विंटल की आपूर्ति गत वर्षों में होती रही है । गन्ना क्रय केन्द्र चालू न होने से किसानों में हाहाकार मचा है । इसी प्रकार गन्ना समिति हाटा तथा क्रय केन्द्र हैतिमपुर व नोतन हथियागढ़ का लगभग 15 लाख क्विंटल गन्ना गोरखपुर के सरदार नगर फैक्टरी को बेच दिया गया जिससे एक महीने की पेराई अवधि में मात्र एक लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की है । इस चीनी मिल के ढिलाई और उदासीनता से किसानों में रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से मांग करता हूं कि देवरिया के गन्ना क्रय केन्द्र एकडियार, पिपरहिया, बनवारी टोला, बरवा जंगल, सिसवा महंथ स्थान बनवारी टोला को अविलम्ब चालू करने की व्यवस्था करें तथा वहां अतिरिक्त कांटा बढ़ावे, जिससे देर से चालू होने के बाद भी गन्ना आपूर्ति समय के भीतर हो सके साथ ही सरैया सुगर फैक्टरी को निर्देशित करें कि हाटा यूनियन के गन्ने की खरीद में तेजी करें अन्यथा उक्त गन्ना अन्य फैक्टरियों को देने की व्यवस्था की जाये]

हरदोई जनपद में विद्युत आपूर्ति के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, हरदोई नगर एवं जनपद में सरकार की निरन्तर घोषणाओं के बावजूद विद्युत आपूर्ति निरन्तर प्रभावित हो रही है । एक तरफ जहां सूर्यास्त होने के बाद शहर में अंधेरा छा जाता है वहीं दूसरी ओर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक बिजली आने का नाम नहीं लेती । बिजली की अनियमितताओं को लेकर नगरवासी कई बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं तथा प्रदर्शन करके इस गम्भीर संकट से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, परन्तु बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ । प्रायः रात में बिजली न रहने के कारण शहर में अपराध एवं चोरी की घटनायें बढ़ी हैं तथा जनजीवन असुरक्षित हुआ है । सूखे से पीड़ित किसानों को रबी की फसल की सिंचाई के लिये भी 10 घन्टे की घोषित बिजली के स्थान पर 4 घन्टे की नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है जिससे कि पूरा ग्रामीण जनजीवन परेशान है । सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लिये विद्युत आपूर्ति की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये थी, परन्तु उसके स्थान सरकार द्वारा घोषित आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है जिससे की हरदोई जनपद के किसानों में घोर निराशा एवं चिन्ता व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि जनपद की कठिनाई को देखते हुये हरदोई नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय ।]

उत्तर प्रदेश भवन में विधायकों के ठहरने की समस्या से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से पहली सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की है । जो उत्तर प्रदेश भवन में विधायकों के ठहरने की समस्या से संबंधित है । दूसरी, श्री सूर्य प्रताप शाही की, जो रेलवे यात्रा के संबंध में, तीसरी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की, जो अध्यक्ष पीठ के निर्देशों की अवहेलना के सम्बन्ध में, चौथी श्री शारदा नन्द अंचल की, जो पुलिस की ज्यादती के संबंध में, पांचवी श्री राकेश धर त्रिपाठी की, जो सलाहकार समितियों के संबंध में, छठी श्री राम नरेश यादव की, जो रत्ना शुगर मिल के संबंध में, सातंवी श्री राम आसरे वर्मा, श्री फजलुल बारी, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री मित्रसेन, श्री अनुग्रह नारायण सिंह,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री गोपाल दास यादव, श्री किशन पाल सिंह, श्री राम पाल वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री सरस्वती प्रताप सिंह की, जो विधान मण्डल के संबंध में और आठवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन में विधायकों को ठहरने की व्यवस्था और सुविधा दी जाती है । हम लोगों को यह जानकारी हुई है कि इधर एक नया कोई कानून बनाया गया है, जिसमें विधायक अगर नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन में ठहरेगा तो 3 दिन तक सामान्य रूप से जो विधायकों से पैसा लिया जाता है, वह पड़ेगा । लेकिन 3 दिन के बाद प्रतिदिन 50 रुपया लिया जायेगा जो 24 घंटे का होगा । मान्यवर, नई दिल्ली में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर जिस व्यक्ति से मिलना होता है, उससे मिलने के लिए एप्वाइन्टमेन्ट लेने में ही 1-2 दिन लग जाते हैं तो इस प्रकार 3 दिन तो बहुत जल्दी बीत जाते हैं । वहां पर अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है । वहां के अफसर विधायकों को कमरा खाली होने के बावजूद भी नहीं देते हैं और कमरों का गलत नामों से आरक्षण करा लेते हैं । मेरा कहना यह है कि ऐसे समय में इस तरह का कानून सरकार को लागू भी करना था तो वह आपका विश्वास प्राप्त करते । मैं समझता हूं कि इस कानून को तो तत्काल खत्म कर देना चाहिये और कम से कम 7-8 दिन तो ठहरने की व्यवस्था रहनी ही चाहिये जैसा पूर्व में था । इसके अतिरिक्त वहां पर खाने का पैसा भी बढ़ाकर साढ़े सात रुपया कर दिया गया है । जैसा वहां पर पहले था, उसी को बरकरार रखा जाये, अन्यथा वहां पर विधायकों को रहने की समस्या हो जायेगी ?

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, कल मैं यू0 पी0 भवन से लौटा था और श्रीमन् शाम के वक्त मेरे पास 15 रुपये का बिल आया । यह मैं समझ नहीं पाया कि यह 15 रुपये कैसे हो गये । जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, कि आप कमेटी के चेयरमैन हैं इसलिये आपके ऊपर 15 रुपया लगेगा । जब हमने उनसे काफी कहा सुना तो तब जाकर उन्होंने 10 रुपये चार्ज लिया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं, शराब पी जाती है, वेश्यावृत्ति की जाती है, वहां पर गलत काम करने वाले लोग ठहरते हैं और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि यू0 पी0 भवन को बन्द करा दिया जाये ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस सदन की एक आवास समिति है और आप सदस्यों के संरक्षक हैं । राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारी हैं, मनमाने ढंग से जो आदेश जारी कर देते हैं । मा0 विधायकों से संबंधित यदि कोई आदेश जारी होता है, तो निश्चित तौर से उसे आपके संज्ञान में लाना चाहिए और आपकी सहमति से ही आदेश जारी होने चाहिए । जहां तक मुझे जानकारी है, कि दहेली के उत्तर प्रदेश में मा0 विधायकों के आवास से संबंधित आदेश अभी निकाला गया है, उसकी सूचना आपको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं दी गई है और न ही आवास समिति की संस्तुति ली गयी है । राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारी लोग मनमाने तरीके से आदेश जारी कर दिये हैं । गतवर्ष उत्तर प्रदेश भवन में खाने के बारे में मनमाने आदेश जारी कर दिया था । उस समय वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का विधायकों ने घेराव किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस आदेश को रोक दिया था । माननीय अध्यक्ष जी आप कोई ऐसी व्यवस्था दे दें कि भविष्य में जब कभी विधायकों से संबंधित कोई नियम बने आदेश जारी हो तो उसमें अध्यक्ष की सहमति होनी चाहिए और आवास समिति की भी संस्तुति के पश्चात ही आदेश जारी होना चाहिए ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो मामला उठाया है, वह सत्ता पक्ष व विरोध पक्ष दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से संबंधित प्रश्न है। जहां तक हमारे मंत्रिगणों का सवाल है, उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। उनके लिए खाना, रहना व पीना सब फ्री होता है लेकिन विधायक लोग जो वहां जाते हैं, उनको केवल 3 दिन रहने की वहां पर अनुमति दी जा रही है। एकदम से एक ऐसा आदेश निकाल दिया गया जिसका किसी को कोई पता ही नहीं है। विधायकों से जो खाने का पैसा वसूल किया जा रहा है, वह ज्यादा किया जा रहा है और खाना सब-स्टैन्डर्ड क्वालिटी का है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी आपको समय-समय पर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप सरकार को निर्देश दें कि विधायकों को जो पहले 7 दिन रहने की अनुमति दी जाती थी, उसी को किया जाय और जो 3 दिन का प्राविधान किया गया है, उसे समाप्त किया जाय। जो खाना सब-स्टैन्डर्ड का दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नम्बर–2 के माध्यम से विधायक के नाम पर फर्जी तरीके से कमरे पूंजीपतियों को दिए जाते हैं और उनसे अधिक पैसा वसूल किया जाता है, उसको रोका जाना चाहिए ताकि विधायकों को कोई परेशानी न हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष जी हमारे सम्मानित सदस्यों को दिल्ली में जाकर अक्सर रहने की कठिनाई होती है, इसी कठिनाई को देखते हुए यू0 पी0 सदन बनाया जा रहा है ताकि उनको वहां रहने में कठिनाई न हो। लेकिन जो जानकारी श्री शतरुद्र प्रकाश व माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सम्मानित सदस्यों ने दी है कि 3 दिन का समय बहुत कम है इसलिए इसे 7 दिन किया जाय। मान्यवर, इसे 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया जाय।

श्री राम शरण दास–

वहां पर जो अय्याशी हो रही है, उसको कौन रोकेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय श्री राम शरण दास जी ने जो बात उठायी है, उसे दिखलवाया जायेगा। यू0 पी0 भवन व यू0 पी0 निवास तथा दूसरे जो राज्य सम्पत्ति की जगहें हैं, उनमें सुधार किया जाय, इसके लिए एक कैबनेट की सब कमेटी बनी हुई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बनी हुई है, जो इन सारे मामलों को जाकर देखे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और विचार करेगी कि माननीय सदस्यों ने जो मामले उठाये हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय।

रेलवे यात्रा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

सूचना नम्बर दो श्री सूर्य प्रताप शाही की है। यह रेलवे प्रशासन से ताल्लुक रखती है। उनसे बातचीत की जायगी और यह कोशिश की जायगी कि इसका हल निकल आये। यह नियम 300 में नहीं आती है, लिहाजा अस्वीकार की गयी।

अवध विश्वविद्यालय की जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

सूचना नम्बर तीन माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की अवध विश्वविद्यालय की जांच की रिपोर्ट सदन के पटल न रखे जाने के सम्बन्ध में है।

(शासन की ओर इंगित करते हुए)

इसकी रिपोर्ट कल रख दीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह रिपोर्ट आ गयी थी और यह बात कही गयी थी कि सदन में रखी जायगी, लेकिन इसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के आ गये थे, जिनका अनुवाद जरूरी है। अब यह अनुवाद हो गया है, सदन के पटल पर रख दी जायगी। इसके रखे जाने में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए खेद है।

पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जो नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है।

(श्री शारदानन्द अंचल द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कुछ भी लिखा नहीं जायगा, आप बैठें। मैंने आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया है।

सलाहकार समितियों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पांचवीं सूचना श्री राकेश धर त्रिपाठी की है, यह भी नियमों के अंतर्गत नहीं आती है।

रत्ना शुगर मिल के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

छठीं सूचना श्री राम नरेश यादव की है, इस पर आज चर्चा लगी हुई है।

विधान मण्डल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

सातवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी की है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बड़े दुख की बात है और मैं समझता हूं कि सदन के लिए अपमान-जनक भी है। विधान मण्डल सचिवालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के अंतर्गत इसकी अलग व्यवस्था की गयी है। इसके वित्तीय प्रकरणों के बारे में . . .

श्री अध्यक्ष–

इस सचिवालय के विषय में चर्चा क्या सदन में हो सकती है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं सचिवालय के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं, आप मान्यवर, सुन लें। मैं यह कहने जा रहा हूं कि जो विधान मंडल सचिवालय है, उसके क्रिया-कलापों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जब विधान मण्डल सचिवालय भारत के संविधान के तहत अलग मान लिया गया, इसके वित्तीय प्रकरणों के बारे में यह कहा गया कि जो शासनादेश राजकीय कर्मचारियों के सिलसिले में होंगे, वही शासनादेश यहां पर भी कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में होंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप परसों कह चुके हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

नहीं मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 के नियम 37 में भी इस बात का स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि सचिवालय में प्रत्येक संवर्ग के पद का वेतन-क्रम जिसमें अतिरिक्त वेतन अथवा विशेष वेतन सम्मिलित है, निर्वाह व्यय भत्ता तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो सरकारी सचिवालय में तत्सम संवर्ग के पद के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये जायं। अभी हाल में एक शासनादेश 7 अक्तूबर को किया गया, जिसमें शासन के सचिवालय कर्मियों को 30/- रु0 का विशेष वेतन दिया गया। जब विधान मण्डल सचिवालय कर्मियों के बारे में फाइल चलायी गयी, तो पहले तो मेरी आपत्ति इसी पर है कि फाइल चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं था। फाइल जाने के बाद वहां से लिख-कर आ गया कि सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अनुमन्य नहीं है। इसी तरह से कुछ दिनों पहले 10 रु0 सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों को पौष्टाहार के लिए अनुमन्य किया गया जो कि विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए नकार दिया गया। इसी तरह से 7 नवम्बर को विशेष वेतन के संबंध में एक शासनादेश हुआ उसमें भी विधान सभा सचिवालय को नकारा गया। जबकि विधान सभा सचिवालय का सदन के कार्यकलापों से और इसकी कार्यवाही से घनिष्ठ संबंध है और इस सचिवालय के कर्मचारी विधान सभा के जुड़े हुए हैं। यदि उनके साथ ऐसा भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है तो इसका प्रभाव हर माननीय सदस्य पर पड़ना स्वभाविक है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा और साथ ही यह भी चाहूंगा कि शासन पर आप विधायिका

का अंकुश रखें ताकि वह ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैये का इस्तेमाल जो कर रहा है, वह न करें । विधान सभा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी की रक्षा का भार आपके हाथ में है। इसलिए मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं राम आसरे वर्मा जी से भिन्न बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जो मा0 सदस्य खड़े हैं, उनकी भी वही भावना है जो कि मा0 राम आसरे वर्मा जी की है। अब आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप पहले मेरा सुझाव सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावना से सहमत हूं, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं राम आसरे वर्मा जी से भिन्न बात कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष–

अगर इसके अलावा कोई बात है, तो कहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। विधान सभा सचिवालय आपके अधीन है और इस पर सदन में लम्बी चर्चा नहीं होनी चाहिए लेकिन जो बिन्दु अभी मा0 राम आसरे वर्मा जी ने उठाया है और आपसे शिकायत की है तो वह शिकायत न तो आपसे संबंधित है और न इस सचिवालय से बल्कि यह शिकायत तो प्रशासन से संबंधित है। यह मामला गंभीर है, इसी तरह से कर्मचारियों की सुविधा में असमानता नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आप इस संबंध में कृपा करके सदन में यह चर्चा न करा करके नेताओं की एक बैठक अपने चैम्बर में बुला लें जिसमें कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हों और वहां इस सचिवालय के कर्मचारियों के साथ जो असमानता बरती जा रही है, इस पर विस्तार से विचार हो जाय। इसलिए मेरा सुझाव है कि कल ही आप नेताओं की एक बैठक अपने कक्ष में मुख्य मंत्री जी के सहित बुला लें जिसमें निष्पक्ष रूप से यहां के कर्मचारियों की सुविधा के बारे में विचार हो जाय और यहां के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया राम आसरे वर्मा जी और मित्रसेन जी आप बैठें। जो आप चाहते हैं, वही मैं कहने जा रहा हूं, आप बैठें। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश देता हूं कि यह पक्षपात और भेदभाव नहीं होना चाहिए। सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में जो रिपोर्ट है उसी के अनुसार विधान सभा सचिवालय को भी सुविधा मिलनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपने जो निर्देश दिया है मा0 संसदीय कार्य मंत्री को मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है किन्तु संविधान के अनुसार जब तक यहां के कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं बन जाती तब तक राज्यपाल अपनी सहूलियत से कानून चलाते रहेंगे। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा निवेदन है कि जब तक हमारा सदन इस तरह की नियमावली नहीं बना लेगा, तब तक सरकार की ओर से दुतरफा कानून चलाया जाता रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 187(2) (3) में प्राविधान है कि आप सक्षम हैं और आप यह सेवा नियमावली बना सकते हैं। उसको आप जल्दी से बनायें जिससे सरकार के पक्षपात का सामना न करना पड़े।

श्री अध्यक्ष–

मेरे निर्णय के बाद भी आवश्यकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इसे आप सरकार पर मत छोड़िये।

***कुंवर रेवती रमण सिंह–**

मान्यवर, राकेश धर त्रिपाठी का मामला, जो मैंने उठाया है, बहुत ही गम्भीर मामला है। आप इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है। अगर आता है, तो मैं ले लूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। आपकी सूचना को स्वीकार नहीं करता हूं। आप मेरे कक्ष में मिल लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप सरकार के मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेताओं को बुला लें और विचार हो जाये। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। 1980 के बाद जितनी भी कमेटियां बनी हैं, उनमें विरोधी पार्टी के सदस्यों को नहीं रखा गया है। मंडी परिषद्, सूखा कमेटी आदि में किसी में भी नहीं रखा जाता है इस कारण बहुत सी विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। भर्ती मेरिट के आधार पर नहीं की जाती हैं, अपने अपने कैन्डीडेट को भरती कर लिया जाता है। इसलिए मान्यवर, आप सरकार को निर्दिष्ट करें और कोई समय निश्चित कर दें, जिससे इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं, वह दूर हो सकें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। 187 की बात हो रही है। मैं नियम के अलावा कोई बात नहीं करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

सुनने का कोई सवाल नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, 187(3) में आपको शक्ति है कि आप विधेयक लाकर इसको नियमित कर सकते हैं। आप कार्य सूची में देखे, मैंने इसी विषय पर एक विधेयक प्रस्तुत किया है। परसों सदन नहीं बैठ रहा है, इस दिन बैठक नियत करके उस दिन इस विधेयक पर विचार कर लिया जाये और सरकार अपने विचार बता दे, और तत्काल इसका निस्तारण हो जायेगा। आप इसी सत्र में इस पर विचार करवा लें।

श्री अध्यक्ष–

बाकी सूचनायें अस्वीकृत ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आपने कोई निर्णय नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री विक्रमादित्य पाण्डेय को उनकी व्यवस्था के लिए पुकारा है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरी एक व्यवस्था है। कल से आपका सदन उठ जायेगा। 11 हजार ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर इस सदन में आने चाहिए थे, परन्तु अब नहीं आ सकेंगे । इनमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो अनुत्तरित रह जायेंगे जो नियमावली है, उसके अध्याय 7 के नियम 26 और 27 के अन्तर्गत माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और आप शासन के माध्यम से उनका उत्तर दिलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जान बूझकर शासन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहती है। मैंने एक प्रश्न पूछा है कि कितने माननीय सदस्यों ने अपनी सुरक्षा की मांग की है गार्ड की मांग की है, यह प्रश्न पहले से चला आ रहा है।

अब इसका उत्तर आया है कि सूचना संकलित किया जा रहा है। मान्यवर, आपके कार्यालय में माननीय सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन देते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्यालय नहीं है, कोई दूसरा कार्यालय नहीं है जहां से इसकी सूचना लेनी हो लेकिन सरकार जिन लोगों को सुरक्षा देना चाहती है उनको उनके कुत्तों को भी आप संरक्षण दे देते हैं और दूसरे माननीय सदस्य जिनका खतरा रहता है, वे मांग करते हैं और जिन्हें सरकार सुरक्षा देना नहीं चाहती उनके लिए कहा जाता है कि सूचना संकलित की जा रही है। इस प्रकार से जो हमारे अधिकार हैं कि प्रश्न पूछकर हम सारी बातें जान सकें, उनके लिए यह सरकार जवाब नहीं देती है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के लगभग 11 हजार प्रश्न अनुत्तरित रह जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार तो हमारे यहां के पूरे कार्यकाल में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ पाये। इसलिए मान्यवर, आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे अनुत्तरित प्रश्नों का हमें जवाब मिल सकें। प्रश्न सामयिक प्रश्न होते हैं। सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई सदस्य मांग करता है। हमारे हरिशंकर तिवारी जी हैं, सब जानते

हैं कि उनको खतरा है, वे सुरक्षा की मांग करते हैं, माननीय सदस्य मित्रसेन जी हैं, उनको खतरा है, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं हो पाती और यह कहा जाता है कि इसका उत्तर गोपनीय है। इसलिए मान्यवर, आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो प्रश्न जिस स्तर के हों जिनका उत्तर जल्दी आना सम्भव हो सके। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सरकार को निर्देश दे दें जिससे प्रश्नों का उत्तर आ सकें।

(कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था के प्रश्न के लिए मांग करने पर)

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने 31 तारीख को एक औचित्य का प्रश्न दिया था . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरीश जी, आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

जी नहीं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने 31 तारीख को एक औचित्य का प्रश्न दिया था। उस पर निर्णय नहीं हुआ। मेरे औचित्य के प्रश्न को आप सुन लें। . . . (व्यवधान) मैं उसमें कुछ अनुपूरक जानकारी देना चाहता हूं। मैं लिखित भी दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपका 31 दिसम्बर का है तो आज कैसे उठा रहे हैं?

श्री जयदीप सिंह बरार–

उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। बहुत थोड़े समय में मैं अपनी बात बोल लेता हूं । जो प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग है सरकार की उसमें कई बातें अन्तर्निहित हैं। प्रश्नों के माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्य सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको हम देख लेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने लिखित भी आपको दिया हुआ है । आज तक आपने सुनने का समय नहीं दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न आपके द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं उन्हें कार्यपालिका को भेज दिया जाता है। यह एक नई परम्परा चल रही है कि उनके बारे में यह कह दिया जाता है कि इसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है या यह प्रश्न नियमानुकूल नहीं है, या यह गोपनीय है। मेरा निवेदन यह है कि जो प्रश्न आपके द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं उन पर कार्यपालिका को प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहिए और उनका उत्तर आना चाहिए । अभी राना जी ने एक प्रश्न किया था । उस पर आपने

स्वीकृति दे दी थी अल्पसूचित में वह स्वीकार हुआ था। सरकार ने कहा कि चूंकि वह गोपनीय है इसलिए उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि जो प्रश्न आपके द्वारा स्वीकृत कर दिये जायं उस पर सरकार द्वारा कोई टीका-टिप्पणी नहीं होना चाहिए और सरकार को उत्तर अवश्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं एक गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं क्योंकि यह सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी (मौरल रिस्पॉंसिबिलिटी) से बहुत जल्दी भाग जाती है। मेरे यहां 29 जुलाई, 86 को करहना काण्ड हुआ इस सदन में उस पर चर्चा हुई और गृह मंत्री ने सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की बात कही जिसकी जांच सी0 आई0 डी0 से हो गयी और उसकी रिपोर्ट भी आ गयी उसमें यह भी आ गया है कि कौन कौन लोग दोषी हैं लेकिन उन्हें दण्डित नहीं कर रहे हैं। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सरकार ने सदन में जब कोई बात को स्वीकार कर लिया हो और उस पर रिपोर्ट आ जाती है उस पर पालन करना क्या इस सरकार का नैतिक दायित्व है या नहीं। हां या ना में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का अवसर दें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, इसी संबंध में मैं जिसके संबंध में अभी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने व्यवस्था के रूप में सवाल उठाया है यह बड़ा ही गंभीर मामला है। मान्यवर, मैंने तथा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने एक प्रश्न दिया था ज्ञान प्रकाश जांच समिति और एमनैस्टी इंटरनेशन जांच रिपोर्ट के संबंध में जो मेरठ से संबंधित घटनाओं के सम्बन्ध में है। वह जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अखबारों में प्रकाशित हुई है। हमारे ही सूबे की घटनाओं के संबंध में एमनैस्टी इंटरनेशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, ज्ञान प्रकाश जांच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें स्पष्ट रूप से कुछ लोगों पर, सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मेरठ के दंगों को भड़काने या बढ़ावा देने का काम किया है तथा अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में असफल रहे। तो इस रिपोर्ट पर क्या हम प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं? जो घटना हमारे ही प्रदेश में घटित हुई है सरकार ने जिसकी जांच कराई है तो ऐसे प्रश्नों का सरकार द्वारा उत्तर न देना मेरी समझ में नहीं आता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह ऐसा सवाल है जो हम लोगों से सीधे संबंध रखता है जो समस्या ज्वलंतरूप से हम लोगों से जुड़ी हुई है, जिससे हमारी तकदीर जुड़ी हुई है तो क्या उसका उत्तर न देना अनुचित नहीं है इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे समय नहीं दे रहे हैं मैंने लिख कर भी दिया है (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमावली का नियम 45 देखने का कष्ट करें जो मामला माननीय शातरुद्र प्रकाश और माननीय कौशिक जी ने उठाया इसके संबंध में मैं एक कांक्रीट एक्जाम्पुल देना चाहता हूं । एक सवाल पूछा था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मेरठ में हुए दंगों के कारणों की जांच के लिये गठित ज्ञान प्रकाश जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है यदि हां तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई। आपने नियमानुसार स्वीकार करते हुये उसे सरकार को निर्देशित कर दिया कि उत्तर दिया जाय । लेकिन इस संबंध में मुझे आपके सचिवालय से एक पत्र मिला है जो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार का कार्य कभी नहीं हुआ है कि किस प्रकार कार्यपालिका ने आपके अधिकारों का अतिक्रमण किया है। मुझे जो इस संबंध में पत्र मिला है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं जो कु0 प्रीति चौधरी अनुसचिव द्वारा लिखा गया है जो मुझे संबोधित है उसमें लिखा है– 'तृतीय सत्र 87 के लिये निर्धारित आपके द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 976 दिनांक 21 दिसम्बर 87 के संबंध में मुझे निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि मेरठ में हुए दंगों के कारणों की जांच के लिये गठित ज्ञान प्रकाश कमेटी कमीशन आफ इनक्वायरीज एक्ट के अन्तर्गत नहीं थी । अतः सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में उक्त प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष ने पुनर्विचार करना निरस्त कर दिया है ।''

मान्यवर, यह रिपोर्ट मेरे पास है और यह टेलीग्राफ और बनारस से प्रकाशित स्वतंत्रभारत में पूरा की पूरी 7 रंज तक प्रकाशित हुई है। जब यह अखबारों में प्रकाशित हो गयी है तो फिर सदन में रिपोर्ट न आने का क्या कारण है मैंने यह पढी है इसमें ज्ञान प्रकाश जी ने सरकारी अधिकारियों पर अकर्मण्यता और उनके निकम्मेपन का आरोप लगाया है जिसके कारण यह घटना हुई और उसमें कहा है कि वहां मंत्रियों ने बार-बार जाकर अधिकारियों के कामों में घिनौना व्यवधान उत्पन्न किया जिसके कारण यह दंगे जारी रहे । तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह परिपाटी, परम्परा पड़ जायेगी तो जो सवाल पूछेंगे आप नियम 45 मे ग्राह्य कर लेंगे और आपके पास सरकार का विरोध पहुंच जायेगा आपके चैम्बर में जिससे हमारे अधिकार कट जायेंगे और आपको प्राप्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे। हाउस आफ कामस में परम्परा है कोई सवाल स्वीकार कर दिया और सरकार को असुविधा है तो नियम 28 के अन्तर्गत सरकार खड़ी हो और कहे कि जनहित या लोकहित में उत्तर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके चैम्बर में भेजकर आप पर दबाव डालकर जनहित की बात कहते हैं तो यह प्रदेश के लिये अहितकर है, इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है । मान्यवर, यह रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गयी लेकिन सरकार सदन में आने से रोकती है, इसलिये ऐसा क्यों, इस पर आपकी मैं व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था, आप स्वयं, सहमत होंगे कि प्रश्नों के माध्यम से इस सरकार के कार्यकलापों का रिव्यू हम लोग करते हैं और पता चलता है कि सरकार जाग रही है या सो रही है। आप जब प्रश्न को स्वीकार कर लेते हैं नियमावली नियम 28 के अन्तर्गत तो आपका सचिवालय प्रश्न को मंत्री के पास भेज

देता है और मंत्री की ग्राह्यता के संबंध में आपत्ति करनी होती है तो करण 27 के अनुसार सरकारी विभाग में प्रश्न प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर आपको अभ्यावेदन द्वारा आपत्ति भेजी जायेगी लेकिन जब कार्य सूची लिस्ट हो जाये और उसके एक दिन पहले मंत्री जी फाइल आपके पास भेज दें कि उत्तर नहीं देना चाहते हैं गोपनीयता का कारण बताते हुए और कहें कि ग्राह्यता की कमी थी, तो यह नितान्त नियम विरुद्ध है । यदि उनकी आपत्ति करण 27 के अनुसार निर्धारित समय में हो जाती तो नियम के अनुसार आपके सचिवालय को अधिकार है कि वापस हमको भेज दें नियम के अनुसार सुधार करके प्रश्न को नियमानुकूल स्वयं बना दें अथवा हम सुधार कर दें । बना लें लेकिन मंत्री जी जानबूझकर आखिरी समय में आपके पास गोपनीयता का आधार लेकर भेज देते हैं तो यह नियमों और करणों की स्पष्ट अवहेलना है ।तो आपकी पीठ से जो निर्णय पहले दिए गए उनमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं, एक तो आपकी पीठ से वर्ष 1969 में . . . .

आपकी भावना मैं समझ गया, अब आप बैठ जायं ।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल खड़े हैं।

नेता, विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, यह व्यवस्था का षश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष के नेताओं ने जो इस पर विचार व्यक्त किये हैं, इस व्यवस्था के प्रश्न में सारे प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की स्थिति है उससे यह प्रश्न जुड़ा है। मान्यवर, आपके अधिकारों में कटौती इसलिए की गयी कि जब आपने एक प्रश्न स्वीकार कर लिया कि जवाब आना चाहिए तो शासन को अधिकार नहीं था कि रेजेक्ट करे और अस्वीकार करे ।

मान्यवर, दूसरी बात है एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ज्ञान तकाश की रिपोर्ट जो प्रकाशित होती रहीं और उसके साथ ही साथ यह बात है कि रिपोर्ट में साबित किया गया है कि वर्तमान मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह, इसके दोषी हैं जो मेरठ में उनकी मौजूदगी में यह सारे दंगे होते रहे और हिन्दू और मुसलमानों का खून बहता रहा, इसलिए इनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको त्याग पत्र देना चाहिए । यह महत्वपूर्ण विषय है। सारे प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों की भावनायें इससे जुड़ी हैं । लेकिन यह सरकार जानबूझकर इस प्रश्न को कौंसिल कराया, उस रिपोर्ट को यहां पेश नहीं कराया जबकि मैं समझता हूं कि चार दिन का सदन चलाया गया इसमें उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। श्री सुब्रामणियम स्वामी हमारे दल के नेता हैं उन्होंने 7 दिनों तक दिल्ली में भूख हड़ताल किया। मेरठ से सारा प्रदेश जुड़ा है इसलिये सरकार ने निष्क्रिय होने और निकम्मेपन के कारण मैं इस मुद्दे पर अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री जयदीप सिंह बरार–

अब तो आप मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ज्ञान प्रकाश जी की रिपोर्ट सदन में न रखने के लिए जिस तरह से अनुचित दबाव इस सरकार ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के कारण आप पर डाला है, मैं अपने दल की नीति के अनुसार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मित्रसेन–

इस सरकार ने उन रिपोर्टों को इस सदन में नहीं पेश किया है और न पेश करना चाहती है, यह प्रदेश की जनता के साथ सरासर अन्याय है, मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मित्रसेन अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राज किशोर सिंह–

इस सरकार ने जानबूझकर मेरठ दंगे की रिपोर्ट को छिपाया है, उसको यह पेश नहीं करना चाहती है, इसके विरोध में मैं और मेरी पार्टी इस सदन का त्याग करती है।

(श्री राज किशोर सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह जो मामला उठाया गया है, यह एक गम्भीर मामला है, इसमें इस प्रदेश की सरकार हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। ऐसी हालत में आपको अधिकार है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वह ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट और एमनिस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट इस सदन में पेश करे । उस पर यहां चर्चा होनी चाहिए । इस प्रदेश में इस तरह के जो साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और उस पर बाद में रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उससे जन मानस में असन्तोष फैलता है। यह पाया गया है कि इस सरकार ने जानबूझकर दंगे कराये हैं। चन्द्रशेखर जी ने बयान दिया था कि वहां पर हाकिमपुरा में बड़े पैमाने पर लोग मारे गये, किन्तु वहां पर उसके प्रतिवाद में डी0 एम0 ने बयान दे दिया कि चन्द्रशेखर ने गलत बयान दिया है। बाद में एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने साबित कर दिया कि उस लड़के को और लोगों को पी0 ए0 सी0 के लोग पकड़कर ले गये थे और उनको गोलियां मारकर नहर में बहा दिया गया । इससे सरकार क्यों भागती है, सदन में वह चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती है। मान्यवर, आप इस सरकार के गृह मंत्री को तत्काल निर्देश दें कि यह रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखे और यदि नहीं रखती है, तो आप इनसे पूछ लें, तो हम लोग सदन का परित्याग करें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

आपने क्या व्यवस्था दी ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और मा0 रेवती रमण जी ने यह जो सवाल उठाया है, यह विधान सभा तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे हिन्दुस्तान में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट एमनेस्टी इन्टरनेशनल रिपोर्ट दोनों ने यह साबित कर दिया है कि जो हम मेरठ में गये थे और कई अन्य दलों के नेता गये थे और उन्होंने वापस आकर उस वक्त जो आरोप लगाए थे मेरठ दंगे के बारे में कि इस दंगे के लिए यह सरकार, उसके अधिकारी और मंत्री तथा केन्द्र के कुछ मंत्री जिम्मेदार हैं, (व्यवधान) उस वक्त चर्चा पूरे हिन्दुस्तान में फेयरफैक्स और करोड़ों रुपये की रक्षा सौदों की दलाली की थी, उन अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, जनता का भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए इस सरकार ने उक्त मेरठ के दंगे कराये थे। मलियाना में निर्दोष मुसलमानों पर आपकी सरकार ने अत्याचार कराया, गोली चलवाई, लूट करवाई, आग लगवायी (व्यवधान) उस समय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि मलियाना के बाद फिर कोई दंगा नहीं हुआ । पर उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्होंने आदेश दिये थे कि गोली चलाओ । अपने बल पर दंगे रोकने का प्रयास किया गया । इसे अब ज्ञानप्रकाश रिपोर्ट और एमनेस्टी इन्टरनेशनल दोनों ने सत्य साबित कर दिया है। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को आप सदन में लायेंगे या नहीं ? नहीं लायेंगे तो हमारा पूरा क्रान्तिकारी मोर्चा इस सदन का परित्याग करेगा ? नहीं लायेंगे तो क्यों नहीं लायेंगे यह भी आप बतायें ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मेरे औचित्य के प्रश्न पर आप मुझे सुन लीजिए। मैं यह कह रहा था (व्यवधान) मेरी एक बात नहीं सुनी जा रही है....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इस पर तो बड़ी चर्चा हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपको नियमों से अवगत कराना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप भावनाओं से अवगत हैं नियमों से भी अवगत हो जाएं । मान्यवर, मैं किसी विषय पर नहीं नियमों पर बोल रहा हूं मैं बार-बार कह रहा हूं आप मुझे इसमें सुन लें, फिर संसदीय कार्य मंत्री मेरी बात का भी उत्तर दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जाएं । मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं नहीं बैठूंगा । मैं कृपापूर्वक इतनी बार निवेदन कर रहा हूं । मैं छः दफा खड़ा हो चुका, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं । आप विद्वान सदस्य हैं और आपके लिए यह उचित नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप सदन में जवाब नहीं दिलवा पा रहे हैं इसलिए मैं अपने क्रांति-मोर्चा के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के साथ सदन का त्याग करके चले गये)

(कुंवर रेवती रमण सिंह भी दल सहित सदन का त्याग करके चले गये)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठ जाएं नियमों के अनुसार सदन चलेगा ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81†

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नलकूप नियम लिमिटेड, लखनऊ का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन 1981-82†

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन 1981-82 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली 1986††

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या–1556-टी/तीस-4-61 के0 एम0 86, दिनांक 18 जून, 1986 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 को विलम्ब के कारणों सहित, मोटर वेहिकिल्स एक्ट 1939 की धारा-133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986†

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या–3555-ई-2/तेरह-23-85, दिनांक 8 अक्टूबर, 1986 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 को विलम्ब के कारणों सहित स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 78 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(शोर)

(व्यवधान)

विधान सभा के वर्ष 1987 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का विवरण††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (सप्तम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1987 के द्वितीय सत्र (दिनांक 18 जून, 1987 से 21 जुलाई, 1987 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की पौने तीन बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी ।

तदुपरान्त सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के उपरान्त 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा–

ऐसा है मान्यवर, पहले बरार साहब को सुन लें ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

बरार साहब, आप तो सारी बात कह चुके थे, अब आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापी नहीं गयी।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में हमारी नियमावली के अनुसार अध्यक्ष को प्रश्न ग्राह्य करने का अधिकार है और यदि सरकार किसी प्रश्न को ग्राह्यता के आधार पर रद्द कराना चाहे, तो उसे करण 27 के अनुसार 15 दिन का समय है कि वह अभ्यावेदन करे । ऐसा नहीं है कि प्रश्न तीन महीने पहले स्वीकृत हुआ हो और आज जब उत्तर के लिए निर्धारित होने जा रहा हो, तो आखिरी मौके पर गोपनीयता अथवा कोई आधार लेकर उसको निरस्त करा ले । यदि यह प्रश्न ग्राह्यता के आधार पर सही समय पर एतराज किया जाता, तो उस प्रश्न का सुधार विधान सभा सचिवालय भी कर सकता था और संबंधित सदस्य भी कर सकता था । परन्तु सरकार जानबूझ कर आखिरी दिन ग्राह्यता के आधार पर अध्यक्ष से प्रश्न रद्द करा लेती है, यह नियम के बिलकुल विपरीत है । गोपनीयता के आधार पर ग्राह्यता का आधार तभी लिया जा सकता है, जैसे कि अध्यक्ष पीठ से निर्णय के संकलन 1969 से 1978 के पृष्ठ 71 पर स्पष्ट लिखा है कि–"लेकिन विशेष परिस्थिति में मेरे सामने यह प्रश्न अगर उठाया जाय तो इसको सदन के पटल पर रखना चाहिए, तो मैं पूरे तथ्यों पर विचार करके ही फैसला दे सकता हूं ।" अर्थात् सरकार को सारे तथ्य अध्यक्ष के सामने रखने होंगे और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अध्यक्ष पीठ से निर्णय इसी संकलन के पृष्ठ 70 पर है । प्रश्नों के उत्तर में सरकार को गोपनीयता का सहारा उसी वक्त लेना चाहिए, जबकि वास्तव में सरकार की सुरक्षा का प्रश्न निहित हो । तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 31 तारीख को मेरा प्रश्न जिसे सरकार ने गोपनीयता के आधार पर रद्द करवाया, यह किसानों को उनके धान की 200 रु0 प्रति कुंटल कीमत दिलाने के संबंध में था । क्या इसका उत्तर देने से सरकार की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती ? इसी प्रकार एक प्रश्न जो शस्त्र अधिनियम में लाइसेंस के आवेदन को निश्चित समय में निस्तारित करने के संबंध में था, उसका उत्तर भी गोपनीयता के आधार पर नहीं दिया । मेरठ के दंगों की जांच रिपोर्ट यदि प्रकाशित हो जाय, तो क्या उससे राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जायगा ? मुझे लगता है कि रिपोर्ट में सरकार की अकुशलता और बदनियती की वजह से दंगे होने का सबूत मिल जायगा । तो वास्तव में इस राज्य को तो नहीं, सरकार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जायगा । श्रीमन् मेरा आप से निवेदन है कि सरकार इस प्रकार जो नियमावली और करणों की अवहेलना करती है, उसके लिए आप सरकार की निन्दा करें और स्पष्ट निर्देश दें कि इस प्रकार गोपनीयता के आधार पर वह प्रश्न निरस्त न कराये और यदि ऐसा आवश्यक भी हो कि वह किसी प्रश्न का उत्तर लोकहित में नहीं देना चाहें, जिसको उन्हें अधिकार है, तो वे ऐसा सदन से कहें, कम से कम इससे प्रेस के माध्यम से प्रदेश की जनता जान सकेगी कि सरकार कृषकों का उचित मूल्य दिलाने के संबंध में भी लोकहित का बहाना लेकर उसकी जानकारी को छिपा लेती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बरार जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और अन्य हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी इस समस्या को उठाया, इस सारे प्रश्न को मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट करता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर सदस्यों को यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष पीठ से अपनी हर तरह से सुरक्षा की गारंटी की मांग करें । क्योंकि मान्यवर, अगर हम स्पष्ट रूप से निडर होकर यहां पर अपने विचारों के लिए . . .

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, यह जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह पहले उठ चुका है और इसमें शामिल है, माननीय पाण्डे जी ने उठाया था, यह जिस विषय में आपने उठाया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं दूसरी व्यवस्था आपसे चाह रहा हूं मेरा यह कहना है कि जब हम सदन के कार्य में भाग लें तो नियमावली के अन्दर जितने हम पर प्रतिबन्ध लगे हैं, उसके अलावा उससे अधिक प्रतिबन्ध कोई नहीं लग सकता है जिसकी वजह से हमारी आवाज दब जाय । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने 2 जनवरी से एक लिखित निर्देश दिया है जिसे उनके दल के लोग सदन में बांट रहे हैं, जिसकी प्रति मैं आपके पास भेज रहा हूं जिसमें इन्होंने कहा है कि नियम 56 की सूचना जो सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं, न दें । मान्यवर, नियमावली में इसका कोई प्रावीजन नहीं है। नियमावली में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें दोनों पक्षों के हितों का समावेश करते हुए नियमावली में दिया गया है। मान्यवर, हाउस आफ कामन्स जहां से हम अपने सारे अधिकार और प्रीविलेज डिराइव करते हैं तो वहां पर ऐसे प्रतिबन्ध नहीं हैं तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रति भिजवा दीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बंधुवा मजदूरी से मुक्त कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन, यह जो माननीय तिवारी जी ने उठाया है तो इसको बहुत ही गम्भीरता से आपको लेना चाहिए । इसमें सिर्फ नियमावली का मामला नहीं है। नियमावली में तो कुछ हमने अपने विधान सभा की कार्यवाही को ठीक से चलाने के लिए कुछ नियम बना लेते हैं लेकिन सबसे बड़ा हमारा संविधान है और यह संवैधानिक मामला है। कोई भी अधिनियम, यहां पर जो माननीय सदस्य हैं उनको विचारों की अभिव्यक्ति से रोक नहीं सकता है। मान्यवर, यह हो सकता है कि शासक दल के लोग नियम 56 के अन्दर नोटिसें न देते रहे हों या वह इस तरह से अपने यहां रोक नहीं सकते थे इससे पहले लोग नियम 56 की नोटिस देते रहे हैं और उस पर बहस होती रही है। विचारों की अभिव्यक्ति से कोई किसी को रोक नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकता है आप इस पर निर्देश दीजिए । यह कार्य असंवैधानिक है जो संसदीय कार्य मंत्री जी कर रहे हैं यह इसको वापस लें और क्षमा याचना करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, तिवारी जी ने और वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया । माननीय वर्मा जी ने कहा कि संविधान की अवहेलना होती है, एक तरह से व्हिप जारी करना कोई असंवैधानिक नहीं है। माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो हवाला दिया है उसमें साफ-साफ लिखा है कि सामान्यतः नियमावली में हरेक का अधिकार है। कोई भी चाहे इस तरफ का व्यक्ति हो या उस तरफ का हरेक सदस्य किसी भी नियम के अन्तर्गत कोई भी चीज आपको दे सकता है लेकिन उसमें यह कहा गया है और परम्परा यह रही है कि जो सरकारी पक्ष के लोग हैं वह नियम 56 न आने दें। मान्यवर, विरोध पक्ष के जो लोग हैं उनकी आसानी के लिए अगर वह इस तरह से दे रहे हैं, अगर इस तरह से लोग देने लगेंगे तो समय कहां बचेगा? तो मान्यवर, फैसिलिटीज करने के लिये, विरोध पक्ष की आवाज तेजी से उठाने के लिए और ज्यादा मौका मिले, उनकी सहायता के लिए यह किया है वरना यहां लोगों के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का यहां कोई आशय नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो असल सवाल है उससे हटने की और सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। मान्यवर, वैसे हम लोगों की विधायक दल की बैठक हुआ करती है, अपने-अपने दल के नेता हैं पार्टी के, वह निदेश दिया करते हैं लेकिन यह कामरोको, कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखने में व्हिप जारी करने में साजिश यह है कि बहुत से लोग प्रतिपक्ष के लोग जानते ही हैं, लेकिन इस वक्त बरार साहब की स्थिति है वह असलियत जानते हैं और मान्यवर, आप भी असलियत जानते हैं। लेकिन अब इस समय आपका दृष्टिकोण कोई भी हो सकता है, लेकिन यह योजना बरार साहब की सदस्यता समाप्त करने के लिये बनायी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

बरार साहब किस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बरार साहब से क्यों पूछते हैं, अपने अंतर से पूछ लीजिये, तो मान्यवर, सवाल इस बात का है....

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं तो उसी पार्टी का हूं, जिसके आप खुद हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस वक्त आप उस पीठ पर बैठे हुए हैं, इस समय आप किसी पार्टी में नहीं हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

लेकिन निर्णय बिल्कुल इन्साफ से करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपसे उम्मीद है। आप अधिष्ठाता महोदय जरूर हैं, लेकिन चेयर पर सबसे अच्छे हैं जो हम लोगों का सम्मान रखने वाले और गौरव बनाये रखने वाले हैं। हम लोग आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। यह बरार साहब को न बोलने देने की साजिश है। वह बोलना चाहते हैं और सरकार का जितना खोखलापन है, बेइमानी है और भ्रष्टाचार है, सारा उनको पता है। यह रोक इसीलिए लगाई गयी है ताकि बरार साहब अपने सवाल न उठा सकें । मान्यवर, यह स्थान ऐसा है कि यहां पर हमको किसी भी समस्या के बारे में बोलने का अधिकार है, कोई भी विषय उठाने का अधिकार है, प्रदेश से सम्बन्धित, जनता से सम्बन्धित । आपने देखा होगा कि कभी-कभी किसी विषय पर न्यायालय में रोक लगी होती है, लेकिन उसमें जनता का इन्टरेस्ट मालूम हो जाता है तो चेयर से छूट दे दी जाती है। तो मान्यवर, इस बात को आप यह मानकर चलें कि बरार साहब के साथ साजिश की जा रही है कि बोलना शुरू किया तो सदस्यता समाप्त करेंगे । इसलिए मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा आपसे यह कहना है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, दलीय लोकतंत्र में दल के अन्दर क्या फैसला होता है, यह दल का आन्तरिक मामला है, लेकिन सदन के अन्दर कोई भी आवाज उठती है तो वह दल के अन्दर का मामला नहीं रह जाता । यहां पर जो पर्ची बांटा गया श्री ब्रम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से, जो कि दल के मुख्य सचेतक भी हैं, वह दल की मीटिंग में नहीं बांटा गया, बल्कि 11.00 बजे सी जो सदन आहूत था, उसके उपवेशन में बांटा गया । जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य यहां पर बैठे हैं, वहां पर बांटा गया । मान्यवर, हमारे संविधान की धारा 194 में साफ लिखा है कि "इस संविधान के उपबन्धों के और विधान मण्डल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।" मान्यवर, जो विशेषाधिकार यहां पर हम लोगों को और सभी सदस्यों को है, उसमें सभी को वाक् स्वातंत्र्य है और जो हमारी नियमावली है, विद्वान संसदीय कार्य मंत्री जानते हैं कि यहां पर बिना किसी रोक के बोला जा सकता है। यहां पर बोलने की आजादी को रोकने के लिये इनके संसदीय कार्य मंत्री ने व्हिप जारी कर दिया कि नियमावली की इस धारा के अन्तर्गत नहीं बोल सकते । तो यह तो हमारे विशेषाधिकार पर अंकुश लगा रहे हैं। नियम 56, 52, 63 में कहीं कोई भी प्राविधान नहीं है कि सत्तारूढ़ दल का सदस्य नियम 56 यहां प्रस्तुत नहीं करेगा । यदि सरकार गलत काम करती है, चाहे उस दल की सरकार हो या न हो । जब 1977 में मैं इस सदन में था, सत्तारूढ़ दल का सदस्य था, उस समय बनारस के एक मामले को मैंने सदन में उपस्थित किया था और उस पर दो घण्टे की चर्चा हुई थी । फर्क इतना था कि आपकी जगह वहां माननीय बनारसीदास जी विराजमान थे । मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र की विकास की प्रक्रिया में बहुत बदलाव आया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांत रहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 1988 में यह प्रतिबन्ध लगाना और वह भी सदन के अन्दर कि फलां सदस्य नियम 56 का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यह वाक् स्वातंत्र्य पर प्रतिबन्ध लगाना है। जो विशेषाधिकार हमको संविधान से मिला है, आपकी नियमावली से प्राप्त हुआ है, उस पर यह एक प्रकार से अंकुश होगा। मान्यवर, माननीय अम्मार रिजवी जी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वह इस सदन के सदस्य पर, उसके वाक् स्वातंत्र्य पर प्रतिबन्ध लगायें, उस पर अंकुश लगायें, यह साफ तौर पर विशेषाधिकार का हनन है और औचित्य का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह का तुगलकी फरमान जारी हुआ है, सदन के अन्दर जारी हुआ है, उसे यह तत्काल वापस लें और मान्यवर, आप इस विषय को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दें और माननीय अम्मार रिजवी साहब को भी उस समिति में बुलाने का कष्ट करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो भावना व्यक्त की है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात तुरन्त स्पष्ट हो जायेगी अगर आप वोटिंग करा लें या किसी तरह से माननीय सदस्यों की भावना जान लें कि कितने लोग बंधुवा मजदूर बनकर रहना चाहते हैं, और कितने लोग वाक्य स्वतंत्रता के पक्ष में हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे दो बातें कहनी हैं, एक तो वह व्हिप नहीं है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अन्दर का मामला है कि हम किस प्रकार से तालमेल रखेंगे। मान्यवर, इसको यहां पर नहीं उठाया जा सकता है। माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो कहा कि किसी तरह से आप राय जानना चाहेंगे सदन की, इसमें मेरा ख्याल है कि माननीय वर्मा जी ही अलग रहेंगे और बाकी हरेक अपनी पार्टी के साथ रहना चाहेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के विचार सुनने के बाद और यह जो निर्देश जारी किया गया है उसको देखने के बाद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि अब इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं इसे निरस्त करता हूं।

माननीय सिंचाई राज्य मंत्री, श्री भोला शंकर मौर्य के कक्ष में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के बीच हुई घटना से सम्बन्धित गठित समिति का प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 2 जुलाई, 1987 को माननीय सिंचाई राज्य मंत्री, श्री भोला शंकर मौर्य के कक्ष में उनके और श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के बीच हुई घटना से सम्बन्धित समस्त मामले की जांच करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

†छापा नहीं गया।

सदन में भोजनावकाश का समय समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह एक परम्परा चली है कि एक तो शासक दल वाले असेम्बली बुलवाते नहीं हैं। मान्यवर, एक तो असेम्बली थोड़े ही दिन के लिये बुलायी जाती है, उसमें हमारे साथी खासतौर से विपक्ष के साथी अपने-अपने क्षेत्रों की दिक्कतों को या उनके साथ कोई घटना घटती है, तो उसे यहां प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद यदि उसे कोई संतोष नहीं होता है, तो वह सदस्य अपनी बात कहता रहता है, उसके पक्ष में हमारे कई और साथी खड़े हो जाते हैं, उसमें आपकी पीठ से यह बात कह दी जाती है कि अब हम पौने तीन बजे तक के लिए उठते हैं। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यह जो लंच आवर है, उसे आप खत्म कर दीजिये । यह लंच आवर की वजह से हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मान्यवर, यह जो लंच आवर रखा गया है, तो लंच आवर में जब हम खाने के लिये जाते हैं तो वहां पर जगह भी नहीं मिलती है। किसी को खाना भी नहीं मिल पाता, इसलिए जैसी परम्परा पहले थी, वैसी ही परम्परा फिर से लागू कर दी जाय । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह माननीय सदस्य बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और इन्हें इस सदन पर खर्च होने वाले पैसे का सदुपयोग करना चाहिए इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह लंच आवर न रखा जाये और सदन की कार्यवाही बाकायदा चलती रहे, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसे अवश्य खत्म करवायेंगे ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, पूर्व जैसी ही व्यवस्था यहां पर लागू होनी चाहिये । आपके अध्यक्ष पीठ पर आसीन होने पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसी पूर्व में परम्परा रही है, उसी हिसाब से यह फिर लागू होगी ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह मामला जब नियम समिति में आया था, तो मैं भी उस समिति में था और तब मैंने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था । मान्यवर, लन्च आवर का निर्णय सर्वसम्मत नहीं था । मुझे यह जानकर बाद में हैरानी हुई कि विधान सभा के सत्र के दौरान लन्च का टाइम भी रखा जायेगा । मान्यवर, चूंकि यह सर्वसम्मत निर्णय नहीं था इसलिए लन्च को लागू करने का प्रश्न नहीं आना चाहिये था ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यहां एक मिनट में लगभग 4000 रुपये का खर्च आता है। यहां पर लन्च आवर न रखकर हम 5 बजे से 6 बजे तक बहुत से जरूरी काम कर सकते हैं । श्री राम शरण दास ने इसका प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया है । वैसे ही हम लोग यहां पर 11 बजे आते हैं तो लन्च आवर आप खत्म कर दीजिये । मान्यवर, यहां पर जो धन का दुरुपयोग हो जाता है, उसको बचाइये और उसका सदुपयोग कीजिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, नेताओं के सामने मंच हो तो लन्च की क्या जरूरत है ? इसलिए लन्च को समाप्त कर दिया जाये। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

भोजनावकाश की व्यवस्था का प्रश्न तो एक प्रस्ताव के रूप में आया था, उस पर निर्णय लिया गया था । अब यदि सदन चाहता है और यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आता है, तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप स्पष्ट निर्देश दें कि खत्म कर दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें सदन सक्षम है। अगर कोई लिखित सूचना होगी तो उस पर आवश्य विचार कर लिया जायगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना को सदन के संज्ञान में लाने की मांग

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरी मद संख्या–10 को आपने लिया नहीं । मद संख्या–10 में मेरी सूचना है। श्रीमन्, मैंने लिखकर दिया है, जिस पर सदन के सदस्यों की राय आनी आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता था कि आप 2 मिनट मेरी बात सुन लें। मान्यवर, इस बिन्दु पर आज तक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना कभी नहीं आयी है, मान्यवर, यह नया बिन्दु है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता । इस पर सदन के सदस्यों की राय आ जाये, नहीं तो सदन इससे अवगत नहीं हो सकेगा । मान्यवर, यह माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बरार साहब आप बैठिये । आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत विद्वान भी हैं। आपने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है। माननीय अध्यक्ष जी उसको देख रहे हैं, उसके बाद में जो निर्णय होगा और मौका लगेगा तो आप बोल लीजियेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं निर्णय देने के लिए नहीं कह रहा हूं । विशेषाधिकार हनन की सूचना जो दी गई है, वह सदन के संज्ञान में आनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपने दे दी है, वह भेजा जा रहा है । उसका परीक्षण कराया जायेगा तभी उस पर निर्णय दिया जा सकेगा ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

नियमों के अंतर्गत ही आप अपनी बात कह सकते हैं । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं कृपा करके आप बैठ जायं ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राम आसरे वर्मा व श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर-व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विशेषाधिकार हनन के संबंध में क्या व्यवस्था होगी, यह माननीय अध्यक्ष व पीठ पर निर्भर करता है । जब कार्य सूची में एक मद है, विशेषाधिकार की कोई सूचना अगर है, तो मेरा यह निवेदन है कि उसके बारे में सदन के चलते उस सदन में बताया जाना चाहिए और हमारा भी यह अधिकार है ताकि हमें भी उसके बारे में जानकारी हो जाय कि सदन की अवमानना का प्रश्न किस व्यक्ति ने किसके खिलाफ उठाया है । यदि किसी व्यक्ति ने किसी के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना लिखकर दी है तो उसके बारे में सदन को जानने का अधिकार है, फैसला आप बाद में करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, विशेषाधिकार की सूचनाओं के संबंध में पीठ का जो निर्णय होता है, वह शिरोधार्य है । एक चीज आपने भी देखी होगी कि विगत कुछ वर्षों से विशेषाधिकार की सूचनाओं के संबंध में सुने जाने की परम्परा नहीं रही है लेकिन आप इस सदन की कार्यवाहियों को उठाकर देख लें, यह एक आईटम है, विशेषाधिकार की सूचना जो देता है उसे सुना जाता है और जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी गई है, उससे भी उसका उत्तर मांगा जाता है, तब दोनों का परीक्षण करने के बाद माननीय अध्यक्ष या पीठ उस पर निर्णय लेता है, जो हमेशा शिरोधार्य होता है । नियमों में यह लिखा है कि "यदि आवश्यक समझें तो अध्यक्ष सुन सकते है।" लेकिन विगत कुछ वर्षों से ऐसी परम्परा पड़ गई है कि सदन में तो सुना नहीं जाता कमरे में बैठकर बिना सुने ही उस पर निर्णय दे दिया जाता है, जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है । इसलिए माननीय अधिष्ठाता जी ऐसी परम्परा न डालें जिससे माननीय विधायकों के अधिकारों का हनन हो । आप पुरानी कार्यवाहियों को भी देख लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक विशेषाधिकार की सूचना दी गई और उसे आपने मान भी लिया कि एक विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त हुई है और इसकी घोषणा आपने सदन में कर भी दी । सदन में घोषणा करने के बाद मान्यवर, वह सदन की सम्पत्ति बन जाती है । सदन की सम्पत्ति बन जाने के बाद हर मा0 सदस्य का यह अधिकार हो जाता है कि वह जानकारी करे कि वह सूचना किस तरह की है । मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहूंगा कि बरार साहब द्वारा दी गयी सूचना, जो कि सदन की सम्पत्ति बन चुकी है, हर सदस्य उसको जानना चाहेगा । इसलिये माननीय बरार साहब से कहलवा दें संक्षेप में कि सूचना क्या है ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

पहले व्यवस्था पर निर्णय देने दें, आप बैठें ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इधर जो नई परम्परा पड़ी है, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में जो भी आता है, पीठासीन अधिकारी पढ़कर सुना देते हैं कि किसी विषय में माननीय सदस्य की क्या सूचना है और उस सदस्य के द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिया जाता है और भी मा0 सदस्यों द्वारा उस पर अपनी राय जाहिर की जाती है और अगर सदन संतुष्ट होता है कि विशेषाधिकार समिति को सौंपने योग्य है तो सौंप दिया जाता है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक नई परम्परा डाली जा रही है कि सदस्यों को बताया भी नहीं जाता है कि विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना प्राप्त हुई है । हम लोगों ने हाउस बैठने से पहले ही विशेषाधिकार की सूचना दी है । मैंने जिस विषय में सूचना दी थी, उस पर विधान परिषद् में चर्चा भी हो गयी और आपकी पीठ से हम लोगों को यह बताया भी नहीं गया कि विशेषाधिकार की सूचना मिली या नहीं ? अगर मिली, तो निर्णय लेने पर विचार कर रहे हैं या नहीं ? जिस विषय पर मैंने सूचना दी थी, वह विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया गया, हमको पता भी नहीं है, सदन को भी पता नहीं है । पहले जो व्यवस्थायें थीं, उसके अनुसार विशेषाधिकार के प्रश्न पर लोगों के विचार सुने जाते थे और उस पर माननीय अध्यक्ष जो निर्णय देते थे, सबको स्वीकार होता था । आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी विशेषाधिकार की सूचनायें हैं, अगर सबको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर देते हैं तब तो ठीक है नहीं तो जितनी भी सूचनायें अभी तक प्राप्त हुई हैं, उन पर मा0 सदस्यों की राय जान लें और अगर विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करना हो तो कर दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, विशेषाधिकार के बारे में सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात कही । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रक्रिया नियमावली के अध्याय-11 के नियम 65 के अंतर्गत जो ग्राह्यता की शर्तें हैं, उसके आखिरी पैराग्राफ की ओर . .

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

ग्राह्यता पर तो आप तभी कुछ कह सकते हैं जब सूचना आ जाय ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

तो मैं कह रहा था कि नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ कि, "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य ने एक सम्मानित सदस्य का नाम लिया है, इसलिये किसी भी बात को करने से पहले उनको सूचित करना और उनकी बात सुनना, यहां सुनने के पहले आवश्यक है और उसके बाद यदि आवश्यक समझें तो शिकायतकर्ता की बात सुन सकेंगे । इस संबंध में आप निर्देश भी दे चुके हैं, फैसला भी दे चुके हैं, आपके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है । जो आपने निर्देश दे दिया है, जो निर्णय दे दिया है उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये । ग्राह्यता की शर्तों को पूरा किये बगैर यहां इसको नहीं सुना जा सकता ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियमों को देखने के बाद अब इस पर कुछ नहीं करना चाहिये । अब मैं मद संख्या 13 लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप जो कुछ बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । मा0 राम आसरे वर्मा, आप मद संख्या 13 पर बोलिये ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं नियमों के बारे में कह रहा हूं । मैंने जो सूचना दी है उस पर नहीं बोलूंगा ।

(व्यवधान)

मैं सूचना पर नहीं बोलूंगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, यह सदन इस समय व्यवस्थित नहीं हो रहा है । आप मदों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं । अभी बरार साहेब ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विशेषाधिकार के संबंध में नियमावली का हवाला दिया है, हमारी जितनी भी नियमावलियां हैं उन सबसे ऊपर हमारा संविधान है । संविधान के बारे में यदि उसके तहत वह कुछ कहना चाहते हैं तो आप उनको सुन लीजिये । संविधान की बात को सुनना आपका कर्तव्य है । सुनने के बाद उस पर निर्णय देना या न देना, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है परन्तु संविधान के संबंध में आपको अवश्य सुनना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अपना निर्णय दे दिया है । अब मैं आपको इजाजत नहीं देता । आप तो विद्वान आदमी हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, आप नियमों से ऊपर नहीं हो सकते हैं। जो नियमावली में प्राविधान है, सदन की कार्यवाही उसी से चलेगी ।

बरार साहेब, आप बिराजें ।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

बरार साहेब, जो आप बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो आप बोल रहे हैं, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया अपने सदस्यों को शान्त करायें ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप मेरी बात सुन लें । मैं संविधान पढ़ रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

हमारी तरफ के सदस्य जो हैं वह शान्त हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर संविधान के प्राविधानों को नहीं सुनेंगे तो फिर क्या सुनेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने एक निर्णय दे दिया है । इसलिये वह प्रकरण समाप्त हो गया और उस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

आपकी पीठ से एक निर्णय हो गया । अब कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाये और सदन का समय नष्ट न किया जाये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दे दी है, उसके संबंध में बरार साहेब को कुछ नहीं कहना चाहिये, लेकिन अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न है और संविधान के अनुच्छेद का उद्धरण देना चाहते हैं, तो उन्हें उठाने देना चाहिये । आप यह मान कर क्यों चलते

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हैं, उनकी व्यवस्था उसी से संबंधित है । सदन व्यवस्थित चले, इसलिए जो संविधान के अंतर्गत जो है उसे आप सुन लें । आपका जो निर्णय है वह शिरोधार्य है । जो उनकी व्यवस्था है, उसे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने एक व्यवस्था पर निर्णय दे दिया है, तो अब उस पर चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

उस पर वह नहीं कह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

विशेषाधिकार का जो निर्णय मैंने दिया है, उस पर कोई चर्चा की बात रखने के अलावा आप कह सकते हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री अम्मार रिजवी–

मेरा आपत्ति है । जिस पर आप निर्णय दे चुके हैं, उसी पर यह आ गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

बरार साहेब जो कुछ कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा क्योंकि मैंने पहले ही उस पर निर्णय दे दिया है ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं तो आपकी अनुमति से बोल रहा था। यह कैसे हो सकता है? आपने मुझे अनुमति दी थी।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक, 1986

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1986 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को सदन में पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लिये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1986 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को सदन में पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लिये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षा संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा (सचिवालय प्रशासन) विधेयक, 1987††

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा (सचिवालय प्रशासन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा (सचिवालय प्रशासन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा (सचिवालय प्रशासन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा एक साथ कुछ कहने पर)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, आप डाक्टर भी हैं, इनकी अकल का कुछ अन्दाजा आपने लगाया है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, ये राम शरण दास जी के सामने बैठे हैं इसीलिये यह सारी प्रतिक्रिया हो रही है।

---

†दिनांक . . . . . , 1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††दिनांक . . . . . , 1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 7 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मद संख्या 7 पर आज जो विवरण प्रस्तुत किया है उसके क्रम संख्या 106 के बारे में मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है । मान्यवर, मैंने 301 के अंतर्गत 21 जुलाई को एक सूचना दी थी । एक सप्ताह के अंदर मुझे उसके संबंध में यह सूचना मिली कि कार्य हो रहा है लेकिन दिनांक 18-12-87 को जो अंतिम सूचना मुझे मिली उसमें मुझे गृह मंत्री की एक चिठ्ठी मिली है जिसमें कहा गया है कि अब यह जांच आयुक्त फैजाबाद मंडल को सौंप दी गई है । यह अंतिम क्या कार्यवाही हुई । 301 में यह कार्यवाही समाप्त कर दी गई। मैंने एक गम्भीर मामला 301 के अंतर्गत उठाया था कि फैजाबाद जिले के कुछ प्रभावशाली राजनीतिज्ञों पुलिस अधिकारियों और अपराधियों का एक काकस बन गया है और विशेषकर विरोध पक्ष के लोगों के ऊपर उसके प्रभाव का प्रयोग किया जा रहा है । इसी प्रकार के कुछ मामला में सी0 जे0 एम0 फैजाबाद ने कुछ अधिकारियों और पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया । उसके बाद फैजाबाद के सांसद और एस0 एस0 पी0 ने एक योजना बनाई और एक हरिजन को बुलाया और यह बताया भी नहीं कि क्या लिखा रहे हैं और उसके नाम से एक फर्जी दरख्वास्त लिखी कि सी0 जी0 एम0 ने मां बहन की गाली दी है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था कहां से हो गयी, व्यवस्था का प्रश्न कहां से हुआ । माननीय तिवारी जी आप नियमों के प्रकांड ज्ञाता है किस नियम के अंतर्गत यह चर्चा कर रहे हैं । आपने व्यवस्था के नाम पर चर्चा करना शुरु कर दी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं यह फैक्ट्स बता रहा था। यह डाक्यूमेंटरी मामले है, इन्होंने मुझे सूचित किया है कि यह जांच मंडलायुक्त को सुपुर्द कर दी गयी है, तो यह इन्होंने अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया । यह फाईनल कैसे मान लिया जो 301 में मामला उठाया था, वह समाप्त कैसे हो गया । इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले एक सुनियोजित ढंग से चल रहे हैं और इस प्रदेश के गृह मंत्री सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं । हमारे अधिकारों को इस प्रकार से कैसे सुरक्षित रखा जा सकेगा और प्रदेश की जनता को किस प्रकार सुरक्षा मिलेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो यह चर्चा माननीय तिवारी जी ने की है, यह मामला जांच के लिये मंडलायुक्त को सौंप दिया गया है । उस पर क्या कार्यवाही हुई, वह जब अंतिम रूप से हमें मिल जायेगी उससे हम माननीय तिवारी जी को सूचित कर देंगे । तब वह यह कह सकते हैं कि वे उससे संतुष्ट हैं या नहीं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, उस दिन आपकी पीठ से कृपा पूर्वक यह घोषणा हुई थी कि नियम 56 की जितनी भी सूचनायें हैं, उसे पीठ ने स्वीकार कर लिया था और उस पर सबको सुनने की बात थी । हमने नियम 56 में एक सूचना कानपुर की लोहिया मशीन लि0 के संबंध में दी थी ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी नियम 56 आपने कहां लिया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 की मद जब लूंगा तो सुनूंगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं आज के नियम 56 की बात नहीं उठा रहा हूं, यह वह सूचना है, जो आप पहले ही ले चुके हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरे भी कई ऐसे मामले थे, जिनके बारे में हम भी कहना चाहते हैं । अभी माननीय तिवारी जी ने जो बात कही, उसी के अंतर्गत हमें भी कहना है । जो भी आप निर्णय करें, वह सब पर लागू हो, उससे हम भी जुड़े हुए हैं । क्योंकि 29 तारीख को हमारी सूचना भी नहीं ली गयी थी ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आज जो नियम 56 के अंतर्गत बुलन्दशहर का मामला रखा गया है, वह महत्वपूर्ण है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, हमारा जो आज का मामला है वह महत्वपूर्ण है, उसे ले। नियम 56 की जो मद आपको लेनी है, अभी आपने उसको अपने श्रीमुख से लिया ही नहीं तो उस पर कैसे विचार हो रहा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जो आज की सूचना है नियम 56 की उनको आज पहले सुनें, उनके नम्बर एक पर बुलन्दशहर का मामला है। सुबह ही अध्यक्ष ने कहा था कि इसे नियम 56 में पहले ले लेंगे । अब इस तरह से यह बाई-पास करने की कोशिश की जा रही है । मान्यवर, दलों के नेता ही बाई-पास करेंगे, तो काम कैसे चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी आप बैठें । मैं उस मद को अभी लूंगा । माननीय कौशिक जी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं जो विषय उठा रहा हूं, वह यहां उठ चुका है, उस पर उस दिन पीठ से व्यवस्था आयी थी कि इसे सदन के समक्ष रख दिया जाय।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कोई नियम 56 के अंतर्गत अब उसे बल्कि यह कहना चाहता हूं कि उस दिन लोहिया मशीन्स के संबंध में, नियम 56 के अंतर्गत जो विषय उठाया था, जो स्वीकार करके सुना गया था, उस पर आप सरकार को निर्देशित कर दें । यह 1-1-88 की सूचना है ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं भी इनकी बात के साथ जोड़ना चाहता हूं कि जो कौशिक जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह सही है लेकिन परम्परा रही है कि कोई एजेन्डे का नम्बर जब लेते हैं तो उसके बाद ही संबंधित विषय को उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मेरी सूचना को नियम 56 में स्वीकार कर लिया गया था लेकिन हाउस एडजर्न हो गया था, इसलिये मैं कह रहा हूं कि श्रम विभाग के मंत्री को उस दिन निर्देशित नहीं किया गया, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर कोई वक्तब्य दे चूंकि एक हजार कर्मचारी लोहिया मशीन्स के सड़क पर टहल रहे हैं । आप कृपया सरकार को निर्देशित करें ।

श्री मनोहर लाल–

व्यवस्था का प्रश्न है । अभी वरिष्ठ सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो नियम 301 के तहत मेरी भी सूचना है 20 लाख रुपये के घपले का मामला है . . . ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं । मैं नियम 56 अब ले रहा हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 के अंतर्गत 42 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 सूचनाएं दिनांक 30-12-87 की हैं, 14 सूचनाएं दिनांक 1-1-88 की हैं और 23 सूचनाएं 4-1-88 की हैं ।

दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 को श्री किरनपाल सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री शतरुद्र प्रकाश इत्यादि ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । दिनांक 30-12-87 को 7 सूचनाएं स्वीकार हुई थीं जिन पर चर्चा नही कराई गयी । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आगे इस पर चर्चा कराई जायेगी । 30 तारीख वाली सूचनाएं आप देख लें, स्वीकार 7 हैं जिन पर चर्चा होने को शेष रह गयी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास केवल पांच की सूचना है ।

एक सदस्य–

दो हो चुकी हैं

श्री अधिष्ठाता–

तो हो चुकी होंगी । पांच हैं (व्यवधान) बाकी जो बचीं हैं उन्हीं की बात कह रहा हूं । पहले, 30 तारीख की पहली एक सूचना सर्वश्री किरनपाल सिंह, मनोहरलाल, शतरुद्र प्रकाश, भोपाल सिंह, सुरेश प्रताप सिंह गांधी, लक्ष्मी नारायण, जगवीर सिंह, हरेन्द्र सिंह, विजय सिंह राणा, वीरेन्द्र सिंह, राम नरेश यादव, बदन सिंह, सरदार सिंह, शारदा प्रताप तथा राजेन्द्र सिंह सोलंकी की है . . . (व्यवधान) हमारी बात आप सुन तो लीजिए, आप तो बहुत आगे चले जाते हैं । यह सूचना जनपद बुलन्द-शहर के भूड़ चौराहे पर दिनांक 23 दिसम्बर, 1987 को चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा लगाये जाने के बारे में है । अब इस पर चर्चा प्रारम्भ करने से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता था सम्मानित सदस्यों से । ऐसी नियम 56 में जो सूचना दी गई है . . .

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आवाज नहीं आ रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

उसमें हमारे भारतवर्ष के दोनों ही राष्ट्रीय महापुरुषों के नाम आ गये हैं-चौधरी चरण सिंह और श्रीमती इन्दिरा गांधी । इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा अपने सम्मानित सदस्यों से, जो यह महान पुरुष थे, यह जो हो गये हैं, यह उचित होगा कि उनकी गरिमा के अनुरूप उनके नाम को किसी विवाद में न उठाया जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा। यह हस्तियां विवाद से परे रही हैं और थीं। और यही हमारे देश की परम्परा भी रही है कि मृत्यु के बाद नाम को किसी विवाद में न घसीटा जाय । यदि हमारे अनुरोध को आप लोग स्वीकार करें तो इसको, विवाद का प्रश्न न उठावें। इसमें सूचना तो शासन को प्राप्त ही हो गई है, शासन इसको दिखवा ले, जो निर्णय करे, उससे वह अवगत करा दे । मैं चाहता हूं कि सदन में यह मसला, इस पर ज्यादा चर्चा न हो तो अच्छा रहेगी ।

*श्री किरन पाल सिंह–

मेरी बात आप सुन लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल भी बैठे हैं और अन्य दलों के भी नेता बैठे हैं । यह इतना छोटा विषय है . . .

श्री किरनपाल सिंह–

मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, जिससे श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे . . .

श्री अधिष्ठाता–

इसमें दोनों की बात है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं भारतीय संस्कृति से पूरी तरह परिचित हूं । मरने के बाद मेरे लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह दोनों बराबर हैं । लेकिन इस देश और प्रदेश में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो सरकार चल रही है, वह सत्ता पक्ष प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है । प्रदेश की जो सरकार है, उसकी हमसे थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी अवश्य है । उसको थोड़ा बड़प्पन अवश्य दिखाना चाहिए । मैं यह अवश्य कहता हूं कि इस विषय को प्रस्तुत करने की परिस्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मान्यवर, हमारे सत्ता पक्ष के बुलन्दशहर के दो-एक भाइयों में ऐसी परिस्थितियां सत्ता मद में अन्धे होकर पैदा कर दी हैं, जिसकी वजह से यह विषय सदन में उठाना लाजिमी हो गया है। यह विषय सदन में उठकर यदि इसका समाधान न सोचा गया तो निश्चित तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि बुलन्दशहर में और उसके आसपास मेरी पक्की जानकारी के अनुसार आगे बहुत बुरा समय आ सकता है, बहुत से लोग मारे जा सकते हैं, वहां इतना असन्तोष और तनाव व्याप्त है । इसकी तत्कालिकता और लोक महत्व के बारे में कहते-कहते घटना के बारे में मैं बहुत सूक्ष्म में दृष्टान्त देना चाहूंगा और मान्यवर, आपको जज बनाता हूं कि आप निर्णय कर दें । 26 तारीख को मैंने अपने पत्र के साथ जिलाधिकारी बुलन्दशहर को एक प्रस्ताव लिखकर दिया अपने लेटर पैड पर बुलन्दशहर के अन्दर गांव के बीच में जो स्थित है . .

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, किस नियम के तहत यह चर्चा करा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुरोध किया था, लेकिन मेरे अनुरोध को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो बोलें ।

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, इन्होंने भाषण करना शुरू कर दिया है, तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने भाषण की इजाजत दे दी है ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं कोई गलत बात कहूं, तो आप उसको सदन की कार्यवाही से निकलवा दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादती हुई दो-दो बार जेल में डाला गया । मान्यवर, हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसे हम यहां सदन में नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे । मान्यवर, 28 तारीख को भूड़ चौराहे पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने एवं उसका नाम "किसान चौक" रखने का विचार था . .

(घोर व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए ।

शुक्ला जी (श्री शारदा प्रताप शुक्ल) मुझे धमका रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, 28 तारीख को विभिन्न दलों के लोग वहां मौजूद थे । भूड़ चौराहे पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाई जानी थी, मान्यवर, वहां चौधरी चरन सिंह जी का बोर्ड लगने के बाद सबने खुशी मनाई और मिठाई बांटी गई (व्यवधान) और कुछ अधिकारियों ने भी मिठाई खाई ।

मान्यवर, शाम को तीन बजे उस बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया गया और सुनने में तो यहां तक आया कि उस प्रतिमा पर थूका गया और जूते मारे गये . .

(व्यवधान)

मान्यवर, अगले दिन हमारे मा0 सदस्य कांग्रेस आई के हैं उनकी बहन की शादी थी मुझे उसमें जाना था, तो मान्यवर, जैसे ही मैं बाहर निकला पांच सौ लोगों ने, जो पुलिस के थे मुझे घेर लिया और यह कहा कि ऐसे आदेश हैं कि आपको घर में ही रहना है बाहर नहीं निकलना है । (व्यवधान) मेरे विरोध करने पर मुझे जेल में डाल दिया गया । श्री राजेन्द्र सिंघल भी वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि यह तो आप अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। मान्यवर, अगले दिन में शाम को छोड़ा गया, लेकिन उस बोर्ड को उखाड़ने के कारण जो जनता में रोष था । उसके सम्बन्ध में निश्चय किया गया कि किसान 5 दिसम्बर को बुलन्दशहर आयेंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे । लेकिन 5 तारीख को बुलन्दशहर की सीमा सील कर दी गयी और इतनी पुलिस लगायी गयी जितनी बुलन्दशहर के इतिहास में कभी नहीं लगी । वहां किसानों पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गयी और फायरिंग भी की गयी । प्रसाशन इस बात को जानता है । किसानों के लाखों रुपये के ट्रैक्टर्स को तहस नहस कर दिया गया । बुलन्दशहर की सीमा पर किसान जमें रहे। 10-12 हजार किसान बुलन्दशहर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन से कहा कि हम लोगों को गिरफ्तार करिये। रात के 11 बजे तक 10 हजार किसान जिद करते रहे लेकिन प्रशासन ने तय किया कि 5 हजार को गिरफ्तार कर लें लेकिन 11 बजे सिर्फ 600 लोगों को जेल में बन्द किया और कई दिन बाद छोड़ा। चूंकि 23 दिसम्बर को मृत्यु के बाद माननीय चौधरी साहब का पहला जन्म दिन पड़ रहा था इसलिए बुलन्दशहर के लोगों ने इसको किसान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। 23 दिसम्बर को वही हाल हुआ और बुलन्दशहर की सीमायें सील कर दी गयीं। लेकिन बलिदानी जत्थे किसान चौक पहुंचे। वहां पर पी0 ए0 सी0 लगा दी गयी। लेकिन किसान दिवस मनाने के लिए किसान चौक को खोल दिया। वहां पर लोग गये और चौधरी साहब की फोटो पर माला चढ़ाई और वहां बोर्ड लगा दिया गया चौधरी साहब का। लेकिन इसके बाद एक दूसरा घटना क्रम शुरू होता है जिस पर आपको गम्भीरता से निर्णय लेना है। चौधरी चरण सिंह का जब नाम लिया गया तो कांग्रेस (आई) के लोगों ने 27 तारीख का दिन रखा कि उस दिन वहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा लगायी जायगी और उसका नाम इंदिरा चौक रखा जायगा। हमारे बुलन्दशहर के एक मंत्री ने मोदी की लम्बी गाड़ी में बैठकर प्रचार जिले में किया कि 27 तारीख को बुलन्दशहर पहुंचे। वहां पर इंदिरा गांधी का बोर्ड लगाया गया और

चौधरी साहब के बोर्ड को दोबारा उखाड़ कर फेंक दिया गया और अपमानित किया गया। आप इसकी जांच करवा लें कि 27 तारीख को हजार आदमी मुश्किल से वहां पर आये थे। पुलिस ने 250-300 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस लाइन ले जाया गया। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि 6 हजार की गिरफ्तारी दिखाओ तो प्रशासन ने उसका मना कर दिया। कांग्रेस के लोगों को हो सकता है कि दौड़ाया गया हो लेकिन सत्तापक्ष के लोगों ने कहा कि पी0 ए0 सी0 ने ज्यादतियां की हैं। मान्यवर, सत्तापक्ष के लोगों की हमसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उन्होंने बयान दिया कि पी0 ए0 सी0 के लोकदल के अहीर और जाटों ने कांग्रेस के लोगों को मारा है। मेरा कहना है कि पी0 ए0 सी0 को स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया है लेकिन इससे पी0 ए0 सी0 में इससे स्विोल्ट की नौबत आ गयी है। आप मान्यवर, निर्णय दें कि जब जिलाधिकारी ने कह दिया, परमीशन दे दी और परमीशन से 23 तारीख को किसान चौक पर उनका जन्मदिन मनाया गया तो दो-दो बार बोर्ड को उखाड़ा और अपमानित क्यों किया गया। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, निर्णय देने के पहले आप सोच लें, यदि किसान चौक बुलन्दशहर में नहीं बनी तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। बुलन्दशहर और उसके आस-पास कानून और व्यवस्था की स्थिति की जांच करवा लें, सी0 आई0 डी0 से करवा लें वहां स्थिति बहुत खराब है और किसी दिन खून खराबा हो सकता है। इसलिए निवेदन है कि किसान चौक पर दो-दो बार बोर्ड को उखाड़ने का कोई औचित्य नहीं था। चौधरी साहब की प्रतिमा प्रदेश में जगह जगह तो लगी नहीं है। वह भी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को इस तरह से सत्तापक्ष के लोग बेइज्जत करेंगे तो उसका कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बेइज्जती को कोई बर्दास्त नहीं करेगा उसी तरह से चौधरी चरण सिंह की बेइंज्जती को हम बर्दास्त नहीं करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री रहीं और उनकी प्रतिमायें प्रदेश में ही नहीं देश भर में लगी हैं। देश भर में उनके नाम के ऊपर हवाई अड्डे, अस्पतालों के नाम रखे गये हैं और प्रतिमायें लगायी गयी हैं। उनके परिवार की मूर्तियां भी लगी हैं। संजय गांधी की प्रतिमा भी लगी हैं। तो मान्यवर, ऐसी परिस्थिति न पैदा करें, जिससे किसानों का अपमान हो। लेकिन चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा वहां पर लगनी है, उसमें बाधा उत्पन्न न करें, नहीं तो इसका नतीजा बड़ा गम्भीर होगा।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लीजिये। लिस्ट में मेरा नाम है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अभी माननीय किरन पाल सिंह जब बोल रहे थे, तो उन्होंने राजेन्द्र सिंह सोलंकी का नाम लिया। मान्यवर, कम से कम सोलंकी जी को बोलने का अवसर दिया जाय।

(घोर व्यवधान)

(श्री मनोहर लाल, श्री विजय सिंह राणा, श्री शारदा प्रताप, श्री राम शरण दास, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री भोपाल सिंह तथा अन्य कई विरोध पक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और "किसान नेता चौधरी चरण सिंह अमर रहे" का नारा लगाते रहे।)

(श्री भोपाल सिंह तथा कई अन्य विरोध पक्ष के माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर जाने का प्रयास करने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

4 जनवरी, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तृतीय सत्र 87 के पहले सोमवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या–30 के उत्तर का संलग्नक

क्रम-सं0	नाम कर्मचारी	निवास स्थान	पद	नियुक्ति की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1	विजय कुमार शर्मा	ग्रा0 नेवली, पो0 हरख, बारावंकी	कनिष्ठ लेखा लिपिक	जिला चयन समिति
2	हरी राम	.. द्वारा श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, बन्दोबस्त अधिकारी, बाराबंकी ।	कनिष्ठ लेखा लिपिक (एन0आर0ई0पी0)	,,
3	उधुम सिंह	.. सिविल लाइन बाराबंकी ..	कनिष्ठ लिपिक	पदोन्नति द्वारा
4	राकेश कुमार तिवारी	.. पुत्र श्री आर0के0 तिवारी, जिला उद्योग केन्द्र, बाराबंकी ।	कनिष्ठ लेखा लिपिक (एन0आर0ई0पी0)	जिला चयन समिति
5	मनोज कुमार श्रीवास्तव	.. द्वारा श्री चन्द्र बली श्रीवास्तव, टेलीफोन आफिस के पीछे, बाराबंकी ।	,,	,,
6	श्री सन्तोष कुमार	.. आर0-315, रसूलपुर, बाराबंकी ..	,,	..
7	अशोक कुमार अग्निहोत्री	.. द्वारा बी0एन0 शुक्ल, लेबर इन्सपेक्टर, रसूलपुर, बाराबंकी ।	,,	,,
8	दिनेश प्रताप सिंह	.. ग्राम पूरेहरी, पो0 तिवारीपुर, बाराबंकी ..	,,	,,
9	दिलशाद मजीद	.. हम्माद मंजिल, सिविल लाइन, बाराबंकी ..	,,	,,
10	देव नन्दन सिंह	.. ग्राम पूरे टण्डवा, पो0 सेमरावां, बाराबंकी ..	,,	,,
11	राजेश कुमार श्रीवास्तव	.. ग्राम व पो0 सतरिख, बाराबंकी ..	,,	,,
12	मुशीर आलम	.. द्वारा श्री ओंमकार नाथ, पो0 बंकी, चौकी, बाराबंकी ।	,,	,,
13	राजेश कुमार मिश्र	.. द्वारा श्री बच्चा लाल मुनीम, म0न0 102 बी/ 190 सुभाष नगर, बाराबंकी ।	,,	,,

विधान सभा

1	2		3		4	5
14	प्रवेज अली सिद्दीकी	..	सी0/57, कानूनगोयान, बाराबंकी	..	कनिष्ठ लेखा लिपिक	जिला चयन समिति
15	श्याम कुमार निगम	..	द्वारा श्री राम प्रसाद, निगम भा0जी0 बीमा निगम, बाराबंकी ।		(एन0 आर0ई0पी0)	,,
16	अश्वनी वाजपेयी	..	म0नं0 176, सरावगी, बाराबंकी	..	,,	,,
17	लल्लू राम	..	द्वारा श्री बच्चा लाल, ग्राम रमपुरवा, पो0 गौरा, करौदी, बाराबंकी ।		,,	,,
18	राम पाल	..	ग्राम छुरिया, पो0 सराय दुनौली, बाराबंकी	..	,,	,,
19	जगमोहन	..	द्वारा श्री पुत्ती लाल नेताजी/135 आजाद नगर, बाराबंकी ।		,,	,,
20	नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	..	म0नं0 49, सरावगी, बाराबंकी	..	कनिष्ठ लिपिक (एन0आर0ई0पी)	,,
21	विनोद कुमार श्रीवास्तव	..	ग्राम शाहपुर कनवा, बाराबंकी	..	,,	मृत कर्मचारी के आश्रित
22	राम चन्द्र	..	ग्राम सुल्तानपुर, पो0 सतरिख, बाराबंकी	..	सहायक बोरिंग टेक्नी-शियन ।	विभागीय चयन समिति
23	दिनेश कुमार पाठक	..	म0नं0 552 पीरवटावन, बाराबंकी	..	,,	,,
24	राजा राम	..	ग्राम व पो0 आलियाबाद सिद्धौर, बाराबंकी	..	,,	,,
25	तारा देवी	..	शाहगंज, आजमगढ़	..	पत्रवाहक	मृत कर्मचारी के आश्रित
26	शान्ती देवी	..	उचहुआ, आजमगढ़	..	,,	,,
27	जगदीश प्रसाद	..	कर्नेलगंज, गोण्डा	..	,,	,,
28	राकेश कुमार दीक्षित	..	ग्राम व पो0 फतेहपुर, बाराबंकी	..	कनिष्ठ लिपिक	पदोन्नति द्वारा
29	अजय कुमार	..	म0नं0 314, सत्यप्रेमी नगर, बाराबंकी	..	कनिष्ठ लेखा लिपिक	पदोन्नति द्वारा
30	देव प्रसाद गुप्ता	..	मो0 मुंशीगंज, बाराबंकी	..	उप चालक	विभागीय चयन समिति
31	जगेसर	..	ग्राम व पो0 उस्मानपुर, बाराबंकी	..	,,	,,
32	राम मिलन	..	ग्राम व पो0 सफेदाबाद,	..	,,	,,
33	उपेन्द्र कुमार	..	जहांगीराबाद, बाराबंकी	..	कनिष्ठ लेखा लिपिक	,,
34	अयोध्या प्रसाद	..	ग्राम लालपुर, पो0 सिरौली कलां, बाराबंकी	..	कनिष्ठ लिपिक	पदोन्नति द्वारा
35	मेराज अशरफ	..	बी-277, बेगमगंज, बाराबंकी	..	,,	मृत कर्मचारी के आश्रित

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

जौनपुर डिपो से संचालित बसों के मार्गों की सूची

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	2	3
1	जौनपुर–वाराणसी–रायबरेली–कानपुर मार्ग	2
2	जौनपुर–वाराणसी–महराजगंज–प्रतापगढ़–कानपुर	2
3	जौनपुर–वाराणसी–खुटहन–लखनऊ–कानपुर	2
4	जौनपुर–समौधपुर–सुल्तानपुर–लखनऊ–कानपुर–हम ..	2
5	जौनपुर–वाराणसी–शाहगंज–लखनऊ–कानपुर	2
6	जौनपुर–वाराणसी–बादशाहपुर–प्रतापगढ़–कानपुर	1
7	जौनपुर–वाराणसी–फैंजाबाद–बहराइच–गोण्डा	2
8	जौनपुर–शाहगंज–वि0 बिहार	6
9	जौनपुर–ढकवा–सुल्तानपुर–लखनऊ–जौनपुर	2
10	जौनपुर–इलाहाबाद–गोरखपुर–सोनौली	2
11	जौनपुर–वाराणसी–इलाहाबाद–गोरखपुर	2
12	जौनपुर–आजमगढ़–गोरखपुर–देवरिया	1
13	जौनपुर–इलाहाबाद–आजमगढ़–जौनपुर	8
14	जौनपुर–वाराणसी–आगरा–शाहगंज–जौनपुर	1
15	जौनपुर–वाराणसी–अकबरपुर टाण्डा	5
16	जौनपुर–विंध्याचल–वारी गांव–जौनपुर	11
17	जौनपुर–केराकत–सैदपुर–मेहनाजपुर	10
18	जौनपुर–ढकवा–सुल्तानपुर	5
19	जौनपुर–वाराणसी–त्रिलोचन	2
20	जौनपुर–बादशाहपुर–इलाहाबाद–बादशाहपुर	1
21	जौनपुर–बादशाहपुर–वाराणसी–बैलवार–बादशाहपुर	4
22	जौनपुर–ठेवका–बदलापुर–वाराणसी–टैक्का	1
23	जौनपुर–मिल्कीपुर–शाहगंज–वाराणसी–मेहनाजपुर	1
24	जौनपुर–महराजगंज–तेजीबाजार–वाराणसी–महराजगंज	2
25	जौनपुर–पटटी–ढकवा–वाराणसी–बदलापुर	3
26	जौनपुर–शाहगंज–वाराणसी–शाहगंज	2
27	जौनपुर–जफराबाद–कजगांव–चन्दवक	2
28	जौनपुर–ओबरा–वाराणसी–जौनपुर–ओबरा	2
29	जौनपुर–वाराणसी–वि0 विहार	2
30	जौनपुर–शाहगंज–केरावत–शाहगंज	4
	अतिरिक्त	2
1	जौनपुर–विंध्याचल ..	2
2	जौनपुर–वाराणसी–अ ..	
	योग ..	96

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ68 पर)

ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनकी साक्षात्कार के समय पुनः टंकण परीक्षा ली गयी

सर्वश्री

1--अरविन्द मिश्र
2--जसपाल सिंह
3--मोहन सिंह रावत
4--सुभाष चन्द्र
5--रमेश चन्द्र
6--सुरेश चन्द्र
7--अर्जुन सिंह भण
8--प्रेम सिंह राणा
9--गणश चन्द्र बलूनी
10--प्रकाश चन्द्र
11--माया राम नौटियाल
12--राजेन्द्र प्रसाद
13--राजेन्द्र सिंह भण्डारी
14--भूपेश चन्द्र
15--विलेन्द्र सिंह
16--वीरेन्द्र दत्त
17--सुनील नेगी
18--हर्ष मणि उनियाल
19--वियय मोहन काला
20--भूपेन्द्र सिंह
21--अश्वनी कुमार जोशी
22--राजेन्द्र सिंह
23--देवेन्द्र सिंह नेगी
24--राजेन्द्र प्रसाद
25--द्वारिका प्रसाद ममगाई
26--प्रेम सिंह रावत
27--बिनोद पंवार
28--प्रेम सिंह
29--विनोद ध्यानी
30--रमेश चन्द्र थपलियाल
31--देवी प्रसाद
32--बलवन्त सिंह बिष्ट
33--नित्यानन्द
34--चिरंजी लाल
35--चन्द्र सिंह विष्ट
36--कृष्ण मनोहर चन्दोला
37--अरविन्द नौटियाल
38--भगवान सिंह
39--चन्द्र बल्लभ मैठाणी
40--त्रिपत सिंह विष्ट
41--सुरेन्द्र दत्त बहुगुणा
42--विक्रम सिंह
43--मुहम्मद रियाज कुरेशी
44--महावीर सिंह पंवार
45--कुलानन्द उनियाल
46--धीरेन्द्र सिंह
47--केशव कान्त
48--उम्मेद सिंह
49--सत्य प्रकाश बहुगुणा
50--कमल चन्द्र सिंह
51--जितेन्द्र सिंह गुसाईं
52--राकेश चन्द्र गौड़
53--अनिल कुमार डोमाल
54--सूरत चन्द्र
55--केशर सिंह रावत
56--भगवान सिंह
57--कल्याण सिंह नेगी
58--हरीश चन्द्र
59--सत्य पाल कुमार
60--वीर सिंह
61--चन्द्र पाल सिंह
62--उम्मेद सिंह दानू
63--मदन सिंह भण्डारी
64--योगम्बर सिंह रावत
65--मोहम्मद फारुक
66--त्रिलोक सिंह
67--प्रभाकर
68--देवेन्द्र सिंह
69--राजेन्द्र प्रसाद
70--उत्तम सिंह
71--उम्मेद सिंह रावत

पी0एस0यू0पी0—एल0 306 विधान सभा (565)--1988--813 ।